MEDICAL DARPAN MEDIA HOUSE · VISITING CARD MUSEUM · SOAP MUSEUM
Mob.: 09045029158 · WORK IS WORSHIP

मैडीकल दर्पण

Editor- Brijesh Garg   www.medicaldarpan.com   Monthly News Paper
B.N. Medical Complex, Bulandshahr (U.P.) Postal Reg. No.- BSR 56/2023-2025 RNI UPBIL/2010/44113

Invitation

हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा

India's Biggest
PHARMA EVENT in the JAIPUR

Powered By medicant Nutrients

Supported By RCA Rajasthan Chemists Alliance · Pinkcity Chemist Alliance Jaipur

FREE ENTRY

INDIAN FHARMA FAIR ®
PERFECT BUSINESS GROWTH PLATFORM

10 11 JANUARY 2025

12th EDITION

Platinum Partner	Silver Partner	Supported Partner	Supported Partner	Supported Partner
PCHPL Psychocare Health Pvt. Ltd.	SUNWIN	Ritual Drugs Pvt. Ltd., Tiruvision Medicare, UniGROW Pharmaceuticals	Best Biotech, Novalab Healthcare, Forgo Pharmaceuticals (P) Ltd.	AVE, nexkem Pharmaceuticals, Wellford

Printing & Gifts Partner	Technology Partner	Media Partner	Digital Partner	Fabrication Partner
Graphic Ganga	SwilERP	The Pharma Chem Monthly	intellistall	Buzz Matrix India

Dear Sir/Madam,

We feel pleasure to Invite you in the biggest Pharma Exhibition at JAIPUR, (RJ) to be Organized By Indian Fharma Fair.

This Exhibition will Focus on 3rd Party Manufacturing, Franchise & PCD Business

Venue :

Central Lawn EP, Jawahar Circle, Jaipur, (Raj.)

Please Join us on

Friday 10th JANUARY 2025 &
Saturday 11th JANUARY 2025
10.00 am to 6.00 pm

You are Requested to Grace the Exhibition with your Presence

B.S. Bhandari
General Manager
+91 9971516888

MEDICAL DARPAN MEDIA HOUSE
VISITING CARD MUSEUM
SOAP MUSEUM
Mob.: 09045029158
WORK IS WORSHIP

/medicaldarpan
/medicaldarpan
/medicaldarpan
sales@medicaldarpan.com
medicaldarpan.com
ghoomophiro.com
petfunda.com

Search in Google

Brijesh Garg, Bulandshahr
Biggest Soap Collection in India
Biggest Visiting Cards Collection in India

BRIJESH GARG

Record Holder

- Limca Book of Records
- India Book of Records
- Record Holders Republic
- World Records India
- Unique World Records

Achievements

- Soaps Museum
- Visiting Cards Museum
- Well Wishes Letters
- Tooth Paste Collection

Limca Book of Records

द्वारा प्रमाणित अद्भुत संग्रहालयों को देखने के लिये आप सपरिवार सादर आमन्त्रित हैं.

10,000 Soaps & 25,00,000 Visiting Cards

एकत्र कर विश्व रिकॉर्ड बनाने का प्रयास

SOAPS & VISITING CARDS

भेजकर विश्व रिकॉर्ड बनाने में अपना अमूल्य सहयोग प्रदान करें.

CONTACT

94104 34811, 90450 29158

केवल मैडीकल व्यवसायियों के लिए

नव वर्ष व गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं

2025

मैडीकल दर्पण

Editor- Brijesh Garg www.medicaldarpan.com Monthly News Paper

B.N. Medical Complex, Bulandshahr (U.P.) Postal Reg. No.- BSR 56/2023-2025 RNI UPBIL/2010/44113

Year 18 | Issue 04 | D.O.P. 01 JANUARY 2025 | Pages 16 | ₹10/- Copy | ✆ 09045029158 | medicaldarpan.ctp@gmail.com

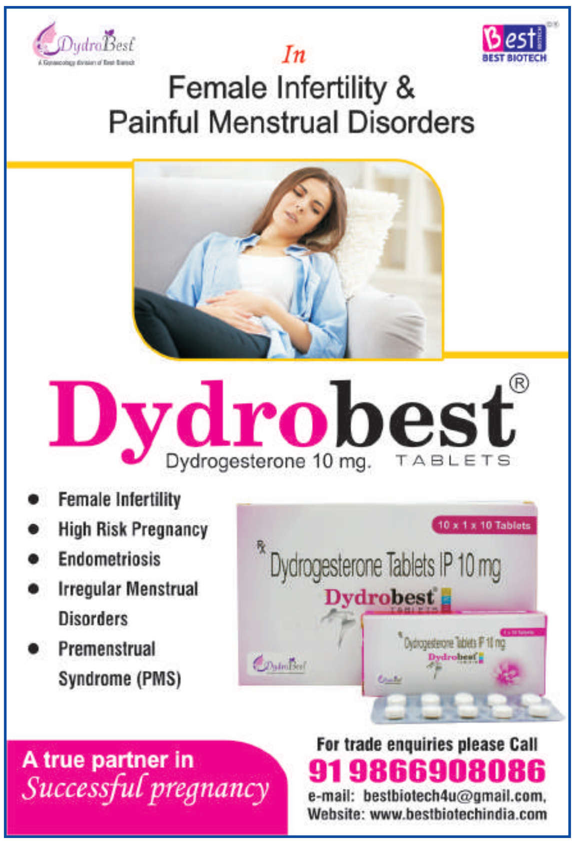

ISCON LIFE SCIENCES PVT. LTD.
GROUP OF PHARMACEUTICAL COMPANIES
WE ARE CERTIFIED
TRUSTABLE PHARMACEUTICAL COMPANY
MORE THAN 20 YEARS IN INDIA
QUALITY ASSURED PRODUCTS
MORE THAN 1250 PRODUCTS
Our Products Range
GET IN TOUCH
TIMELY DELIVERY
LATEST MANUFACTURING FACILITY
AFFORDABLE PRICE
ATTRACTIVE PACKING
PHARMACEUTICAL PRODUCTS: TABLETS, CAPSULES, LIQUID, INJECTABLES, IV FLUID, OINTMENTS, SACHET, PROTEIN POWDER, TOOTHPASTE & GEL, DERMA
NUTRACEUTICAL PRODUCTS: TABLETS, CAPSULES, SACHET, PROTEIN POWDER, LIQUID, SOFT GEL CAPSULES
COSMETIC PRODUCTS: OINTMENTS, FACE WASH, CLEANSING GEL, SOAPS, SHAMPOO, SERUM, CONDITIONER, MOISTURIZING LOTION, MOISTURIZING CREAM, SUNSCREEN GEL / LOTION, OIL
AYURVEDIC PRODUCTS: TABLETS, CAPSULES, LIQUID, OINTMENTS
Monopoly Rights I Visual Aids I Promotion Materials I Gift Articles I Leave Behind Cards
THIRD PARTY MANUFACTURING FACILITY
www.isconlifesciences.com
APPLY FOR PHARMA FRANCHIS
EXPORT FACILITY
Our Specialization Division
ISCON LIFE SCIENCES PVT.LTD
605, Signature-1 Makarba, S.G Highway, Ahmedabad-380051(Guj) India.
Phone: +91-79-4005 8283, 4000 9009 : +91 94264 01262, 90999 01590 info@isconlifesciences.com www.isconlifesciences.com

जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्यागकर दूसरे नये वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने तथा वृद्ध शरीर को त्यागकर नये शरीर को प्राप्त करती है.

OPHTHALMIC & INJECTABLES
GBN PHARMACEUTICALS
(AMPOULES, VIAL)
BEST THIRD PARTY MANUFACTURING COMPANY IN INDIA
Attractive Packing
Timely Delivery
Quality Range
MANUFACTURER OF HUMAN & VETERINARY PRODUCTS
CONTACT PERSON
M.D.: Mr. PRIYESH SAINI +91 9929790906
V.P. (B.D.): Mr. MANISH SETH +91 7990497016
HEAD OFFICE : G-12, BADHARNA, ROAD NO 14 VISHWAKARMA INDUSTRIAL AREA, JAIPUR.(RAJ) PIN CODE -302013
COMPANY ADDRESS :F-49 (A, PHASE II, RIICO INDUSTRIAL AREA, AJEETGARH, RAJASTHAN 332701

दवाइयां और प्रतिबंधित कफ सिरप समेत दो गिरफ्तार

ठाणे (महाराष्ट्र): नकली दवाइयां और प्रतिबंधित कफ सिरप समेत दो लोगों को गिरफ्तार करने का मामला सामने आया है। एंटी नारकोटिक्स सेल ने यह कार्रवाई की। ठाणे सिटी पुलिस पीआरओ ने कहा कि 11 दिसंबर को एएनसी टीम ने मुंब्रा के खराडी-दिवा रोड पर मोहम्मद अब्दुल रहमान सैयद को 60 ग्राम मेफेड्रोन के साथ पकड़ा। इसकी कीमत 7.43 लाख रुपये है। दूसरे मामले में नवाज पावले को 3.63 लाख रुपये मूल्य की 720 बोतल कफ सिरप के साथ गिरफ्तार किया है। उनके खिलाफ नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम और ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। गौरतलब है कि इससे पहले भी कई लोगों को प्रतिबंधित सिरप के साथ पकड़ा जा चुका है।

MEDFLEX HEALTHCARE PVT.LTD
Full Circle Of Your Lifecare
Your Enquires are Welcome For
PCD/Franchise & Third Party Manufacturing
With The Wide Range Of
More Then 500+ Products RANGE
TABLETS | SOFTGEL-CAPSULES | PAEDIATRICS
CHURAN-POWDER | LOTION-SERUM | OINTMENT-CREAM
INJECTABLES | NUTRACEUTICALS | SHAMPOO
LIQUID-ORAL | MALT / OILS | GELS
HERBAL COSMETIC | SACHETS | SOAP
PCD Pharma Franchise Business Opportunity
Start Your Own Business With
Small Investments And Be Your Own Boss
All Types Of Third Party Manufacturing,Own Brand Manufacturing, Bulk Manufacturing, Enquiries Are Welcome
Dry Injectable Own Manufacturing Unit (Export Facilities Available)
A Division Of Medflex Healthcare
TAVASYA NUTRITION & HEALTH
DEER DERMATOLOGY
DEER VETERINARY
care.medflexhealtcare@gmail.com
Plot No. 15/3, Kuldeep Nagar, Ambala Cantt - 133004 (HR)
+91 9034680960
www.medflexhealthcare.com

एचआईवी का इंजेक्शन वैरिएंट बनकर तैयार, परमिशन का इंतजार

नई दिल्ली: एचआईवी संक्रमण के इलाज में इस्तेमाल की जाने वाली दवा लेनाकापाविर का नया इंजेक्शन वैरिएंट बनकर तैयार हो गया है। इस माह के अंत तक या 2026 की शुरुआत में इसे बाजार में लाने की योजना बताई गई है। निर्माता कंपनी गिलियड साइंसेस के अधिकारियों का कहना है कि इस दवा को पहले सबसे गरीब देशों में लाया जाएगा। अधिकारियों के अनुसार नया फॉर्मूलेशन एक साल की सक्रिय क्षमता के साथ आता है और एचआईवी के खिलाफ सुरक्षा में निवारक भूमिका निभा सकता है। दवा 'लेनाकापाविर' को पहले ही संयुक्त राज्य अमेरिका में उपयोग के लिए मंजूरी मिल चुकी है। इसकी चिकित्सा के पहले वर्ष की लागत लगभग 42,250 डॉलर है। इस वर्ष नैदानिक परीक्षणों में दवा संक्रमण को रोकने में काफी कारगर रही है।

अब संयुक्त राज्य अमेरिका के खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) और विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) से इस इंजेक्शन वैरिएंट को बाजार में उतारने की परमिशन मांगी गई है। एड्स, टीबी और मलेरिया जैसे रोगों की दवा बनाने वाली कंपनी गिलियाड साइंसेस प्रमुख हुई यांग ने बताया कि वैश्विक स्तर पर इसकी शुरुआत एफडीए और डब्ल्यूएचओ से आवश्यक अनुमति प्राप्त करने पर निर्भर है। हम नहीं चाहते कि गरीब देश इस दवा का इंतजार करें। एड्स राहत के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति की आपातकालीन योजना (पीईपीएफएआर) के साथ साझेदारी करेगा, ताकि उन देशों में महंगी लेनाक. ापाविर दवा को सस्ती दर में पहुंचाया जा सके।

कोडीन फॉस्फेट कफ सिरप की भारी खेप जब्त

करीमगंज (असम)। प्राप्त समाचार के अनुसार प्रतिबंधित कोडीन फॉस्फेट कफ सिरप की भारी खेप जब्त की गई है। पुलिस ने चुरैबारी चेक पोस्ट पर छापेमारी कर कोडीन फॉस्फेट कफ सिरप की 44,100 बोतलें बरामद कीं। श्री भूमि पुलिस ने विश्वसनीय खुफिया जानकारी के आधार पर यह कार्रवाई की। अधिकारियों ने अवैध ड्रग शिपमेंट के पीछे के स्रोत और वितरण नेटवर्क का पता लगाने के लिए गहन जांच शुरू की है। इसी तरह की एक अन्य घटना मे असम पुलिस ने मार्च में असम-त्रिपुरा सीमा पर करीमगंज जिले में भारी मात्रा में कफ सिरप जब्त किया और दो लोगों को गिरफ्तार किया था।

अधिकारियों के अनुसार पुलिस ने असम के करीमगंज जिले के चुरैबारी इलाके में एक ट्रक से कफ सिरप की 9700 बोतलें जब्त कीं। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस की एक टीम ने असम-त्रिपुरा सीमा पर चुरैबारी चेक पोस्ट पर एक ट्रक को रोका। पुलिस अधिकारी के अनुसार असम पुलिस ने तलाशी ली और वाहन में कोडीन फॉस्फेट कफ सिरप एस्कुफ/ फेंसेडिल की लगभग 9,700 बोतलें भरी 193 पेटियाँ बरामद कीं। मौके से पश्चिम बंगाल के दो निवासियों सदानंद रे और संजय रे को भी हिरासत में लिया है। इस मामले में जांच की जा रही है।

"Excellence In Healthcare Everyday"
DEUS LABORATORIES PVT. LTD.
Deus Laboratories Pvt. Ltd
A wide range of speciality products in Third Party Manufacturing, PCD Franchises, Generic & OTC including Tablets, Capsules, Liquids, Ointments, Dry Syrups, Lotions & Neutraceutical Products.
Requires:
* Financially sound parties for state wise monopoly rights.
* Sales Promotional Managers state wise.
DEUS LABORATORIES PVT. LTD.
Manufacturing Unit:
Khasra No. 26 kA Shiv Ganga Industrial Estate Village. Lakeshwari, Bhagwanpur Roorkee District. Haridwar Uttrakhand 247661
Corporate Office:
2nd Floor SLV Tower Kanwali Road, Near Balliwala Chowk Dehradun Uttrakhand 248001
Contact Details:
Head Office: 7773006620
Sales: 8006077773
Production:8006077772
Designing: 7060028254
Customer Care: +91 135 314 4200
Mail: deuslaboratories@gmail.com

डॉ रेड्डीज पर लगा 28.7 लाख रुपये जुर्माना

हैदराबाद। फार्मा डॉ रेड्डीज लैबोरेटरीज पर लाखों रुपये जुर्माना लगा है। बताया गया है कि कजाकिस्तान राजस्व प्राधिकरण ने डॉ रेड्डीज की अनुषंगी इकाई पर 28.7 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। कंपनी ने शेयर बाजार को दी सूचना में बताया कि कजाकिस्तान में अल्माटी के बोस्टैंडिक जिले के राजस्व विभाग ने कैलेंडर वर्ष 2021 के लिए कर अधिकारियों द्वारा कुछ खर्चों के दावे को अस्वीकार किया गया। इसके चलते 'डॉ रेड्डीज लैबोरेटरीज कजाकिस्तान एलएलपी' पर जुर्माना लगाया गया है। नियामकीय सूचना में कहा गया है कि इस आदेश में अनुषंगी पर करीब 28.7 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। हैदराबाद स्थित दवा कंपनी का कहना है कि हमारे मूल्यांकन के आधार पर कंपनी की वित्तीय, परिचालन या अन्य गतिविधियों पर कोई भौतिक प्रभाव नहीं पड़ा है।

मेडिकल स्टोर पर नशीले इंजेक्शन की बिक्री, दो स्टोर सील

कानपुर। मेडिकल स्टोर पर नशीले इंजेक्शन की बिक्री मिलने पर दो स्टोर सील किए गए हैं। औषधि विभाग ने मसवानपुर स्थित कामदगिरी मेडिकल स्टोर पर छापा मारकर अवैध तरीके से बेचे जा रहे 300 से ज्यादा नशे के इंजेक्शन जब्त किए हैं। इनकी कीमत 10 हजार रुपये से अधिक है। विभाग की टीम ने मेडिकल स्टोर को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया है। इसके अलावा एक और मेडिकल स्टोर को सील किया है। नशीले इंजेक्शन का सैंपल जांच के लिए लखनऊ राजकीय प्रयोगशाला भेजा गया है। इस मेडिकल स्टोर का लाइसेंस भी नहीं मिला है।

जनसुनवाई के दौरान जिलाधिकारी के पास आए शिकायतकर्ता ने बताया कि मसवनापुर क्षेत्र में एक मेडिकल स्टोर पर बड़ी मात्रा में काफी समय से नशे का इंजेक्शन खुलेआम बेचा जा रहा है। इससे आसपास के युवक व अन्य लोग नशे के लती हो रहे हैं। जिलाधिकारी ने औषधि विभाग के निरीक्षक को बुलाकर तत्काल छापा मारने का निर्देश दिया। जब टीम मौके पर पहुंची तो नशे का इंजेक्शन लेने पहुंचे कुछ लोग वहां से भाग निकले। मौके पर मेडिकल स्टोर संचालक नहीं मिला, लेकिन वहां काम करने वाला एक कर्मचारी दीपक सिंह मिला। उससे पूछताछ में पता चला कि मेडिकल स्टोर का लाइसेंस भी नहीं है।

औषधि निरीक्षक ओमपाल सिंह ने इंजेक्शन के सैंपल लेकर मेडिकल स्टोर सील कर दिया। इसके अलावा एक अन्य ओम मेडिकल स्टोर पर भी कार्रवाई की गई। यहां संचालक दवा बिक्री के बिल नहीं दिखा पाया और उनके पास कोई फार्मासिस्ट भी नहीं था। दोनों ही मेडिकल स्टोरों को सील कराया गया है। औषधि निरीक्षक ने बताया कि बरामद इंजेक्शन का प्रयोग दर्द में किया जाता है, लेकिन इसे लोग नशे के रूप में भी प्रयोग करते हैं।

Arvincare
An ISO 9001:2015 Certified Company
Our Manufacturing Units
SALUS PHARMACEUTICALS
Baddi, (H.P.) 173 205
info.arvincare@gmail.com
www.saluspharmaceuticals.com
SUNVET HEALTHCARE
Sirmour (H.P.) 173 001
healthcaresunvet@gmail.com
www.sunvethealthcare.co.in
MANUFACTURER, EXPORTER & TENDER SUPPLY
• Oncology Tablets & Capsules
• Dry Injections (beta Lactum & Non Beta Lactum)
• Liquid Injections (Vial & Ampoule Pack)
• Tablets (beta Lactum & Non Beta Lactum)
• Capsules (beta Lactum & Non Beta Lactum)
• Eye/ear/nasal Drops
CONTACT US ONLY ETHICAL COMPANIES
Also Clav Section Avaialable
+91 9988844053 | 92164 37557 | 70871 35994 | 86990 37554 9988844053
Head Office: S.C.O. 62, Sector-12-A, Panchkula (HR) 134 113
arvincare@gmail.com | www.arvincare.com

Lezaa Biotech
AYURVEDIC & HERBAL FORMULATION
Own manufacturing Unit Certified with GMP, ISO (9001-2015)
MORE THEN 500+ Allopathic and Ayurvedic PRODUCTS RANGE
Contact for third party manufacturing also
WITH THE WIDE RANGE OF
Classical Products | Toothpastes | Capsules | Liquids/Oral | Malt/Oils
Churan/Powder | Lotion/Serum | Ointments/Cream | Herbals Cosmetics | Tablets
Injectables | Neutraceuticals | Shampoo | Gels | Drops
DIVISIONS OF LEZAA BIOTECH
Lezaa Health Care | FACE AMOUR COSMO | KareMed | Lezaa Ayurveda
+91 7027104999, +91 9468188437, +91 8059280999
Plot No. 165, Food Park, Phase 1, Sector 2 HSIIDC, Saha, Ambala-133104 (HR)
Branch Office: Plot No. 397-398 Jaggi, Garden, Ambala (HR)
Manufacturing Unit: Khasra No. 21/1/2, Binjhol Road Near Gas Godown, Panipat, Haryana-132103
E-mail: lezaaayurveda@gmail.com lezaabiotech@gmail.com
Visit: www.lezaaayurveda.com
www.lezaabiotechpharma.com, www.lezaabiotech.com

फ्रॉड करने पर 7 अस्पताल PMJAY योजना से बाहर, एफआईआर दर्ज

अहमदाबाद (गुजरात): प्राप्त समाचार के अनुसार फ्रॉड करने पर 7 अस्पतालों को PMJAY योजना से बाहर कर दिया है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत इलाज करवाने वाले 2 मरीजों की मौत होने पर राज्य सरकार ने मामले में संज्ञान लिया। धांधली करने वाले 7 अस्पतालों को योजना से बाहर कर दिया गया है और इनके संचालकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी गई है। गुजरात के नामी अस्पताल के मालिकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। बताया गया है कि अस्पताल के मालिकों ने पैसे कमाने के लिए योजना का गलत इस्तेमाल किया है। जब मामले की जांच की तो राज्य के 7 अस्पताल दोषी पाए गए। राज्य के स्वास्थ्य सचिव धनंजय द्विवेदी ने बताया कि 95 अस्पतालों का दौरा किया गया। इनमें से कई अस्पतालों में धांधली मिली और उन पर 20 करोड़ का जुर्माना लगाया है। आरोप है कि इन अस्पतालों ने 44 लाख रुपये की अवैध कमाई की। राज्य के 95 अस्पतालों ने योजना का गलत इस्तेमाल किया। इनमें से 7 अस्पताल और 4 डॉक्टरों ने घोटाले की हदें पार कर डाली। इस घोटाले के कारण सरकार को 8.94 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। इन सात अस्पतालों में ख्याति अस्पताल, अहमदाबाद के नारीत्व महिला मेडिकल स्टूडियो, राजकोट के निहित बेबीकेयर चिल्ड्रन हॉस्पिटल, वडोदरा और सूरत स्थित सनशाइन ग्लोबल अस्पताल, सोमनाथ के एवरेस्ट अस्पताल, अहमदाबाद के शिव अस्पताल और जूनागढ़ स्थित समन्वय अस्पताल का नाम शामिल है। इन अस्पतालों पर झूठी कार्डियोलॉजी सर्जरी, लैब रिपोर्ट में हेराफेरी, 98 बच्चों की झूठी एक्स-रे रिपोर्ट, ऑपरेशन, अपकोडिंग और मरीजों से ज्यादा पैसे वसूलने के आरोप हैं। बता दें कि गुजरात सरकार ने हाइब्रिड मॉडल के तहत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना मुख्यमंत्री अमृतम को मंजूरी दी थी। इसके तहत बीमार मरीज 1 लाख रुपए तक का भुगतान करेगा, जबकि बाकी राशि राज्य सरकार के ट्रस्ट से दी जाएगी।

www.medicaldarpan.com

फार्मा कंपनी हेलियॉन पीथमपुर में 2 हजार करोड़ का निवेश करेगी

इंदौर (मध्यप्रदेश): फार्मा कंपनी हेलियॉन ने 2 हजार करोड़ का निवेश करने की बात कही है। इसके लिए कंपनी ने इंदौर के पीथमपुर में 40 एकड़ जमीन मांगी है। फार्मा और कन्ज्यूमर हेल्थ प्रोडक्ट में दुनिया की नामी कंपनी हेलियॉन यूके बेस्ड है और पीथमपुर में जमीन मांगी है। यहां 2 हजार करोड़ से अधिक के निवेश करने की योजना है। कंपनी के प्रतिनिधिमंडल ने पीथमपुर के स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क और फार्मा सेज जाकर जमीन पसंद की है। मप्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (एमपीआईडीसी) के कार्यकारी संचालक राजेश राठौर ने कंपनी के प्रतिनिधियों को प्रोजेक्ट, निवेश और रोजगार की जुड़ी जरूरी जानकारी दी। बताया गया कि मुख्यमंत्री मोहन यादव निवेश प्रोत्साहन कार्यक्रम के तहत विदेशी कंपनियों को आमंत्रित करने इंग्लैंड, जर्मनी और इटली गए थे। इस दौरान उन्होंने हेलियॉन ग्रुप के प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया था, जिसके बाद कंपनी ने एमपी में निवेश में इच्छा जताई है।

रेड में 1.33 करोड़ के एंटीबायोटिक का स्टॉक जब्त

हैदराबाद (तेलंगाना): दवा फैक्ट्री पर रेड में 1.33 करोड़ के एंटीबायोटिक का स्टॉक जब्त किया गया है। यह कार्यवाही ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन, तेलंगाना ने बायोटेक पार्क, करकापटला, सिद्दीपेट में की। बताया गया कि ये दवाएं गलत तरीके से अपने नाम से रूस को निर्यात करने तथा एंटीबायोटिक दवाओं की अवैध पैकिंग के लिए की गई। औषधि नियंत्रण अधिकारी के अनुसार गुप्त सूचना के आधार पर औषधि नियंत्रण प्रशासन के अधिकारियों ने सिद्दीपेट जिले के कराकापटला स्थित विनिर्माण संयंत्र पर छापा मारा। फैक्ट्री के तैयार माल गोदाम में एंटीबायोटिक दवाओं का भारी स्टॉक बरामद हुआ। यह औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के प्रावधानों का उल्लंघन है।

प्राइवेट अस्पताल में मरीज की मौत पर हंगामा, शव रखकर किया प्रदर्शन

लखनऊ: प्राइवेट अस्पताल में मरीज की मौत के बाद परिजनों ने हंगामा खड़ा कर दिया और शव रखकर प्रदर्शन किया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और प्रदर्शनकारियों को समझा बुझाकर शांत कराया। जानकारी अनुसार दुबग्गा के अंधे की चौकी स्थित बालाजी अस्पताल में मजदूर की मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने इलाज में डॉक्टरों की लापरवाही का आरोप लगाया और अस्पताल के बाहर शव रखकर प्रदर्शन किया। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने परिजनों को शांत कराया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। महिपतमऊ निवासी अयोध्या लोधी ने बताया कि भाई बब्लू मजदूरी करता था। बब्लू को बुखार आया था। बब्लू को कसमंडी रोड स्थित न्यू बालाजी अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मरीज की मौत से परिवारजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया और अस्पताल के बाहर शव रखकर प्रदर्शन करने लगे। पुलिस ने मौके पर आकर आक्रोशित परिवारजनों को समझाकर शांत कराया।

दवा प्रचार मामले में रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को समन

तिरुवनंतपुरम। प्राप्त समाचार के अनुसार दवा प्रचार मामले में रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को एर्नाकुलम की एक अदालत ने समन भेजा है। बाबा रामदेव और दिव्य फार्मेसी के आचार्य बालकृष्ण को औषधि नियंत्रण विभाग द्वारा दायर मामलों में कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया गया है। कक्कनद में न्यायिक प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट अदालत ने अवैध दवा प्रचार के को लेकर दो अलग-अलग आदेश जारी किए। विभाग ने इन मामलों में रामदेव और आचार्य दोनों पर औषधि एवं जादुई उपचार (आपत्तिजनक विज्ञापन) अधिनियम की धारा 3(डी) का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। अदालत ने एक मामले में आरोपियों को 30 जनवरी को समन जारी किया और दूसरे मामले में आरोपियों को अगले साल 17 फरवरी को पेश करने के निर्देश दिए। इसके अलावा तिरुवनंतपुरम में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने भी विभाग द्वारा दायर एक अन्य मामले में उन्हीं आरोपियों को नोटिस जारी किया है। मामले की सुनवाई 21 नवंबर को होगी। ड्रग्स कंट्रोल डिपार्टमेंट ने रामदेव द्वारा प्रवर्तित दिव्य फार्मेसी के खिलाफ कोझिकोड (4 मामले), पलक्कड़ (3 मामले), एर्नाकुलम (2 मामले) और तिरुवनंतपुरम (1 मामला) की विभिन्न अदालतों में भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित करने के लिए कुल 10 मामले दर्ज किए हैं। राज्य का ड्रग्स कंट्रोल डिपार्टमेंट अप्रैल में भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित करने के लिए पतंजलि आयुर्वेद के खिलाफ अदालत में मामला दर्ज करने वाली देश की पहली ड्रग लाइसेंसिंग एजेंसी बन गई है। पतंजलि की दिव्य फार्मेसी ने 30 से अधिक मामलों में उन बीमारियों के लिए दवा उत्पादों का विज्ञापन किया। इनके इलाज का विज्ञापन नहीं किया जाना चाहिए। कन्नूर के एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता डॉ. बाबू के.वी. द्वारा दायर की गई शिकायत के आधार पर मामले शुरू किए गए थे।

छापेमारी: डॉक्टर के बिना चल रहे निजी अस्पताल

लखनऊ: प्राप्त समाचार के अनुसार डॉक्टर के बिना ही ज्यादातर निजी अस्पतालों का संचालन किया जा रहा है। यह खुलासा सीएमओ की टीम ने राजधानी में अस्पतालों की जांच के दौरान किया है। टीम ने पांच निजी अस्पतालों पर छापा मारा तो केवल एक में डॉक्टर मिला। मरीजों का इलाज स्टाफ कर रहा था। नर्सिंग होम के नोडल अधिकारी डॉ. एपी सिंह व उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. केडी मिश्रा ने ठाकुरगंज इलाके के द यूनिक हॉस्पिटल, बालागंज अस्पताल, स्टार हॉस्पिटल, मेडलाइफ हॉस्पिटल व ऑक्सीजन हॉस्पिटल में छापा मारा। बालागंज अस्पताल को छोडकर किसी में भी पूर्णकालिक चिकित्सक नहीं मिला। हॉस्पिटल में बायोमेडिकल वेस्ट के निस्तारण की उचित व्यवस्था भी नहीं थी। टीम ने पांचों अस्पतालों को नोटिस जारी किया है।

यूनिक हॉस्पिटल में डेंगू मरीजों के इलाज में लाप. रवाही मिली। डेंगू के इलाज के लिए तय प्रोटोकॉल का यहां उल्लंघन हो रहा था। बायोमेडिकल वेस्ट के निस्तारण की व्यवस्था भी ठीक नहीं थी। वहीं, बालागंज अस्पताल में मरीजों के अभिलेख अधूरे थे। फार्मेसी पर कोई भी पंजीकृत फार्मासिस्ट मौजूद नहीं था। स्टार हॉस्पिटल में भर्ती मरीजों के इलाज के लिए कोई भी डॉक्टर नहीं मिला। जीएनएम की प्रशिक्षु मरीजों का इलाज कर रही थी। उधर, मेडलाइफ हॉस्पिटल में एमबीबीएस डॉक्टर नहीं था। एचआईवी पॉजिटिव मरीज के जैव अपशिष्ट के निस्तारण की व्यवस्था मानकविहीन मिली। इसके अतिरिक्त, ऑक्सीजन हॉस्पिटल में कोई पूर्णकालिक डॉक्टर नहीं था। रैंप अत्यंत फिसलनयुक्त था जिसमें सुधार की जरूरत है। नर्सिंग होम के नोडल अधिकारी डॉ. एपी सिंह के मुताबिक, एक अस्पताल को छोडकर कहीं पर कुशल डॉक्टर नहीं मिले। कई अन्य खामियां भी मिलीं। पांचों अस्पतालों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया है। जवाब नहीं मिलने पर इनके संचालन पर रोक लगाई जाएगी।

दवा दुकानदार के घर पर रेड, लाखों की दवाएं जब्त

झंझारपुर। प्राप्त समाचार के अनुसार दवा दुकानदार के घर पर रेड कर लाखों रुपये कीमत की अंग्रेजी नशीली दवाएं जब्त की गई है। यह कार्यवाही झंझारपुर पुरानी बाजार के एक घर पर सहायक औषधि नियंत्रक प्रदीप कुमार द्वारा गठित टीम ने की। आरोपी दुकानदार अमित नायक के खिलाफ एफआई दर्ज की गई है।

नशीली दवा बेचने की शिकायत पर औषधि विभाग की टीम ने झंझारपुर पुरानी बाजार के नायक फार्मा की दवा दुकान पर रेड की। टीम को दुकान में कोई भी नशीली दवा नहीं मिली। इसके बाद टीम अमित नायक के घर पहुंची। घर पर जांच के दौरान कार्टन में दवा मिली। प्रति. बंधित दवा में नाइट्रोजी पाम, ट्रामाडोल, कोडिंग सिरप व अन्य शामिल थे। इन्हें जब्त कर लिया गया। जब्त दवा की अनुमानित कीमत लगभग 8 लाख रुपए बताई गई है। थानाध्यक्ष रंजीत कुमार ने बताया कि भारी मात्रा में जब्त दवा की सूची बनाई जा रही है। इसके बाद केस दर्ज किया जाएगा। फिलहाल पुलिस मामले की गहन जांच में जुटी हुई है। छापेमारी टीम में गोविंद कुमार, अजय कुमार राय, विकास कुमार गुप्ता, किरण कुमारी एवं संगीता कुमारी शामिल रहे।

फर्जी डॉक्टर की गलत दवा खाने से मरीज की मौत, गिरफ्तार

बलौदा बाजार (छत्तीसगढ़): फर्जी डॉक्टर से ली गई गलत दवा खाने से एक की मौत हो गई और दो बीमार पड़ गए हैं। ये घटना मुंडा गांव की है। यहां खुद को आयुर्वेद का डॉक्टर बताने वाले राजेश मिश्रा लंबे समय से मरीजों का इलाज कर रहे थे। पीडितों की पहचान दिनेश वर्मा, मोहन धीवर और राहुल वर्मा के रूप में हुई है। ये सभी सामान्य सर्दी, खांसी और बुखार से पीडित थे। दवा खाने के बाद तीनों गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। इनमें से एक दिनेश वर्मा की मौत हो गई जबकि दो की हालत गंभीर बताई गई है। एसडीओपी कौशल किशोर वासनिक ने बताया कि हमें शिकायत मिली कि तीन लोग अस्पताल में भर्ती थे, जिनमें से एक की मौत हो गई। मामले की जांच में पता चला कि आरोपी राजेश मिश्रा ने इन तीन लोगों को होम्योपैथिक दवा दी थी। ये खांसी, सर्दी और बुखार से पीडित थे। दवा खाने के बाद उन्हें देर रात अस्पताल में भर्ती कराया गया। आरोपी मौके से भाग गया लेकिन बाद में उसे गिरफ्तार कर लिया गया।

ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन की तस्करी पकड़ी

लखनऊ: प्राप्त समाचार के अनुसार अवैध ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन की तस्करी का मामला पकड़ में आया है। जीआरपी ने इसकी खेप को बिहार से लाकर खपाने वाले तीन तस्करों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में तीनों ने सीतापुर, हरदोई, लखीमपुर, बाराबंकी समेत अन्य जिलों में किसानों, दवा कारोबारियों और पोल्ट्री फार्म संचालकों को ऑक्सीटोसिन की सप्लाई करने की बात स्वीकारी है। जीआरपी प्रभारी धर्मवीर सिंह ने बताया कि ठाकुरगंज निवासी मो. इलियास, पारा निवासी श्यामू गुप्ता और हरदोई निवासी सुलखान सिंह को बुद्धेश्वर चौराहे के पास से गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में आरोपियों ने कुबूला कि वे बिहार से कम दाम पर ऑक्सीटोसिन लेकर ट्रेन के जरिये लखनऊ भेजते थे। बिहार से लाई गई ऑक्सीटोसिन की ये फुटकर में सप्लाई करते थे। इससे पकड़े जाने का खतरा कम रहता है। बता दें कि ऑक्सीटोसिन का इस्तेमाल दुधारू पशुओं पर किया जाता है। पशुओं को इंजेक्शन लगाने के बाद वे सुस्त हो जाते हैं। इसके बाद उनका सारा दूध निकाल लिया जाता है। इससे पहले भी 16 नवंबर को चारबाग जीआरपी की टीम ने लखनऊ जंक्शन के पार्सलघर से 1087 लीटर ऑक्सीटोसिन के 38 पैकेट बरामद किए थे। इसकी कीमत एक करोड़ 93 लाख रुपये बताई गई थी। आरोपियों ने बताया कि छपरा के संतोष सिंह ने छपरा-लखनऊ जंक्शन एक्सप्रेस से कुल 43 पैकेट लखनऊ भेजे थे। गिरोह में शामिल सीतापुर के साथियों ने पांच पैकेट रिसीव भी कर लिए थे। इसी बीच जीआरपी को भनक लग गई और 38 पैकेट जब्त कर लिए गए। पड़ताल में तीन आरोपियों के नाम उजागर हुए और उन्हें गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया।

दवा कंपनी मैनकाइंड ने भारत सीरम्स का हिस्सा रखा गिरवी

मुंबई। दवा कंपनी मैनकाइंड फार्मा ने अपने स्वामित्व वाली भारत सीरम्स का हिस्सा कैटलिस्ट ट्रस्टीशिप लिमिटेड के पास गिरवी रख दिया है। बताया गया है कि यह कदम 10 अक्टूबर को क्रियान्वित तीन डिबेंचर ट्रस्ट डीड्स की व्यवस्था के तहत उठाया गया। 39.68 फीसदी हिस्सा गिरवी रखने से 5,000 करोड़ के गैर-परिवर्तनीय ऋणपत्र (एनसीडी) जारी करना संभव हुआ। इस करार को 14 नवंबर को औपचारिक रूप दिया गया है। कंपनी की ओर से बताया गया है कि बीएसवी के इक्विटी शेयर तब तक गिरवी रहेंगे, जब तक कि एनसीडी का निपटान नहीं होता। कैटलिस्ट ट्रस्टीशिप एनसीडी धारकों के लाभ के लिए कॉमन सिक्योरिटी ट्रस्टी के तौर पर काम करेगा। गौरतलब है कि सितंबर में मैनकाइंड फार्मा ने ऐलान किया था कि वह एनसीडी और वाणिज्यिक प्रतिभूतियों के निजी नियोजन के आधार पर 10,000 करोड़ रुपये तक जुटाएगी। मैनकाइंड फार्मा ने 23 अक्टूबर को बीएसवी के पूर्ण स्वामित्व का अधिग्रहण किया था। गिरवी के जरिये जुटाई गई रकम से मैनकाइंड फार्मा की रणनीतिक पहल और वृद्धि योजना को सहारा मिलने की उम्मीद है।

सरकारी डॉक्टर ने निजी अस्पताल ले जाकर किया ऑपरेशन, मौत

लखनऊ। सरकारी डॉक्टर द्वारा निजी अस्पताल ले जाकर ऑपरेशन करने के चलते मरीज की जान चली जाने का मामला प्रकाश में आया है। केजीएमयू के ईएनटी विभाग के एक डॉक्टर ने अपने यहां आए एक मरीज को जल्दी ऑपरेशन का झांसा देकर निजी अस्पताल में भर्ती करवाया। फिर वहां ले जाकर ऑपरेशन किया। इसके बाद मरीज की हालत बिगडने लगी तो उसे केजीएमयू के शताब्दी फेज-दो में वेंटिलेटर पर भर्ती करवाया, जहां उसकी मौत हो गई। पीड़ित परिवार ने मदेयगंज पुलिस और केजीएमयू प्रशासन से इसकी शिकायत की है। इस पर विभागीय जांच शुरू हो गई है। वहीं, एडिशनल डीसीपी सेंट्रल मनीषा सिंह का कहना है कि सीएमओ से रिपोर्ट मांगी गई है। रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। लखीमपुर निवासी सुरेंद्र सिंह ने शिकायत में बताया कि उनकी पत्नी पूनम मौर्य (32) की आवाज भारी हो गई थी। वह 23 सितंबर को पूनम को इलाज के लिए केजीएमयू लाए थे। यहां कान-नाक-गला (ईएनटी) विभाग में दिखाने पर डॉक्टरों ने बताया कि गले के भीतर मांस बढ़ गया है। इसे काटकर निकालने के लिए डॉक्टरों ने ऑपरेशन की सलाह दी। इसके बाद डॉ. रमेश कुमार ने केजीएमयू में भर्ती की तारीख काफी दिन बात मिलने की बात कही।

"यदि किसी का स्वभाव अच्छा है तो उसे किसी और गुण की क्या जरूरत है? यदि आदमी के पास प्रसिद्धि है तो भला उसे और किसी श्रृंगार की क्या आवश्य कता है?"
-चाणक्य

अमृत और मृत्यु – दोनों ही इस शरीर में स्थित हैं. मनुष्य मोह से मृत्यु को व सत्य से अमृत को प्राप्त होता है

"यदि किसी का स्वभाव अच्छा है तो उसे किसी और गुण की क्या जरूरत है? यदि आदमी के पास प्रसिद्धि है तो भला उसे और किसी श्रृंगार की क्या आवश्यकता है?" –चाणक्य

जहरीली गैस के कारण कर्मचारी की मौत

अनकापल्ली (आंध्र प्रदेश)। फार्मा कंपनी में जहरीली गैस के कारण एक कर्मचारी की मौत हो जाने का मामला सामने आया है। वहीं, नौ अन्य को विभिन्न अस्पतालों में इलाज के लिए भर्ती कराया है। जिला अग्निशमन अधिकारी पी नागेश्वरराव ने बताया कि अनकापल्ली जिले के परवाड़ा में टैगोर फार्मा में गैस लीक हो गई। जहरीली गैस के कारण एक व्यक्ति की मौत हो गई। गैस रिसाव की घटना के बाद नौ अन्य को अस्पताल में भर्ती कराया गया और उनका इलाज चल रहा है। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वाईएसआरसीपी अध्यक्ष वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने परवाड़ा में टैगोर फार्मा में गैस रिसाव हादसे पर चिंता जताई है। इस बीच, अनकापल्ली जिला कलेक्टर विजय कृष्णन और पूर्व मंत्री और वाईएसआरसीपी नेता गुडीवाड़ा अमरनाथ ने अस्पताल में घायलों से मुलाकात की। गुडीवाड़ा अमरनाथ ने कहा कि ऐसी घटनाएं अक्सर होती रहती हैं। कंपनी द्वारा अपनाए जाने वाले मानदंडों की राज्य सरकार द्वारा सख्ती से निगरानी की जानी चाहिए। मैं सरकार से अपील करता हूं कि वे इसे बहुत गंभीरता से लें और कंपनियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करें।

अमृत और मृत्यु – दोनों ही इस शरीर में स्थित हैं. मनुष्य मोह से मृत्यु को व सत्य से अमृत को प्राप्त होता है

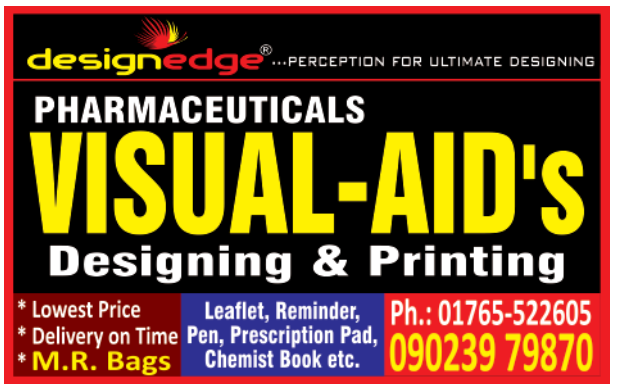

नशीली दवाओं का जखीरा बरामद

बरेली (उप्र): मेडिकल स्टोर मालिक के घर से नशीली दवाओं का जखीरा बरामद किया गया है। यह कार्यवाही सीबीगंज क्षेत्र में औषधि विभाग की टीम ने की। टीम ने नारकोटिक व एलोपैथिक दवाओं को सीज कर मेडिकल संच. ालक को गिरफ्तार कर लिया है। सीबीगंज के तिलियापुर में मोहम्मद शाहरोज बिना लाइसेंस के मेडिकल स्टोर चला रहा था। यहां से बड़े पैमाने पर नारकोटिक नशीली दवाओं की बिक्री हो रही थी। जिलाधिकारी को मामले की शिकायत पहुंची तो औषधि टीम ने मेडिकल संचालक के घर पर छापेमारी की।

अस्पताल में चोरों ने काटी ऑक्सीजन सप्लाई पाइप, 11 नवजातों की जान पर संकट

राजगढ़। प्राप्त समाचार के अनुसार अस्पताल में चोरों ने ऑक्सीजन सप्लाई की पाइप काट डाली, जिससे 11 नवजातों की जान पर संकट बन गया। मामला मध्य प्रदेश में राजगढ़ जिला अस्पताल का है। जिस पाइप से नवजात शिशुओं को एसएनसीयू में ऑक्सीजन की सप्लाई की जा रही थी, उसे ही चोर काटकर ले गए। पाइप कटते ही ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो गई। अलार्म बजते ही अस्पताल प्रबंधन ने वैकल्पिक ऑक्सीजन सिलिंडर से किसी तरह बच्चों की जान बचाई। जानकारी के अनुसार एसएनसीयू वार्ड में बीती रात 23 शिशुओं को भर्ती किया गया था। 11 शिशु ऑक्सीजन सपोर्ट पर थे। तडके करीब 4.30 बजे अज्ञात चोर प्लांट के नजदीक से ही करीब 10 फीट लंबा पाइप काट ले गए। ऑक्सीजन सप्लाई बंद होने से जब बच्चे रोने–चिल्लाने लगे।

स्वास्थ्य कर्मी कुछ समझ पाते, तब तक ऑक्सीजन खत्म होने की जानकारी देने वाला अलार्म बज उठा। खतरे की भनक लगते ही डॉक्टर पहुंचे और वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर रखे ऑक्सीजन सिलिंडर चालू कर बच्चों की जान बचाई। वहीं, दो दिन से मेडिकल कालेज स्थित अस्पताल में भर्ती ग्राम बर्रीघाट निवासी बुजुर्ग कल्याण सिंह दांगी ने सुबह दम तोड़ दिया। स्वजन ने उनके साथ पड़ोसी गांव मानपुर के चार लोगों द्वारा मारपीट और जहर खिलाने का आरोप लगाया है। घटना सोमवार की बताई जा रही है। पुलिस ने शव का पोस्टमॉर्टम कराकर स्वजनों को सौंप दिया है।

नशीले इंजेक्शन ले जा रहे स्कूटी सवार दो युवक दबोचे

हरिद्वार (उत्तराखंड)। प्राप्त समाचार के अनुसार नशीले इंजेक्शन ले जा रहे स्कूटी सवार दो युवकों को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। आरोपियों के पास से 4600 नशीले इंजेक्शन बरामद हुए हैं। इनकी बाजारी कीमत करीब 5 लाख रुपए बताई गई है। बता दें कि नशा तस्करी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में हरिद्वार जिले में नशे के दो सौदागर गिरफ्तार किए गए हैं। दोनों युवकों के पास से 4,600 नशीले इंजेक्शन बरामद किए हैं। सिडकुल थाना पुलिस और सीआईयू (क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन यूनिट) की टीम ने सूर्य नगर जाने वाले रास्ते पर जांच अभियान चलाया। इस दौरान स्कूटी पर सवार दो संदिग्ध युवकों को रोका गया। रजत सैनी और राहुल कुमार नामक दोनों युवकों की स्कूटी की तलाशी ली तो उसमें 4,600 नशीले इंजेक्शन बरामद हुए। मौके पर मौजूद ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती ने जांच के बाद इन इंजेक्शनों को अवैध बताया।पूछताछ में दोनों आरोपी नशीले इंजेक्शनों के संबंध में कोई वैध दस्तावेज नहीं दिखा पाए। इस पर दोनों के खिलाफ सिडकुल थाने में मामला दर्ज कर लिय गया। बताया गया कि आरोपी तस्कर रजत सैनी पहले से ही आपराधिक गति. विधियों में लिप्त रहा है। उसके खिलाफ हत्या के प्रयास, गैंगस्टर एक्ट और आर्म्स एक्ट के तहत कई मामले दर्ज हैं।

दवा के भ्रामक विज्ञापन पर अंकुश लगाएगी सरकार

नई दिल्ली। दवा के भ्रामक विज्ञापन पर सरकार जल्द ही अंकुश लगाने जा रही है। बताया गया है कि चमत्कारी पेय, मधुमेह को सौ प्रतिशत ठीक करने का दावा करने वाले उत्पाद, और कद बढ़ाने का वादा करने वाले पूरक के भ्रामक विज्ञापनों के बारे में आयुष मंत्रालय को शिकायतें मिल रही हैं। इसके चलते केंद्र सरकार स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में भ्रामक विज्ञापनों पर अंकुश लगाने के प्रयास में जुटी है। आयुष मंत्रालय एक पोर्टल विकसित कर रहा है। इसमें ऐसे विज्ञापनों की रिपोर्ट करने और उनकी शिकायतों पर की गई कार्रवाई को ट्रैक किया जा सकेगा। इस पोर्टल के जनवरी तक लॉन्च होने की संभावना है। मंत्रालय को सौंपी गई शिकायतों की सूची में सोशल मीडिया पोस्ट, उपभोक्ताओं के पत्र, अन्य मंत्रालयों के अधिकारियों के संचार, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण के नोटिस और ईमेल शामिल हैं। शिकायत में बताया गया कि एक जादुई पेय 90 प्रतिशत दिल की रुकावटों, अंतिम चरण की किडनी की बीमारी को ठीक करने और इंसुलिन पर निर्भर मधुमेह रोगियों को ठीक करने का वादा करता है। अन्य शिकायतों में बालों के विकास को बढ़ावा देने का दावा करने वाला हेयर ऑयल शामिल हैं।

जन्मदिन पर ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं

MR. SUNIL REGUNDWAR JI	CHANDRAPUR	01/01/1995	9960145912
SHRI NANAK BHAI THAKKAR JI	BANASKANTHA	01/01/1958	9427755411
DR. RAJ KUMAR JI	MEERUT	01/01/1988	9927619460
DR. YOGESH KUMAR VASHISHTHA JI	BULANDSHAHR	01/01/1960	9719196260
DR. SANDEEP KUMAR JI	BULANDSHAHR	01/01/1970	9412612041
SHRI. DINESH KUMAR JI	BULANDSHAHR	01/01/1985	8057565818
SHRI. MONU KUMAR JI	BULANDSHAHR	01/01/1985	7248161984
SHRI PRIYANSH AGARWAL JI	BALAGHAT	01/01/1988	9713885250
SHRI GOPESH KUMAR SHARMA JI	ALWAR	01/01/1986	9414838458
SHRI SANJAY SINGH JI	VARANASI	05/01/1973	9919195439
SHRI SWAPNIL JAIN JI	JALGAON	05/01/1981	9890280807
SHRI SUHA PATEL JI	SATARA	06/01/1993	8793064444
USMAN RAJPUT JI	DEHRADUN	06/01/1988	8410528153
SHRI P.B.THAKARE JI	NASHIK	06/01/1961	9423221584
SHRI ANIL L. CHAUDHARI JI	JALGAON	06/01/1963	9527485427
SHRI BAPU KHAIRNAR JI	NASHIK	06/01/1977	9922250522
SHRI MULARAM C.CHAUDHRY JI	SURAT	07/01/1983	8160936949
SHRI SANJAY L. PARMAR JI	SURAT	07/01/1989	9574244189
SHRI SHOBHARAM PAKAJI	PUNE	07/01/1973	9850916115
SHRI MANGESH R. THOOLE JI	WARDHA	09/01/1987	8390089522
SHRI RAJARAM CHAUDHRY JI	PUNE	09/01/1973	9822437661
DR. RUSTAM ALI JI	MEERUT	10/01/1978	9917729260
SHRI JAYESH G.KHUTADE JI	NASHIK	10/01/1979	9421505760
SHRI JITENDRA S. OSWAL JI	SATARA	11/01/1971	9850072894
SHRI MANOHAR SOLANKI JI	SURAT	11/01/1998	9601661300
SHRI KETAN D. KATHIRIYA JI	SURAT	12/01/1998	7575029329
SHRI SANJEEV KUMAR SHARMA JI	ETAH	12/01/1969	9837584384
SHRI SATISH D. DATE	BHANDARA	12/01/1976	9049897215
SHRI HITESH BHAI PATEL JI	SURAT	13/01/1971	9825460325
DR. JANDEV MHATRABA BALEKAR JI	PUNE	13/01/1976	9766116679
SHRI KISHOR B.SHINKAR JI	DHULE	14/01/1968	9422289996
SHRI ANUP BANSAL JI	AGRA	14/01/1973	9412425720
SHRI RAJENDRA HINGMIRE JI	NASHIK	14/01/1968	9011275300
SHRI LALIT KUAMR BANKA JI	BARGARH	14/01/1965	9938560769
INGALE RAVI	AURANGABAD	15/01/1984	9437208036
SHRI AMOL M.SHINDI JI	NASHIK	15/01/1982	7798980599
SHRI PANKAJ YEOLE JI	DHULE	16/01/1990	9765363181
SHRI AMIT GHARTE JI	NASHIK	16/01/1987	9820583083
SHRI SHRIKANT B. KADAM JI	NASHIK	17/01/1976	9175238763
MR. AFTAB ALI JI	MEERUT	17/01/1962	9412835516
SHRI NUTAN KUMAR JI	NASHIK	17/01/1970	9823471371
SHRI NAMADE CHARULATA TUSHAR JI	NASHIK	17/01/1980	9850200925
SHRI DEEPAK M. SHELAR JI	NASHIK	18/01/1970	9823357234
SHRI MANISH KABARA JI	NASHIK	18/01/1967	9326256369
SHRI PRASAD SADASHIV GUNJAL JI	PUNE	20/01/1982	9766917763
SHRI RAGHUVEER SINGHAL JI	ALWAR	20/01/1962	9461192653
SHRI MAHESH PATIL JI	JALGAON	20/01/1973	9403810839
MILIND BABURAO CHOUGULE	BELGAUM	23/01/1987	9437210677
DR.KIRAN S. SANKPAL JI	BELGAUM	25/01/1961	9448194167
SHRI ASHWANI MANGAL JI	DHAULPUR	25/01/1970	9680407979
SHRI SHASHI BHUSHAN JI	PRATAPGARH	26/01/1920	9415957687
SHRI PRAKASH G. PAWAR JI	NASHIK	26/01/2020	9850581928
SHRI AMIT JAIWAL JI	AHMEDABAD	28/01/1978	9574002849
SHRI RAJ KUMAR JI	ETAH	29/01/1975	9412181907
VANDANA JI	PUNE	30/01/1979	9552667622
SHRI NITIN V. CHAUDHRI JI	JALGAON	31/01/1973	9923954777

ड्रग सप्लायर गिरोह का भंडाफोड़, चार गिरफ्तार

नई दिल्ली। प्राप्त समाचार के अनुसार ड्रग सप्लायर गिरोह का भंडाफोड़ कर चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है। यह सफलता दिल्ली पुलिस के एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) को मिली। जब्त की गई दवाओं में प्रतिबंधित नशीली दवा ट्रामाडोल टैबलेट और पेंटाजोसिन इंजेक्शन शामिल हैं। जब्त की गई दवाओं और इंजेक्शन की कुल कीमत लगभग 1 करोड़ रुपये है। एएनटीएफ क्राइम ब्रांच के अतिरिक्त डीसीपी भीष्म सिंह ने बताया कि जब्त की गई दवाओं और इंजेक्शन की कुल कीमत लगभग 1 करोड़ रुपये है। इसके अतिरिक्त, 4 करोड़ रुपये की अनुमानित कीमत की चार अन्य संपत्तियों की पहचान की गई है। गुप्त सूचना के आधार पर महरौली-बदरपुर रोड पर बत्रा अस्पताल के पास एक आरोपी चंदन कुमार राउत को गिरफ्तार किया गया। आरोपी प्रतिबंधित ट्रामाडोल गोलियों का कारोबार करते हुए पकड़ा गया था। उसने दवा दुकानों पर काम करते हुए विभिन्न सप्लायर्स से संपर्क बना लिए थे और बड़ी मात्रा में एनआरएक्स दवाइयां बेच रहा था। इसके अलावा तीन और व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। राउत के आपूर्तिकर्ता और ओखला में शिवा फार्मा के मालिक अरविंद सिंह को गिरफ्तार किया गया। अरविंद सिंह ने कई आपूर्तिकर्ताओं से प्रतिबंधित पदार्थ मंगाने और इसे काले बाजार में बेचने की बात स्वीकार की। अरविंद सिंह के खरीदार और आपूर्तिकर्ता परशुराम को भी गिरफ्तार किया गया। उसके घर की तलाशी में ट्रामाडोल (1,147 ग्राम) युक्त 1,935 कैप्सूल और टैबलेट, अल्प्राजोलम (93 ग्राम) की 615 गोलियां और पेंटाजोसिन एम्प्यूल्स (62 मिली) जब्त हुई। तीसरे आरोपी की पहचान लाजपत नगर में हेल्थ लाइफ फार्मेसी के मालिक सुशांत गर्ग के रूप में हुई। वह अफगानिस्तान और जम्मू कश्मीर के उपभोक्ताओं को प्रतिबंधित कोडीन सिरप सप्लाई करता था। गर्ग ने सिरप को फिर से पैक करके डिलीवरी सेवा के माध्यम से थोक में वितरित करने की बात स्वीकार की। फिलहाल चारों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और जांच की जा रही है।

थेमिस मेडिकेयर की नकली दवाइयों को लेकर हाईकोर्ट सख्त

शिमला। थेमिस मेडिकेयर की नकली और घटिया दवाइयों को लेकर हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है। कोर्ट ने स्टेट ड्रग कंट्रोलर को आदेश दिए हैं कि वह थेमिस मेडिकेयर लिमिटेड की नकली और घटिया दवाइयों को लेकर दी गई शिकायत पर दो सप्ताह के भीतर निर्णय ले। न्यायाधीश संदीप शर्मा ने थेमिस मेडिकेयर लिमिटेड की याचिका का निपटारा करते हुए यह आदेश जारी किए। दर्ज शिकायत में कहा गया है कि बद्दी में विभिन्न फार्मा कंपनियों द्वारा दवा फेराक्रिलम एपीआई और फेराक्रिलम जेल, जो कि होमियोस्टेटिक पॉलीमर हैं का निर्माण किया जा रहा है। ये दवाएं निर्धारित फार्मूले/संरचना के अनुसार नहीं हैं। कोर्ट ने कहा कि किसी भी दवा को लॉन्च करने से पहले प्रयोगशाला में उसका परीक्षण किया जाता है। इसमें मानक की जांच के साथ ही दवा की संरचना भी जाँची जाती है। कोर्ट ने शिकायत में निहित आरोपों को देखते हुए ड्रग कंट्रोलर को दो सप्ताह में निर्णय लेने के आदेश दिए हैं।

क्लीनिक पर छापेमारी, दवाओं के चार सैंपल लेकर किया सील

मथुरा (उप्र)। क्लीनिक पर छापेमारी कर दवाओं के चार सैंपल लिए गए हैं। यह कार्रवई डीग गेट क्षेत्र में औषधि विभाग की टीम ने की। क्लीनिक संचालक से दवाओं के बिल भी मांगे गए हैं। टीम ने मौके से 40 हजार से अधिक कीमत की दवाओं को सीज कर कब्जे में ले लिया है। इस कार्रवाई से दवा विक्रेता एवं बिना पंजीकरण चिकित्सा कार्य करने वालों में खलबली मची हुई है। औषधि निरीक्षक प्रेम पाठक ने बताया कि शिकायत मिलने पर डीग गेट क्षेत्र में एक क्लीनिक पर रेड की थी। जांच के दौरान काफी मात्रा में बिना बिल की दवाएं मिली। सीएमओ डा. एके वर्मा के निर्देश पर डा. बीडी गौतम एवं डा. पीयूष सोनी ने उक्त क्लीनिक को सील कर दिया। बताया गया कि यहां कार्रवाई के दौरान टीम को लोगों ने घेर लिया गया था लेकिन पुलिस की सक्रियता से मामला शांत हो गया। कार्रवाई के दौरान डीआई ने कफ सीरप, बुखार-दर्द का सीरप एवं दो टेबलेट के सैंपल लिए हैं। इन चार दवाओं सहित मौके पर मिलीं सभी दवाओं के बिल भी दिखाने के लिए कहा गया है। डीआई प्रेम पाठक ने बताया कि दवा के नमूनों को जांच के लिए प्रयोगशाला भेजने के साथ क्लीनिक संचालक को नोटिस दिया है। उधर स्वास्थ्य विभाग ने क्लीनिक पर सील लगाते हुए संचालक को नोटिस दिया है।

अवैध दवा फैक्टरी का भंडाफोड़, एक्सपायर्ड दवाओं से बना रहे थे कैप्सूल

इटावा। प्राप्त समाचार के अनुसार अवैध दवा फैक्टरी का भंडाफोड़ किया गया है। सराय शेख क्षेत्र में यह दवा फैक्टरी पिछले दस सालों से बिना पंजीकरण के चल रही थी। यहां एक्सपायर्ड दवाओं से कैप्सूल बनाए जाने का मामला पकड़ में आया है। इसका पर्दाफाश औषधि विभाग की टीम ने किया। बताया गया है कि यहां बनाई जाने वाली दवाओं को झोलाछाप डॉक्टरों के जरिए मेडिकल स्टोरों तक पहुंचाया जाता था। औषधि निरीक्षक रजत पांडेय ने बताया कि छापे के दौरान फैक्टरी से 90 हजार खाली कैप्सूल, 1,186 भरी और खाली आयुर्वेदिक शीशियां, लेबल, मिक्सर, वंडरफनल, चम्मच और रंग-बिरंगे करीब 20,000 कैप्सूल बरामद किए गए। छापेमारी के दौरान फैक्टरी में दवाओं के बोरे में अधिकतर एंटीबायोटिक, पैरासीटामॉल, सिफिचिन, जोरोन, पोटेशियम और एवरसोफेनिक जैसी दवाएं थीं। यह दवाएं फरवरी और अप्रैल में एक्सपायर हो चुकी थीं। फैक्टरी के संचालक राजीव कुमार ने पूछताछ में बताया कि वह मिक्सर में एक्सपायर्ड दवाओं को पीसकर रंग-बिरंगे पाउडर में भरकर बेचते थे। औषधि विभाग ने नौ बोरे में करीब छह साल पुराना माल सीज किया और लखनऊ में जांच के लिए भेज दिया। दवाओं के सैंपल की रिपोर्ट आने के बाद आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दवाओं की कीमत लगभग छह लाख रुपये आंकी गई हैहै। यह लक्षित उपचारों के लिए योग्य रोगियों की पहचान करने, कैंसर के उपचार में परिणामों को बेहतर बनाने और व्यक्तिगत चिकित्सा को बढ़ावा देने में सहायता करता है। कंपनी के प्रबंध निदेशक और सीईओ डॉ. आनंद के ने कहा कि क्लाउडिन 18.2 आधुनिक ऑन्कोलॉजी में विशेष रूप से गैस्ट्रिक कैंसर के रोगियों के लिए जरूरी बायोमार्कर है। एक स्वीकृत लक्ष्यीकरण एंटीबॉडी के साथ, यह परीक्षण न केवल नैदानिक सटीकता को बढ़ाता है बल्कि व्यक्तिगत चिकित्सा के अंतर को भी पाटता है। यह चिकित्सकों को उपचार को अनुकूलित करने और रोगी के परिणामों में उल्लेखनीय सुधार करने के लिए सशक्त बनाता है।

दवा तस्करी के रैकेट का भंडाफोड़, दो तस्कर अरेस्ट

कोयंबटूर (तमिलनाडु)। नशीली दवा तस्करी के रैकेट का भंड़ाफोड करने में कोयंबटूर सिटी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। मौके से दो तस्कर भी अरेस्ट किए गए हैं। तस्करों के कब्जे से करीब २५ लाख रुपये की ७,८०० शामक दर्द निवारक गोलियां जब्त की गई हैं। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार लोगों में से एक हिसार एक्सप्रेस के एसी कोच में अटेंडेंट के तौर पर काम करता था और राजस्थान से ड्रग तस्करी करता था। वहीं दूसरे आरोपी ने कोयंबटूर रेलवे स्टेशन पर ड्रग ली थी। पूछताछ में पता चला कि टाइडोल और टेपेंटाडोल नामक ड्रग्स कोयंबटूर शहर में सप्लाई करने के लिए राजस्थान से मंगाई गई थी। नशीले पदार्थ की बरामदगी में की गई नौ गिरफ्तारियों से पुलिस को विशेष जानकारी मिली। जानकारी के आधार पर एक विशेष टीम सप्लाई चेन का पता लगाने में जुटी। इस क्रम में दो लोग पकड़े गए। एक हरियाणा निवासी दीपक उर्फ सिक्कंदर (२१) है, जो हिसार एक्सप्रेस के एसी कोच में अटेंडेंट के तौर पर काम करता था। उसने ट्रेन के एसी कोच में छिपाकर यह खेप तस्करी की थी। जब ट्रेन कोयंबटूर जंक्शन पहुंची, तो राजस्थान के पप्पू राम (३४) को पार्सल मिला। पुलिस ने बताया कि पप्पू राम शहर में एक हार्डवेयर की दुकान पर काम करता था। यहां उसकी मुलाकात राजस्थान के अपने सप्लायर से हुई और उसने कुछ साल पहले शहर में भी काम किया था। उन्होंने बताया कि वे इस सप्लायर की तलाश कर रहे हैं।

इसके अलावा, पुलिस ने कोयंबटूर के मदुक्कराई मार्केट रोड से पाँच सदस्यीय गिरोह को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से २६० नशीली गोलियाँ और १५५ ग्राम गांजा जब्त किया गया है। गिरोह की जाँच करने के बाद पुलिस को राजस्थान से ट्रेन के जरिए नशीली दवाएँ आने की जानकारी मिली। इसके बाद यह भंडाफोड़ हुआ।

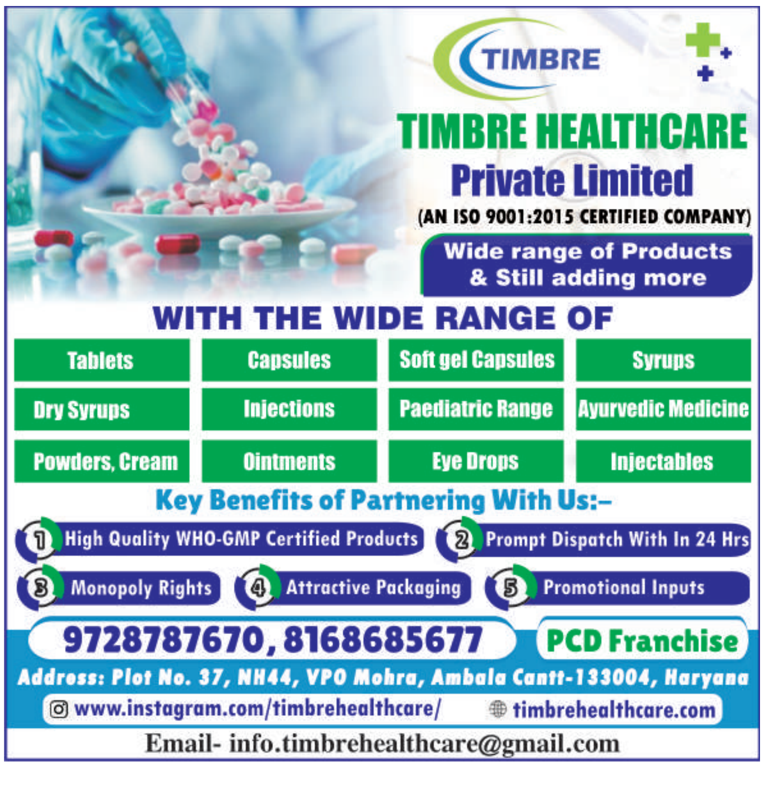

प्रतिबंधित कफ सिरप की बिक्री का आरोपी गिरफ्तार, जेल भेजा

अररिया (बिहार): प्रतिबंधित नशीली कफ सिरप की बिक्री का आरोपी गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के कब्जे से 170 बोतल कोडीन युक्त कफ सिरप और 15 हजार नगदी जब्त की गई हैं। आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर कोर्ट में पेश किया और जेल भेज दिया गया। शराबबंदी के बाद जिले में मादक पदार्थों की खरीद-बिक्री में काफी इजाफा हुआ है। अमूमन हर दिन पुलिस जिले के अलग-अलग थाना क्षेत्र से नशीली पदार्थ के साथ धंधेबाजों को दबोचने में कामयाब हो रही है। बावजूद नशे का यह धंधा थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी कड़ी में नगर थाना पुलिस ने शहर के काली बाजार वार्ड संख्या 23 से 170 बोतल कोडीन युक्त कफ सिरप,15 हजार नगद के साथ एक धंधेबाज को गिरफ्तार किया है। अपर थानेदार संजीव कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि काली बाजार का एक युवक नशीली दवा का धंधा करता है।

सरकारी अस्पताल में मिलीं एक्सपायरी दवाइयां और इंजेक्शन

दमोह (मध्य प्रदेश)। प्राप्त समाचार के अनुसार सरकारी अस्पताल में मरीजो को एक्सपायरी डेट की दवाएं और इंजेक्शन दिए जाने का मामला सामने आया है। एसडीएम सौरभ गंधर्व ने दमोह जिले के तेन्दूखेड़ा सिविल अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। जब उन्होंने अस्पताल के स्टोर रूम और यहां रखी दवाओं को देखा तो वे हैरान रह गए। उनमें अधिकांश दवाएं और इंजेक्शन एक्सपायरी डेट के मिले। ये दवाएं सिविल अस्पताल में आने वाले मरीजो को मुफ्त में सरकार की तरफ से दी जाती हैं। बड़ी तादात में मिली एक्सपायरी दवाओं और इंजेक्शन के बारे में जानकारी ली तो पता चला कि इसी स्टॉक में से रोजाना मरीजो को दवाएं दी जा रही हैं। एसडीएम ने इन दवाओ को जब्त कर लिया और आगे की कार्यवाही की जा रही है। उनहोंने बताया कि जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी।

स्टेरॉयड इंजेक्शन बेचने के आरोप में दो लोग गिरफ्तार

शिवाजीनगर (पुणे): प्राप्त समाचार के अनुसार अवैध स्टेरॉयड इंजेक्शन बेचने के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। शिवाजीनगर पुलिस ने पुणे शहर के विभिन्न जिमों में युवाओं को अवैध रूप से स्टेरॉयड इंजेक्शन, मेफेन्टरमाइन सल्फेट इंजेक्शन बेचने के आरोप में दो लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। दोनों आरोपियों के पास से 14 अवैध स्टेरॉयड इंजेक्शन बरामद किये गये हैं। इनकी कीमत करीब 10 लाख रुपये है।

उनके कब्जे से 5,000 रुपये नकद भी जब्त किये गये हैं। शिवाजीनगर पुलिस स्टेशन के प्रभारी वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक चन्द्रशेखर सावंत ने बताया कि आरोपियों की पहचान दीपक बाबूराव वाडेकर (32, निवासी खडकी) और साजन अन्ना जाधव (25, निवासी औंध) के रूप में हुई है। इस मामले में पुलिस कांस्टेबल तेजस रमेश चोपड़े ने शिकायत दर्ज कराई है। आरोपियों को नरवीर तानाजी वाडी (ना ता वाडी) में ईरानी बस्ती की ओर जाने वाली सडक पर एक कार में अवैध स्टेरॉयड इंजेक्शन के साथ पकड़ा गया था। उनके पास दवाओं का कोई बिल नहीं था और यह पाया गया कि इंजेक्शन का उपयोग करने वाले व्यक्तियों के स्वास्थ्य संबंधी संभावित खतरों को जानते हुए उन्होंने उन्हें अवैध रूप से प्राप्त किया था। शिवाजीनगर पुलिस इंजेक्शन के स्रोत का पता लगाने की जांच में जुटी है।

डिग्री वाले सात डॉक्टरों पर गिरी गाज

चंडीगढ़: प्राप्त समाचार के अनुसार फर्जी मेडिकल डिग्री वाले सात डॉक्टरों पर गाज गिरी है। हरियाणा मेडिकल काउंसिल ने इनमें से पांच के रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल कर दिए है। इन डॉक्टरों ने फर्जी डॉक्यूमेंट के आधार पर काउंसिल को रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लाई किया था। अब इन सभी के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई जाएगी। हरियाणा मेडिकल काउंसिल के रजिस्ट्रार डॉक्टर मनदीप सचेकुनाल की एनओसी फर्जी पाई गई है। हेल्थ मिनिस्टर आरती राव के निर्देश के बाद हरियाणा मेडिकल काउंसिल ने मामले की जांच की है। गौरतलब है कि काउंसिल की तरफ से हर एनओसी की जांच की जाती है। जांच के बाद ही डॉक्टरों को रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र भी मिलता है। हरियाणा मेडिकल काउंसिल के अधिकारियों का कहना है कि एनओसी फर्जी पाए जाने पर डॉक्टर भी फर्जी होता है। काउंसलिंग का कहना है कि गलत लोगों को एनओसी कौन जारी करता है, इसकी पूरी जांच की जाएगी। फिलहाल पांच डॉक्टरों का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया गया है। अन्य दो डॉक्टर्स के खिलाफ भी कार्यवाही जारी है।

मेडिकल स्टोर मालिक के घर से नशीली दवाओं का जखीरा बरामद

बरेली (उप्र): प्राप्त समाचार के अनुसार मेडिकल स्टोर मालिक के घर से नशीली दवाओं का जखीरा बरामद किया गया है। यह कार्रवाई सीबीगंज क्षेत्र में औषधि विभाग की टीम ने की। टीम ने नारकोटिक व एलोपैथिक दवाओं को सीज कर मेडिकल संचालक को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी मेडिकल स्टोर को बिना लाइसेंस के चला रहा था। सीबीगंज के तिलियापुर में मोहम्मद शाहरोज बिना लाइसेंस के मेडिकल स्टोर चला रहा था। यहां से बड़े पैमाने पर नारकोटिक नशीली दवाओं की बिक्री हो रही थी। जिलाधिकारी को मामले की शिकायत पहुंची तो औषधि टीम ने मेडिकल संचालक के घर पर छापेमारी की। मौके से करीब 4 लाख नारकोटिक व एलोपैथिक दवाएं पकड़ी गईं। इन दवाओं में एक लाख की नशीली नारकोटिक दवाएं थीं। बाकी 3 लाख की एलोपैथिक प्रकार की दवाई जब्त की गई हैं। बताया गया कि मेडिकल संचालक बिना लाइसेंस के दवा दुकान चला रहा था। मेडिकल संचालक शाहरोज को गिरफ्तार कर लिया गया है।

अलर्ट: तीन नकली दवाइयां बाजार में धड़ल्ले से बिक रहीं

नई दिल्ली। तीन नकली दवाइयां बाजार में धड़ल्ले से बिक रही हैं। इसके चलते आपको सावधान रहने की जरूरत है। केंद्रीय दवा मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) ने अक्टूबर महीने की ड्रग रिपोर्ट जारी की है। बताया गया कि बाजार में 56 दवाएं खराब क्वालिटी की मिली हैं। इनमें रोजाना इस्तेमाल होने वाली मेडिसिन भी शामिल हैं। इसके अलावा तीन नकली दवाएं भी बाजार में खुलेआम बिक रही हैं। गौरतलब है कि सीडीएससीओ की तरफ से हर महीने यह जांच होती है। इसमें बाजार में मौजूद दवाइयों के सैंपल लिए जाते हैं और उनकी जांच होती है। अक्टूबर महीने की लिस्ट में 56 दवाइयां नॉन स्टैंडर्ड क्वालिटी की निकलीं। इनमें कैल्शियम 500, विटामिन डी3 250, आईयू टेबलेट्स आईपी, सिप्रोफ्लाक्सासिन टैबलेट यूएसपी 500, एसेक्लोफेनाक, पैरासिटामोल टेबलेट्स जैसी दवाइयां शामिल हैं। फिलहाल, नकली दवाओं के नाम पता नहीं लग पाए हैं। डीसीजीआई राजीव सिंह रघुवंशी ने बताया कि जांच में अगर कोई दवा फेल होती है तो उसे स्टैंडर्ड क्वालिटी का नहीं कहा जाता। संबंधित कंपनी को नोटिस जारी किया जाता है।

आयुर्वेदिक दवा दुकानों पर रेड, 61 लाख की दवाएं जब्त

विजयवाड़ा (आंध्रप्रदेश)। प्राप्त समाचार के अनुसार आयुर्वेदिक दवा दुकानों पर छापेमारी के दौरान 61 लाख रुपये की दवाएं बरामद की गई हैं। यह कार्रवाई सतर्कता और प्रवर्तन (वी एंड ई), और आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) के अधिकारियों ने की। सतर्कता एवं प्रवर्तन तथा आयुष विभाग की 25 टीमों ने प्रदेश के 26 जिलों में आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोरों पर रेड की। टीम ने बिक्री लाइसेंस के बिना 2,599 प्रकार की एक्सपायर्ड और आयुर्वेदिक दवाएं जब्त कीं, जिनकी कीमत लगभग 61 लाख रुपये है। अधिकारियों ने बताया कि ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज (आपत्तिजनक विज्ञापन) अधिनियम 1954 की धारा 3 (डी) के तहत नंद्याल जिले में दो मामले और तिरुपति में एक मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा कि एक्सपायर्ड दवाएं बेचने वालों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी।

Beingwell Healthcare
(AN ISO 9001:2015 CERTIFIED COMPANY)
Your enquires are Welcome for Franchisee/PCD & Distribution Monopoly Bussiness for Unrepresented Area.
All OVER INDIA
Tablet | Capsules | Ointment | Injection
Soft Gel Cap. | Syrup | Ayurvedic | Sachet
LATEST & NEW DCGI MOLECULES
Parties looking for entire state URGENTLY CALL 9816702610 750889990
Full Promotional Support -
• Attractive Pramotional Corporate
• Gifts
• Visual Aids
• Order Book
• Reminder Card
• Catch Covers
• MR Bags
Third party manufacturing proposals invited
Call for more Details
SCO : 485, 2nd, Floor, M. Market, Manimajra, Chandigarh-160101
Contact: 172-5024875, 7508899900, 9816702610
Email : beingwell2015@gmail.com
Website : www.beingwellhealthcare.co.in

स्वास्थ्य विभाग ने 116 दवा उद्योगों में उत्पादन पर लगाई रोक

शिमला (हिमाचल प्रदेश): स्वास्थ्य विभाग ने 116 दवा निर्माता कंपनियों में उत्पादन पर रोक लगा दी है। इन कंपनियों के खिलाफ औषधि नियंत्रण प्रशासन ने ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स अधिनियम के तहत कार्यवाही की है। यह बात स्वास्थ्य मंत्री ने गुणवत्तापूर्ण दवाओं के संदर्भ में आयोजित समीक्षा बैठक में कही।

स्वास्थ्य मंत्री डा. (कर्नल) धनीराम शांडिल ने कहा कि प्रदेश सरकार लोगों को किफायती और गुणवत्तापूर्ण दवाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। निरीक्षण अधिकारियों ने जनवरी 2023 से अक्तूबर तक 142 निरीक्षण किए हैं। इस दौरान 116 दवा निर्माण कंपनियों की दवाएं गुणवत्ता पर सही नहीं पाई गईं। अब स्वास्थ्य विभाग ने इन कंपनियों के खिलाफ आगामी कार्यवाही शुरू कर दी है। इसमें लाइसेंस के निल.ंबन, रद्दीकरण और निर्माण रोकने संबंधी आदेश दिए गए हैं।

उन्होंने कहा कि गुणवत्तापूर्ण दवाइयां तैयार न करने पर कंपनियों के संबंधित उत्पाद को एक से दो माह की अवधि के लिए निलंबित कर दिया जाता है। जिन कंपनियों से सैंपल एकत्रित किए गए उनके विरुद्ध कानूनी प्रक्रिया अमल में लाई जाती है। कंपनियों को उनके विनिर्माण प्रक्रिया की समीक्षा के निर्देश दिए जाते हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि हिमाचल देश का फार्मास्युटिकल हब है और प्रदेश में लगभग 33 प्रतिशत दवाओं का निर्माण किया जाता है।

बैठक में प्रदेश के दवा विक्रेताओं को नशीली दवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने पर पर्ची पर स्टेंप लगाने की जरूरत पर भी चर्चा हुई, ताकि एक ही पर्ची पर बार-बार दवाओं की खरीद को रोका जा सके।

साइकोट्रोपिक मेडिसिन की अवैध बिक्री का भंडाफोड़

बद्दी, सोलन (हप्र): साइकोट्रोपिक मेडिसिन की अवैध बिक्री का भंडाफोड़ हुआ है। एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स ने बद्दी में साइकोट्रोपिक दवाओं की अवैध बिक्री का खुलासा किया है। बताया गया है कि इस कंपनी ने मात्र 8 महीने में तीन करोड़ से अधिक गोलियां बना डालीं। कंपनी के पास इन्हें बनाने का लाइसेंस है, लेकिन इन दवाओं की कहां-कहां खपत की गई, इसमें बड़ा गड़बड़झाला सामने आया है। इस मामले के तार यूपी, बिहार और महाराष्ट्र तक जुड़े हुए बताए गए हैं। एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स यूपी, बिहार में दबिश देकर किंगपिन की तलाश कर रही है। फार्मा कंपनी पर टैक्स चोरी का भी गंभीर आरोप है। दवा के जिस डिब्बे की कीमत करीब 4200 रुपये है, उसकी कीमत 225 रुपये दिखाई गई। इसे राज्य सरकार को सीधे तौर पर करोड़ों की चपत लगाई है। बता दें कि साइकोट्रॉपिक दवाएं मान.सिक स्वास्थ्य संबंधी विकारों के इलाज के लिए उपयोग की जाती हैं। मामला सामने आने के बाद थाना सीआईडी शिमला में केस दर्ज कर लिया गया है।

जानकारी अनुसार यह कार्रवाई हाल ही में ड्रग कंट्रोल विभाग और एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स ने की है। इसमें बड़ी मात्रा में ट्रामाडोल और अन्य नियंत्रित पदार्थों से युक्त दवाइयां अवैध तरीके से बेची जा रही थीं। मेसर्स मेडिक्रॉस लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड की ओर से संचालित इस फार्मास्युटिकल इकाई ने मेडिडोल एसआर, ट्रोहमा-100, प्रोक्सिमो-स्पास और अन्य साइकोट्रोपिक दवाओं का उत्पादन किया था। ड्रग कंट्रोलर ने एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स की टीम के साथ इस फार्मा यूनिट का दौरा किया था। पाया गया कि इकाई में उत्पादित दवाइयां विभिन्न राज्यों में थोक विक्रेताओं को बिना उचित रसीदों और रिकॉर्ड के बेची जा रही थीं। कुछ विक्रेताओं के दस्तावेज भी संदिग्ध पाए गए । ये दवाएं अन्य राज्यों में भी सप्लाई की जा रही थी। ऊना स्थित एक फार्मास्युटिकल्स को मेडिडोल-एसआर टैबलेट और अन्य दवाइयां भेजी गई थीं। यहां ड्रग इंस्पेक्टर ने एक छापे में अवैध रूप से स्टॉक कंट्रोल्ड ड्रग्स जब्त कीं। फार्मास्युटिकल्स के मालिक और अन्य आरोपी इस अवैध कारोबार में शामिल पाए गए। इनके पास बिक्री और आपूर्ति से संबंधित कोई उचित रिकार्ड नहीं था।

फैटी लिवर के इलाज में रामबाण सिद्ध होगी ये नई दवा

कानपुर (उप्र): फैटी लिवर के इलाज की नई दवा खोज ली गई है। यह दवा रामबाण सिद्ध होगी। लिवर फाइब्रोसिस और सिरॉसिस के इलाज की यह नई दवा आईआईटी कानपुर के बायोसाइंसेज एंड बायो इंजीनियरिंग विभाग की लैब में ईजाद की गई है। प्रोफेसर अशोक कुमार का दावा है कि री-जेनरेटिव मेडिसिन की श्रेणी वाली इस दवा से फैटी लिवर या लिवर फाइब्रोसिस को ठीक किया जा सकेगा। आईसीएमआर से क्लिनिकल ट्रायल की मंजूरी मिल गई है। महाराष्ट्र के वर्धा में जल्द ट्रायल शुरू होंगे। गौरतलब है कि बदलती लाइफ स्टाइल में फैटी लिवर एक आम बीमारी बन रही है। समस्या बढने पर लिवर में स्वस्थ ऊतक (टिश्यू) नष्ट हो जाते हैं और स्कार टिश्यू बनने लगते हैं। इससे लिवर सामान्य रूप से काम नहीं कर पाता है। प्रोफेसर कुमार ने बताया कि पूरे मानव शरीर में लिवर ही एक ऐसा अंग होता है, जो खुद को पुनर्विकसित (री-जेनरेट) कर लेता है। कुछ स्थितियों में इसका कोई इलाज नहीं होता है। हमने कुछ री-जेनरेटिव दवाएं बनाई हैं। इन दवाओं से स्वस्थ टिश्यू दोबारा विकसित होंगे। इससे लिवर फाइब्रोसिस और सिरॉसिस को ठीक किया जा सकेगा। प्रोफेसर कुमार ने बताया कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने क्लिनिकल ट्रायल की मंजूरी दे दी है। वर्धा के दत्ता मेघे हॉस्पिटल में इसका ट्रायल होगा। दिल्ली के इंस्टिट्यूट ऑफ लिवर एंड बायलरी साइंसेज से भी बातचीत जारी है। ये दवा टारगेटेड थैरपी से दी जाएंगी, ताकि शरीर के संबंधित हिस्से पर सीधा असर हो और ये बाकी शरीर में न फैले। उन्होंने बताया कि स्पाइनल कॉर्ड (मेरूरज्जु) की चोटें गंभीर होती हैं। इन चोटों से लोग लकवे का भी शिकार हो जाते हैं। परंपरागत इलाज की अपनी सीमाएं हैं। इनसे बहुत ज्यादा सुधार की गुंजाइश नहीं होती, लेकिन आईआईटी कानपुर की लैब में ऐसा मटेरियल बनाया गया है, जिसमें कंडक्टिविटी (चालकता) होती है। साथ ही इसमें कुछ फ्यूल भी इस्तेमाल किए जाएंगे।

लाइसेंस के बिना चल रहे मेडिकल स्टोरों पर रेड, केस दर्ज

औरंगाबाद: लाइसेंस के बिना चल रहे मेडिकल स्टोर पर छापेमारी का मामला सामने आया है। इस मामले में कोर्ट में केस दर्ज करवा दिया गया है। रफीगंज प्रखंड के पौथू बाजार में दुर्गा मेडिकल हॉल का संचालन बिना लाइसेंस के किया जा रहा था। इसके संचालक पौथू निवासी प्रदीप कुमार के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। औरंगाबाद रमेश चौक पर स्थित जनता मेडिकल एजेंसी का लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया है। उक्त दुकान के संचालक द्वारा औषधि भंडारण एवं क्रय विपत्र में फर्जीवाड़ा किया गया था। इस कारण इसका लाइसेंस निलंबित किया गया है। दो अन्य प्रतिष्ठान देव के संजय ड्रग स्टोर और देव के ही चट्टी में संचालित पियूष ड्रग स्टोर का लाइसेंस भी निलंबित कर दिया गया है। इन्होंने भी दवा खरीद बिक्री में गड़बड़ी की थी। वहीं रफीगंज के पौथू में संचालित न्यू शंकर मेडिकल हॉल, मदनपुर के वार में संचालित मनीष फार्मा, मदनपुर में संचालित तनीष ड्रग स्टोर, लक्ष्मी मेडिकल हॉल, अंबा में संच.ालित लालदेव मेडिकल हॉल, मदनपुर के कुमार आयुर्वेद संग्रह, इंटरनेशनल मेडिसीन्स, न्यू एरिया औरंगाबाद से स्पष्टीकरण पूछा गया है। दवा दुकानों के संचालकों के द्वारा संतोषजनक जवाब नहीं देने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। सहायक औषधि नियंत्रक अशोक कुमार आर्य ने बताया कि बगैर लाइसेंस के दवा की बिक्री करने वाले दुकानदारों पर कार्रवाई की गई है। यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगा।

औषधि विभाग ने मेडिकल स्टोर से दो दवाओं के सैंपल लिए

रायबरेली: प्राप्त समाचार के अनुसार औषधि विभाग ने मेडिकल स्टोर से दो दवाओं के सैंपल लिए हैं। ड्रग इंस्पेक्टर ने सलोन कस्बा स्थित अतुल नर्सिंग होम में संचालित मेडिकल स्टोर पर रेड की। मौके से दो संदिग्ध दवाओं के सैंपल लिए हैं और इन्हें जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया है। वहीं संदिग्ध लगने वाली पांच दवाओं की बिक्री पर रोक लगा दी है। खामियां सामने आने पर मेडिकल स्टोर संचालक को नोटिस देकर जवाब मांगा गया है। ड्रग इंस्पेक्टर शीपेंद्र प्रतान सिंह ने सलोन के अतुल हॉस्पिटल में संचालित एक मेडिकल स्टोर पर दबिश दी। यहां दवाओं की बिक्री संबंधी दस्तावेज नहीं मिले। वहीं एक्सपायर्ड दवाएं रखने के लिए अलग से रैक नहीं मिला। लाइसेंस भी दुकान पर प्रदर्शित नहीं किया गया था। संदिग्ध प्रतीत होने पर बच्चों की सीरप व दवा के सैंपल लिए हैं। नशे से संबंधित दो दवाओं समेत पांच दवाओं की बिक्री पर रोक लगा दी है। पांचों दवाओं से संबंधित बिल उपलब्ध कराने के आदेश दिए। ड्रग इंस्पेक्टर के अनुसार जांच में मिली कमियों के बारे में मेडिकल स्टोर संचालक को नोटिस देकर जवाब मांगा है।

फार्मा कंपनी पर एनजीटी ने पांच करोड़ का जुर्माना लगाया

नवांशहर (पंजाब)। फार्मा कंपनी पर एनजीटी ने पांच करोड़ का जुर्माना लगाया है। साहिबजादा अजीत सिंह नगर (नवांशहर) जिले के गांव हैबतपुर स्थित नेक्टर लाइफ साइंसेज लिमिटेड के खिलाफ यह कार्रवाई की गई। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने पर्यावरणीय नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना लगाया है। बता दें कि नेक्टर लाइफ साइंसेज एक दवा कंपनी है जो एंटीबायोटिक दवा बनाती है। बताया गया कि यह कंपनी कथित तौर पर अत्यधिक प्रदूषित रासायनिक अपशिष्ट को खेतों में बहा रही थी, जिससे फसलों और भूमि को भारी नुकसान हुआ। एनजीटी ने पंजाब स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (पीएसपीसीबी) की कार्यक्षमता पर भी सवाल उठाए हैं। ट्रिब्यूनल ने बोर्ड को निर्देश दिया कि वह दोषी कंपनी के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई शुरू करे और पर्यावरणीय मुआवजे की अंतिम राशि निर्धारित करे। एनजीटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि कंपनी अब तक जीरो लिक्विड डिस्चार्ज (जेडएलडी) मानकों को पूरा नहीं कर पाई है। जल अधिनियम का लगातार उल्लंघन भी किया जा रहा है। कंपनी मुख्य रूप से एंटीबायोटिक्स का उत्पादन करती है। अपशिष्ट जल में सेफालोस्पोरिन एंटीबायोटिक्स जैसी दवाइयों के अवशेष मौजूद हैं। जो अत्यधिक जहरीले और अवक्रमण में कठिन होते हैं। अंतरिम रूप से 5 करोड़ रुपये का जुर्माना पीएसपीसीबी को दो महीने के भीतर जमा करने का आदेश दिया गया है।

भारत में अनुमान से 3 गुणा ज्यादा टीबी रोगी

नई दिल्ली: प्राप्त समाचार के अनुसार दुनिया भर में तपेदिक (टीबी) को खत्म करने की जंग चल रही है लेकिन इस बीमारी से सर्वाधिक प्रभावित भारत में टीबी मरीजों की संख्या अनुमान से तीन गुणा ज्यादा हो सकती है। चिकित्सा क्षेत्र की पत्रिका, लॉसेंट में ताजा प्रकाशित शोधपत्र में बताया गया कि 2014 के अध्ययन में पाया गया है कि निजी क्षेत्र में करीब 19 लाख से लेकर 53.4 लाख तक मरीजों का इलाज किया जा रहा है, जोकि सरकारी अस्पतालों में इलाज करवा रहे मरीजों की संख्या से दोगुनी है।

इस अध्ययन से पहले अनुमान था कि भारत में करीब 22 लाख तपेदिक के मामले हो सकते हैं, जो दुनिया भर के तपेदिक मामलों का एक-तिहाई है। दुनिया भर में करीब 63 लाख तपेदिक के मरीज होने का अनुमान है। अध्ययन में पता चला कि निजी क्षेत्र जहां टीबी इलाज में मदद करता है। वहीं, अवरोध भी उत्पन्न करता है। हालांकि भारत में टीबी का मानकीकृत इलाज केवल सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा किया जाता है। लेकिन इसका समय पर पता लगाना और निदान करना अनियमित निजी स्वास्थ्य क्षेत्र की बड़े पैमाने पर उपस्थिति के कारण संभव नहीं हो पा रहा है। अध्ययन में कहा गया है, टीबी की जांच का मुकम्मल ढांचा नहीं होने और इलाज में देरी के कारण भारत में टीबी खत्म होने का नाम नहीं ले रही।

इमामी क्रीम 'फेयर एंड हैंडसम' के भ्रामक विज्ञापन पर 15 लाख का जुर्माना

नई दिल्ली: प्राप्त समाचार के अनुसार इमामी क्रीम 'फेयर एंड हैंडसम' का भ्रामक विज्ञापन करने पर 15 लाख का जुर्माना लगाया गया है। यह फैसला जिला उपभोक्ता फोरम ने सुनाया है। फोरम के चीफ इंदर जीत सिंह और सदस्य रश्मि बंसल ने यह आदेश पारित किया। एक शख्स ने आरोप लगाया था कि कंपनी का फेयरनेस क्रीम का विज्ञापन भ्रामक और गुमराह करने वाला है। शिकायत कर्ता ने कहा कि उसने 2013 में 79 रुपये में क्रीम खरीदी थी, लेकिन इससे उसे आशा के अनुरूप परिणाम नहीं मिला। प्रोडक्ट की पैकेजिंग और लेबल पर दिए गए निर्देशों के मुताबिक, नियमित रूप से प्रोडक्ट का उपयोग किया गया था। तेजी से चमकने वाले गोरेपन के लिए दिन में दो बार चेहरे और गर्दन पर क्रीम का प्रयोग किया, लेकिन स्किन पर गोरापन नहीं आया। कंपनी द्वारा लिखी गई बातों पर गौर किया गया कि पर्सनल केयर प्रोडक्ट से मनचाहा नतीजा हासिल करने के लिए प्रोडक्ट के सही उपयोग और पौष्टिक आहार, व्यायाम, स्वस्थ आदतें और स्वच्छ रहने की स्थिति जैसे कई फैक्टर्स की जरूरत होती है। फोरम ने कहा कि प्रोडक्ट की पैकेजिंग और लेबलिंग पर ऐसी सख्त शर्तों के बारे में नहीं बताया गया है। उपभोक्ता फोरम ने कहा कि कंपनी जानती थी कि निर्देश अधूरे हैं और अन्य फैक्टर्स का पालन न करने की वजह से रिजल्ट नहीं मिलेगा। इससे भ्रामक विज्ञापन और अनुचित व्यापार व्यवहार साबित होता है कि प्रोडक्ट और बिक्री को बढ़ावा देने के लिए ऐसी रणनीति अपनाई गई थी। निर्देश दिया गया कि कंपनी अपने प्रोडक्ट के संबंध में अनुचित व्यापार व्यवहार को बंद करे। साथ ही अपने ब्रांड एंबेसडर या अन्य से उन पैकेजों, लेबलों, विज्ञापनों को वापस ले और फिर से जानकारी प्रजेंट करें। इसके अलावा कंपनी को 14.50 लाख रुपये का हर्जाना भी जमा कराना होगा।

बुखार, दर्द व गठिया बाय की नकली दवा फैक्ट्री पकड़ी

गाजियाबाद: बुखार, दर्द व गठिया बाय की नकली दवा फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है। औषधि नियंत्रण विभाग की टीम ने मोदीनगर की मानवतापुरी कॉलोनी में दो गोदामों में छापेमारी की। मौके से बुखार, बदन दर्द, सांस रोग और गठिया बाय की नकली दवाएं जब्त की गई। इन दवाओं को देशभर में सप्लाई किया जा रहा था। दोनों गोदामों से 12 लाख कीमत की आठ लाख टैबलेट बरामद की गई हैं। गोदामों से नकली दवा बनाने में इस्तेमाल किए जाने वाले रसायन, पैकिंग का सामान और पैकिंग मशीनें भी जब्त की गई हैं। आरोपी मुकेश भाटिया को गिरफ्तार कर लिया गया है। पता चला कि घरों में बनाए गए दोनों गोदाम उसके भाई मंटू भाटिया के नाम पर हैं। यह कार्रवाई औषधि नियंत्रक विभाग की गाजियाबाद, बागपत, मेरठ और लखनऊ की संयुक्त टीमों ने की। मौके से दवाओं के आठ सैंपल लिए गए हैं। नकली दवाओं को ब्रांडेड कंपनियों के नाम पर बेचा जा रहा था। दवा बनाकर गोदाम में ही पैकिंग कराई जाती थी। जब्त की गई दवाओं में फेनिलबुटाजोन टैबलेट है जो बुखार,शरीर में सूजन और दर्द निवारक के रूप में इस्तेमाल होती है। दूसरी डेक्सामेटासोन है जो आमतौर पर सूजन दूर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। औषधि निरीक्षक आशुतोष मिश्रा ने बताया कि मुकेश भाटिया छोटी मार्केट, गोविंदपुरी का निवासी है। उसके पास न दवा बनाने का लाइसेंस है और न ही पैकिंग का। मंटू भाटिया के गोदाम से मिली दवाओं में सबसे ज्यादा मात्रा गठिया बाय की टैबलेट की है। मुकेश भाटिया ने पूछताछ में बताया है कि वह डेक्सामेटासोन स्टेरॉयड को पैक करके बाय की दवा के नाम से बेच रहा था। उसे इसकी भी जानकारी है कि स्टेरॉयड से तत्काल राहत तो मिल जाती है लेकिन इसका गैर जरूरी इस्तेमाल लिवर और गुर्दे पर बुरा प्रभाव डालता है। उसने बताया कि यूपी, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और मध्य प्रदेश में गांवों में मेडिकल स्टोर पर बाय की दवा के नाम से यह दवा बेची जाती है।

Nuliek® Healthcare
Your Enquires are Welcome For PCD/Franchise & Third Party Manufacturing
With The Wide Range Of
Tablets | Softgel / Capsules | Pediatrics | Liquid / Oral | Malt/ Oils
Churan/powder | Lotion/Serum | Ointment/Cream | Herbal Cosmetic | Sachets
Injectables | Neutraceuticals | Shampoo | Gels | Soap
More Then 500+ Products RANGE

A Division Of Nuliek Healthcare
Velty Drugs – General & Neuro & Critical Care Range
Nuliek – Ayurvedic Range
Cadkey – Cardic & Diabetic Range
Medwall – General Range
Nuliek Vision – Ophthalmic Range
+91 99967 75867, +91 97293 55867
Plot No. 06 Arjun Nagar, Nanhera Link Road (HR)-133004
nuliekhealthcare@gmail.com www.nuliek.com

सभी देशवासियों को
नववर्ष की
हार्दिक शुभकामनाऐं

Awadesh Kr. Gupta
A.K Medical Agencies
Kushinagar (U.P.) Mob. 7398300167

सभी देशवासियों को
नववर्ष की
हार्दिक शुभकानायें
Sanjeet Kumar
Shiva Drug Agencies
MADHUBANI (Bihar) Mob 8709645235

135 झोलाछाप डॉक्टर्स के खिलाफ मामले दर्ज

हैदराबाद: 135 झोलाछाप डॉक्टर्स के खिलाफ मामले दर्ज किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। तेलंगाना औषधि नियंत्रण प्रशासन (डीसीए) की जांच में इस साल 135 झोलाछाप डॉक्टर आए हैं। ये वैध रूप से दवाइयों का भंडारण और बिक्री कर रहे थे। डीसीए ने इन 135 झोलाछाप डॉक्टरों के खिलाफ मामले दर्ज किए हैं। डीसीए के महानिदेशक वीबी कमलासन रेड्डी के अनुसार अधिकारियों ने मेडचल-मलकाजगिरी जिले के मुदुचिंतलपल्ली गांव में ए नवीन रेड्डी नामक एक झोलाछाप डॉक्टर के परिसर पर रेड की। इन पर अवैध रूप से स्वप्ना क्लिनिक चलाने का आरोप है। डीसीए के अधिकारियों ने परिसर में बिना ड्रग लाइसेंस के 38 प्रकार की दवाइयों का भंडारण पाया। इनमें एंटीबायोटिक्स, मधुमेह विरोधी दवाएं, उच्च रक्तचाप विरोधी दवाएं आदि शामिल हैं। टीम ने स्टॉक को जब्त कर लिया। जब्त की दवाओं की कीमत 14,600 रुपये बताई गई है। छापेमारी के दौरान अधिकारियों ने क्लिनिक में कई एंटीबायोटिक्स – ओफ्लॉक्सासिन, जेंटामाइसिन, एमोक्सीक्लिन और पोटेशियम क्लैवुलैनेट का पता लगाया।

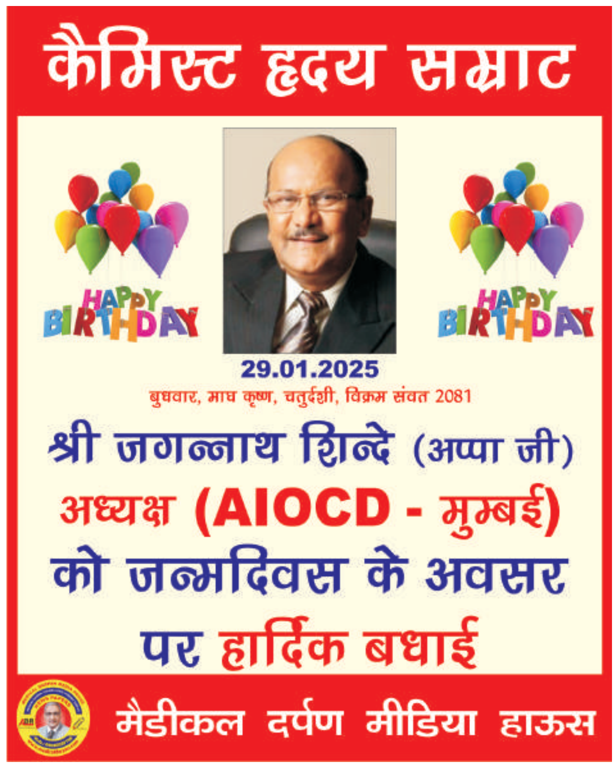

जैनैक्स की तस्करी पकड़ी, बस स्टेशन से तस्कर अरेस्ट

हैदराबाद। प्राप्त समाचार के अनुसार प्रतिबंधित नशीली दवा जैनैक्स की तस्करी पकड़ में आई है। पुलिस ने बस स्टेशन पर एक तस्कर को अरेस्ट कर 500 ग्राम प्रतिबंधित दवा अल्प्राजोलम, जिसे जैनक्स भी कहा जाता है, जब्त की है। आरोपी की पहचान रंगारेड्डी जिले के निवासी 53 वर्षीय अग्गी अशोक गौड़ के रूप में हुई है।

अफजलगंज पुलिस बस स्टैंड पर जांच कर रही थी। तभी उन्होंने प्लेटफार्म नंबर 35 पर प्लास्टिक बैग ले जाते हुए अग्गी अशोक पर संदेह हुआ। तलाशी लेने पर 500 ग्राम प्रति. बंधित दवा जैनक्स बरामद हुई। पूछताछ करने पर उसने अपने बैग में ड्रग्स ले जाने की बात स्वीकार की। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। बताया गया कि एक अन्य कथित तस्कर, रंगारेड्डी जिले के नंदीगामा निवासी अग्गी श्रीनु, निजामाबाद के बोधन मंडल के संदिग्ध दवा सप्लायर मधुनाला राजा गौड़ और मल्लेपुला लक्ष्मण गौड़ के साथ वर्तमान में फरार हैं। इन लोगों को पकडने के लिए पुलिस के प्रयास जारी हैं। तेलंगाना राज्य एंटी-नारकोटिक्स ब्यूरो (टीएसएनएबी) के अनुसार इस दवा की क्षमता को विभिन्न नियंत्रित पदार्थों की व्यावसायिक मात्रा की जांच करके समझा जा सकता है। इसमें कोकीन (100 ग्राम), हेरोइन (250 ग्राम), मॉर्फिन (250 ग्राम), अल्प्राजोलम (100 ग्राम), ओपियम डेरिवेटिव (250 ग्राम), और एम्फैटेमिन (50 ग्राम) शामिल है। हैदराबाद पुलिस ने नागरिको से अपील की है कि वे नशीली दवाओं के आदी न बनें और नशीली दवाओं की तस्करी की किसी भी घटना की जानकारी उन्हें दें।

फार्मा सिटी में निवेश के लिए छह दवा कंपनियों के साथ एमओयू

हैदराबाद (तेलंगाना)। प्राप्त समाचार के अनुसार फार्मा सिटी में निवेश के लिए छह दवा कंपनियों के साथ एमओयू किया गया है। यह समझौता तेलंगाना सरकार ने हैदराबाद के फार्मा सिटी में विनिर्माण और अनुसंधान सुविधाएं स्थापित करने के लिए प्रमुख दवा कंपनियों के साथ किया है। इन फार्मा में डॉ. रेड्डीज लैबोरेटरीज, अरबिंदो फार्मा, ग्लैंड फार्मा, हेटेरो, लॉरस लैब्स और एमएसएन लैब्स के नाम शामिल हैं। इन कंपनियों ने कुल मिलाकर 5,260 करोड़ रुपये का निवेश किया है। इससे 12,490 नौकरियां पैदा होने की उम्मीद जताई गई है। जानकारी अनुसार इन परियोजनाओं के लिए आवश्यक भूमि की पहचान कर ली गई है और अगले चार महीनों के भीतर कंपनियों को सौंप दी जाएगी। गौरतलब है कि यह विकास फार्मा सिटी को फार्मास्युटिकल विनिर्माण और अनुसंधान के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करेगा। वहीं राज्य की अर्थव्यवस्था और स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में इसके योगदान को बढ़ाएगा।

अवैध मेडिकल स्टोर पर रेड, दो लाख की दवाएं बरामद

गाजीपुर (उत्तरप्रदेश)। अवैध मेडिकल स्टोर पर छापेमारी की गई है और दो लाख की दवाएं जब्त की हैं। यह कार्रवाई खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने की। बताया गया है कि जब्त की गई दवाओं में एक्सपायर हो चुकी दवाएं भी शामिल हैं। सीज की दवाओं को जांच के लिए राजकीय प्रयोगशाला में भेजा गया है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग को नंदगंज क्षेत्र के पहाड़पुर में स्थित श्री मेधा बाबा मेडिकल स्टोर के खिलाफ शिकायत मिली थी। इसके चलते औषधि निरीक्षक बृजेश कुमार मौर्य, औषधि निरीक्षक वाराणसी जुनाब अली, औषधि निरीक्षक चंद्रेश द्विवेदी की टीम ने अवैध रूप से संचालित मेडिकल स्टोर पर दबिश दी। जांच के दौरान नंदगंज थाना की पुलिस भी मौजूद रही। स्टोर में दवाओं की जांच करने पर एक्सपायरी डेटेड दवाएं पाई गई। जिला औषधि निरीक्षक बृजेश कुमार मौर्या ने बताया कि जन सुनवाई पोर्टल पर इस मेडिकल स्टोर के खिलाफ शिकायत मिली थी। उन्होने बताया कि सैंपल की जांच रिपोर्ट आने के बाद कानूनी कार्रवई अमल में लाई जाएगा।

नशीली दवाओं समेत दो गिरफ्तार

कोलकाता (पश्चिम बंगाल)। ट्रक में नशीली दवाओं की सप्लाई करने के दो आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। यह कार्रवाई पुलिस के स्पेशल टास्क फोर्स की टीम ने गुप्त जानकारी के आधार पर की। टीम ने प्रतिबंधित नशीली दवाओं के दो सप्लायरों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गये आरोपियों के नाम बबलू प्रसाद गुप्ता एवं मोहम्मद जुल्लूर रहमान बताये गये हैं। दोनों आरा. `पी झारखंड के साहेबगंज के निवासी हैं। इन्हें मुर्शिदाबाद के बहरमपुर स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग इलाके से गुप्त सूचना पर पकड़ा गया। ये ट्रक में छिपाकर प्रतिबंधित नशीली दवाओं को ले जा रहे थे। पुलिस आरोपियों से यह पता लगाने में जुटी है कि आरोपी इन दवाओं को कहां से लेकर आये थे और कहां इसकी सप्लाई करने वाले थे।

सात मेडिकल स्टोर व अस्पताल में जीएसटी विभाग की रेड

रामपुर। प्राप्त समाचार के अनुसार सात मेडिकल स्टोर और अस्पताल में जीएसटी विभाग ने छापेमारी की है। एसआईबी-स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ब्रांच की सात टीमों ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। दवा प्रतिष्ठानों पर मौजूद उत्पाद और दवाओं की बिक्री से संबंधित कागजों और जमा टैक्स का मिलान किया गया। मेहंदी रत्ता मेडिकल स्टोर से अधिकारियों ने करीब 3.50 लाख रुपये का टैक्स जमा भी करा लिया है।

अधिकारियों का कहना है कि संबंधित सभी दवा व्यापारी और हॉस्पिटल संचालक पिछले काफी समय से टैक्स नहीं दे रहे थे। जीएसटी पोर्टल की निगरानी में अधिकारियों ने रामपुर जिले के दवा व्यवसाइयों और हॉस्पिटल संच. ालकों को चिह्नित कर लिया था। इनके यहां छापेमारी डिप्टी कमिश्नर एसआईबी विकास चौधरी के नेतृत्व वाली टीम ने आदर्श कॉलोनी स्थित आहूजा एजेंसी पर जांच की। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक दवाओं के थोक विक्रेता आहूजा एजेंसी के यहां काफी माल बेचा गया और टैक्स अदायगी नहीं की गई है। थोक दवा विक्रेता आहूजा एजेंसी, महाकाल ड्रग्स हाउस, अल्फा मैक्स हॉस्पिटल, नोवा हॉस्पिटल, केयर हॉस्पिटल और मेहंदी रत्ता मेडिकल स्टोर एवं बाबा मेडिकल स्टोर पर टीमों ने जांच की है।

रिपोर्ट: सरकारी योजनाओं के तहत मुफ्त इलाज के बावजूद टीबी मरीजों को 32,000 रुपये तक खर्च करने पड़ रहे

नई दिल्ली: एक नए शोध से पता चला है कि भारत में टीबी से पीड़ित व्यक्ति औसतन इलाज के दौरान करीब 32,000 रुपये खर्च करता है। जबकि रोगी की जेब से होने वाले कुछ खर्च सीधे होते हैं, जैसे कि निदान या अस्पताल में भर्ती होने पर होने वाले खर्च, बाकी अप्रत्यक्ष होते हैं, उदाहरण के लिए, मजदूरी के नुकसान के कारण होने वाले खर्च। राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम (एनटीईपी) के तहत मुफ्त निदान और देखभाल के बावजूद, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर), भारत के लिए डब्ल्यूएचओ देश कार्यालय के टीबी सहायता नेटवर्क और केंद्रीय टीबी प्रभाग के प्रमुख विशेषज्ञों द्वारा किए गए शोध से पता चलता है कि रोगियों को उच्च लागत उठानी पड़ती है, मुख्य रूप से उत्पादकता में कमी और अस्पताल में भर्ती होने के कारण। शोधकर्ताओं ने मई 2022 और फरवरी 2023 के बीच एनटीईपी के तहत अधिसूचित 1,400 से अधिक टीबी रोगियों के उपचार की लागत को मापा। भयावह लागत को टीबी देखभाल पर होने वाले खर्च के रूप में परिभाषित किया गया था जो वार्षिक घरेलू आय का 20% से अधिक था। ग्लोबल हेल्थ रिसर्च एंड पॉलिसी (जीएचआरपी) जर्नल में प्रकाशित परिणामों के अनुसार, अध्ययन प्रतिभागियों के बीच टीबी देखभाल की कुल लागत का औसत 32,000 रुपये (लगभग) था। अध्ययन में पाया गया कि टीबी से पीड़ित 45% लोगों द्वारा अनुभव की जाने वाली भयावह लागतों ने ज्यादातर गरीबों को प्रभावित किया। शोधकर्ताओं ने बताया कि टीबी की प्रारंभिक सूचना को सक्षम करना, टीबी से पीड़ित व्यक्तियों को शामिल करने के लिए स्वास्थ्य बीमा योजनाओं का विस्तार करना और टीबी के सामाजिक निर्धारकों को संबोधित करने के लिए टीबी संवेदनशील रणनीतियों को लागू करना रोगियों द्वारा वहन की जाने वाली भयावह लागतों को काफी कम कर सकता है। हालांकि एनटीईपी के तहत टीबी का निदान और उपचार निःशुल्क है, लेकिन टीबी से पीड़ित व्यक्ति को वेतन में कमी का सामना करना पड़ता है और वेतनभोगी काम से अनुपस्थिति, निदान, दवा संग्रह या अनुवर्ती जांच के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं के दौरे के कारण उत्पादकता में कमी का सामना करना पड़ता है, जो गैर-प्रत्यक्ष लागत है। शोधकर्ताओं ने बताया कि प्रत्यक्ष लागत ज्यादातर निदान से पहले या टीबी निदान या उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती होने के दौरान होती है। अध्ययन में कहा गया है, संभावित टीबी से पीड़ित व्यक्ति को टीबी का निदान होने से पहले कई बार स्वास्थ्य सुविधा का दौरा करना पड़ता है, निदान से पहले लंबी अवधि के कारण अधिक खर्च होता है।

छोटे अणुओं का युग समाप्त: विशेषज्ञों ने जैविक और बड़े अणुओं पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया

मुंबई: प्राप्त समाचार के अनुसार महामारी के कारण पैदा हुए लॉजिस्टिक संकट ने दवा उद्योग की व्यापार पारिस्थितिकी तंत्र में कमजोरियों को उजागर किया और चीनी आयात पर अत्यधिक निर्भरता को कम करने की अनिवार्यता को रेखांकित किया, जो लंबे समय में न तो व्यवहार्य है और न ही टिकाऊ है। इस अहसास ने चीन+1 रणनीति अपनाने के लिए आम सहमति को बढ़ावा दिया है। शुरुआत में, वैश्विक वित्तीय व्यवस्था में इन पुनर्संरेखणों ने कई दक्षिण एशियाई खिलाड़ियों को अप्रत्याशित लाभ प्रदान किए, जो छोटे पैमाने पर काम कर रहे थे, लेकिन उनके पास समान क्षमताएं थीं। इन लाभार्थियों में, भारत से उत्पाद लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआई) योजना जैसी नीतिगत पहलों के समर्थन से नेतृत्व की उम्मीद थी। हालांकि, पीछे मुड़कर देखें तो भारतीय फार्मा उद्योग ने इस अवसर से मिश्रित परिणाम निकाले हैं। फिर भी, बायोसिक्योर एक्ट जैसे संरक्षणवादी उपायों के जारी रहने के साथ-साथ अमेरिका में नए राष्ट्रपति द्वारा टैरिफ वृद्धि की प्रस्तावनाओं के साथ, देश को पिछली गलतियों को सुधारने और इस बढ़े हुए अवसर का लाभ उठाने का दूसरा मौका मिला है। इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर गहन विचार-विमर्श करते हुए, ईटीफार्मा के फ्यूचर-रेडी सप्लाई चेन समिट के दूसरे संस्करण में, चीन +1 से बायोसिक्योर एक्ट तक: अस्थिर दुनिया में जोखिम कम करने की रणनीतियाँ विषय पर एक पैनल चर्चा आयोजित की गई, जहाँ प्रमुख उद्योग नेताओं ने अपने अनुभव साझा किए और भारतीय फार्मा उद्योग के सामने आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए रणनीतियां प्रस्तावित कीं। पैनल में सुवेन फार्मा के उपाध्यक्ष अन्नास्वामी वैधीश, आरपीजी लाइफसाइंसेज के प्रबंध निदेशक युगल सीकरी, सन फार्मास्यूटिकल्स के आपूर्ति श्रृंखला के वैश्विक प्रमुख श्रीनिवास राव नंदीगम, मैनकाइंड फार्मा के वरिष्ठ अध्यक्ष संचालन अभय श्रीवास्तव, पीआई इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष और समूह आपूर्ति श्रृंखला प्रमुख अरुणाभ रायचौधरी; वेक्टर कंसल्टिंग ग्रुप के पार्टनर चंद्रचूड़ दत्ता शामिल थे और चर्चा का संचालन ईटीफार्मा के संपादक विकास दांडेकर ने किया।

अमेरिकी FDA ने जीलैंड फार्मा की आंत्र रोग की दवा को मंजूरी देने से किया इनकार

बेंगलुरु: प्राप्त समाचार के अनुसार अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने जीलैंड फार्मा की आंत्र रोग की दवा को मंजूरी देने से इनकार कर दिया है और दवा की सुरक्षा और प्रभावकारिता की पुष्टि करने के लिए अतिरिक्त परीक्षण की मांग की है, कंपनी ने कहा। स्वास्थ्य नियामक ने अपने तथा कथित पूर्ण प्रतिक्रिया पत्र में निष्कर्ष निकाला है कि जीलैंड के आवेदन ने दवा, ग्लेपाग्लूटाइड की प्रस्तावित खुराक की प्रभावशीलता और सुरक्षा को साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं दिए हैं, कंपनी ने कहा। यह डेनिश बायोटेक के लिए दूसरा हालिया झटका है, जब अमेरिकी FDA ने अक्टूबर की शुरुआत में शिशुओं के लिए इसकी कम रक्त शर्करा वाली दवा को मंजूरी देने से इनकार कर दिया था। जीलैंड आंत्र विफलता के साथ शॉर्ट बाउल सिंड्रोम से पीड़ित वयस्कों के इलाज के लिए ग्लेपाग्लूटाइड का अध्ययन कर रहा था जो पैरेंट्रल सपोर्ट पर निर्भर हैं। पैरेंट्रल सपोर्ट एक चिकित्सा प्रक्रिया है जिसमें पाचन तंत्र को दरकिनार करते हुए नस के माध्यम से रोगियों को पोषण और तरल पदार्थ दिए जाते हैं। शॉर्ट बाउल सिंड्रोम एक दुर्लभ, पुरानी स्थिति है जो छोटी आंत के कामकाज को प्रभावित करती है, जिससे पोषक तत्वों का अवशोषण खराब होता है। कंपनी के अनुमान के अनुसार, यह संयुक्त राज्य अमेरिका में लगभग 7,500 वयस्क रोगियों को प्रभावित करता है। कंपनी ने कहा कि लेट-स्टेज ट्रायल के दौरान सप्ताह में दो बार ग्लेपाग्लूटाइड के साथ उपचार ने प्लेसबो की तुलना में रोगियों में पैरेंट्रल सपोर्ट की आवश्यकताओं को कम करने में महत्वपूर्ण और बेहतर प्रभाव दिखाया। दवा की एक बार साप्ताहिक खुराक ने पैरेंट्रल सपोर्ट को भी कम कर दिया, लेकिन परिणाम सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण नहीं था, यह जोड़ा। जीलैंड संयुक्त राज्य अमेरिका में विनियामक अनुमोदन को सुरक्षित करने के लिए आवश्यक कदमों पर संरेखित करने के लिए FDA के साथ चर्चा जारी रखेगा।कंपनी 2025 में एक लेट-स्टेज ट्रायल शुरू करने की योजना बना रही है, जिससे संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप के बाहर ग्लेपाग्लूटाइड के लिए विपणन अनुमोदन का समर्थन करने की उम्मीद है।

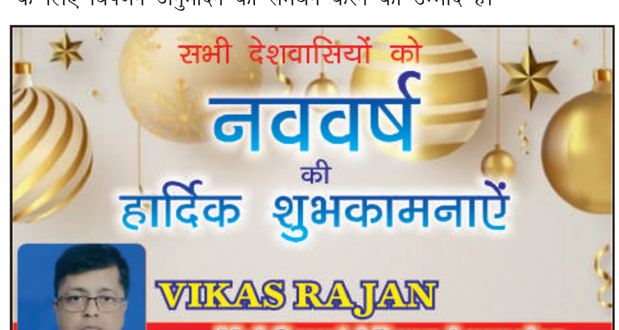

एम्स ने मूत्र मार्ग संक्रमण के अध्ययन के लिए बीएफआई के साथ सहयोग किया

नई दिल्ली: अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) दिल्ली ने आवर्ती मूत्र पथ के संक्रमण के संभावित निशानों की पहचान करने के लिए आनुवंशिक और एपिजेनेटिक कारकों का पता लगाने के लिए ब्लॉकचेन फॉर इम्पैक्ट (बीएफआई) के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। विज्ञप्ति में कहा गया है कि आवर्ती मूत्र पथ के संक्रमण (आरयूटीआई) एक प्रमुख स्वास्थ्य देखभाल और आर्थिक बोझ का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो रोगी की रुग्णता और जीवन की गुणवत्ता पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं और यह साझेदारी आवर्ती मूत्र पथ के संक्रमण के संभावित निशानों की पहचान करने के लिए आनुवंशिक और एपिजेनेटिक कारकों की खोज करने वाली परियोजना का समर्थन करेगी। साझेदारी पर टिप्पणी करते हुए, एम्स दिल्ली के निदेशक डॉ एम श्रीनिवास ने कहा, बीएफआई-बायोम मेडिकल आईएनआई अनुदान कार्यक्रम से समर्थन हमें चिकित्सा विज्ञान में नई सीमाओं का पता लगाने में सक्षम बनाता है। बीएफआई के सीईओ डॉ. गौरव सिंह ने कहा, यह तालमेल निस्संदेह भारतीय जैव चिकित्सा अनुसंधान में प्रगति को गति देगा, जो अंतत: स्वास्थ्य सेवा पारिस्थितिकी तंत्र की बेहतरी में योगदान देगा और बीएफआई-बायोम सपोर्ट फॉर एडवांसमेंट इन मेडिकल एंड एप्लाइड रिसर्च फॉर ट्रांसफॉर्मेटिव हेल्थकेयर (समर्थ) अनुदान का उद्देश्य भारत में रोगी देखभाल में सुधार के लिए जैव चिकित्सा अनुसंधान में तेजी लाना है। एम्स दिल्ली में माइक्रोबायोलॉजी विभाग की अतिरिक्त प्रोफेसर डॉ. सरिता महापात्रा के नेतृत्व में इस परियोजना को बीएफआई-बायोम मेडिकल आईएनआई अनुदान कार्यक्रम के तहत वित्त पोषित किया गया है, जो ब्लॉकचेन फॉर इम्पैक्ट बायोमेडिकल वर्चुअल नेटवर्क (बीएफआई-बायोम) के माध्यम से राष्ट्रीय महत्व के चिकित्सा संस्थानों (आईएनआई) का समर्थन करता है। बीएफआई द्वारा निर्मित इस नेटवर्क का उद्देश्य बहुक्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना, अपस्ट्रीम और गहन विज्ञान अनुसंधान का समर्थन करना तथा भारत में जैव-चिकित्सा अनुसंधान को मजबूत करने के लिए नवाचार को बढ़ावा देना है।

मैनकाइंड फार्मा को दिल्ली हाईकोर्ट ने दी राहत

नई दिल्ली। मैनकाइंड फार्मा को दिल्ली हाईकोर्ट ने राहत प्रदान की है। कोर्ट ने गुजरात स्थित कृषि उत्पाद निर्माता इकाई को अपने उत्पादों के लिए मैनकाइंड एग्री सीड्स निशान का इस्तेमाल करने पर रोक दिया है।

जस्टिस अमित बंसल ने मैनकाइंड एग्री सीड्स के खिलाफ ट्रेडमार्क उल्लंघन के मुकदमे में मैनकाइंड फार्मा के पक्ष में अंतरिम आदेश पारित किया। कहा गया कि मैनकाइंड एग्री सीड्स के खिलाफ प्रथम दृष्टया उल्लंघन और पासिंग ऑफ का मामला बनता है। न्यायालय ने एडवोकेट उदय भारत बाली को स्थानीय आयुक्त के रूप में नियुक्त किया है। वे उल्लंघनकारी उत्पादों की तलाशी और जब्ती के लिए मैनकाइंड एग्री सीड्स के परिसर का दौरा करेंगे।

मैनकाइंड फार्मा ने आरोप लगाया कि प्रतिवादी इकाई दवा कंपनी की साख और प्रतिष्ठा का फायदा उठाने के लिए मैनकाइंड ट्रेडमार्क का उपयोग कर रही थी। न्यायालय ने कहा कि प्रतिवादी इकाई द्वारा मैनकाइंड व्यापार नाम का उपयोग बाजार में भ्रम पैदा करने की संभावना है। सुविधा का संतुलन वादी के पक्ष में और प्रतिवादियों के खिलाफ है। यदि प्रतिवादी विवादित व्यापार नाम का उपयोग करना जारी रखता है, तो वादी को अपूरणीय क्षति होगी। कोर्ट ने स्थानीय आयुक्त को आयोग के निष्पादन के दो सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है।

औषधि विभाग ने तीन मेडिकल स्टोरों पर की रेड, 4 दवाएं मिली संदिग्ध

सोनभद्र (बिहार)। औषधि विभाग ने तीन मेडिकल स्टोरों पर छापेमारी की और चार दवाओं को संदिग्ध पाया। यह कार्रवाई अनपरा और रेणुकूट के मेडिकल स्टोरों पर की गई। रेणुकूट में दो मेडिकल स्टोर से चार संदिग्ध दवाओं के सैंपल लिए और अनपरा में एक मेडिकल स्टोर को सील कर दिया गया। सीमावर्ती क्षेत्र अनपरा और रेणुकूट में नशीली दवाई के दुरुपयोग को रोकने के लिए दवा विभाग ने छापेमारी की। इस दौरान रेणुकूट में दो मेडिकल स्टोर से चार संदिग्ध दवाओं के सैंपल लिए गए। इन्हें लैब में गुणवत्ता जांच के लिए भेजा जा रहा है।

ड्रग इंस्पेक्टर राजेश मौर्य ने बताया कि जांच रिपोर्ट आने पर औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम के तहत कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने बताया कि अनपरा स्थित आए एक्स मेडिकल के संचालक को बार-बार फोन करके निरीक्षण के लिए बुलाया गया, लेकिन मेडिकल संच. ालक कार्यवाही के डर से मौके पर उपस्थित नहीं हुआ। जिसके उपरांत आर एक्स मेडिकल स्टोर अनपरा को सील कर दिया गया। ड्रग इंस्पेक्टर ने बताया कि मेडिकल स्टोर संचालक कोडीन युक्त कफ सिरप का सेल और परचेज रिकार्ड ड्रग आफिस को उपलब्ध कराएं।

बुखार, बीपी समेत 38 दवाओं के सैंपल फेल, रहें सावधान!

बीबीएन। प्राप्त समाचार के अनुसार बुखार, बीपी समेत 38 दवाओं के सैंपल जांच में फेल पाए गए हैं। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन और राज्य दवा नियामकों ने इनकी जांच की थी। सीडीएससीओ ने अक्तूबर माह का ड्रग अलर्ट जारी किया है। इनमें 37 तरह की दवाएं ,इंजेक्शन व आई ड्रॉप्स हिमाचल के 33 उद्योगों में निर्मित हैं और क्वालिटी टेस्ट में फेल मिली हैं। इन दवाओं का इस्तेमाल दर्द, गैस्ट्रोइसोफेगल रिलक्स रोग, काला बुखार ,एनीमिया, हार्ट फेल, हाईबीपी, चेचक, संक्रमण व मधुमेह के इलाज के लिए किया जाता है। इसके अलावा, पशुओं में संक्रमण के इलाज का इंजेक्शन भी जांच में खरा नहीं उतरा है। जांच में अमानक पाई गई दवाओं व इंजेक्शन का निर्माण कालाअंब, बीबीएन,परवाणू, सोलन, कांगड़ा के संसारपुर टैरेस में हुआ है। ओडिशा, एमपी, गुजरात, महाराष्ट, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, उतराखंड ,सिक्किम, पंजाब, मुंबई , तिरुवंतपुरम स्थित दवा उद्योगों में निर्मित 53 वाएं व इंजेकशन भी सबस्टेंडर्ड निकले हैं। हिमाचल के सभी उद्योगों को नोटिस जारी कर दवा व इंजेक्शन का पूरा बैच बाजार से वापस मंगवाने के निर्देश दिए गए हैं।

सूची में शामिल प्रमुख दवा सैंपल में सेफेम-200 टैबलेट, सेफपोडोक्साइम प्रोक्सेटिल डिस्पर्सिबल टैबलेट, डिवलप्रोएक्स सोडियम एसआर टैबलेट, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स टैबलेट, इट्राकोनाजोल कैप्सूल अमानक पाए गए। वहीं, सेफिक्साइम डिस्पर्सिबल टैबलेट, ऑर्सेमाइड टैबलेट, कफ डीएम सिरप, मोंटेलुकास, सिप्रो लोक्सासिन हाइड्रोक्लोराइड, टायरप्सिन काइमोट्रिप्सिन टैबलेट, रोजुटिन दस टैबलेट और रैबलकेम कैप्सूल पेुल मिले हैं। राज्य औषधि नियंत्रक मनीष कपूर ने बताया कि ड्रग अलर्ट में शामिल बैचों को बाजार से वापस लेने के निर्देश दे दिए हैं। कंपनियों को अपेक्षित अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए नोटिस जारी किए जा रहे है। उन्होंने कहा कि जिन कंपनियों के बार-बार सैंपल फेल हो रहे है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सीडीएससीओ की जांच में आठ इंजेक्शन सबस्टैंडर्ड निकले हैं। इनमें मतली और उल्टी के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला प्रोक्लोरपेरजाइन मेसिलेट इंजेक्शन शामिल है। एंबिलिप इंजेक्शन बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन से ग्रस्त है और इसमें ए फोट फॉस्फेट इंजेक्शन की परख का अभाव है। साथ ही बीटामेथ्सानो सोडियम फॉस्फेट इंजेक्शन में कणिका तत्व पाए गए। श्वसन पथ के इलाज के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले एनरॉक्सासिन इंजेक्शन में 'पीएच' की दिक्कत मिली। बैक्टीरियल इंजेक्शन के लिए इस्तेमाल होने वाला टाइकोन एस इंजेक्शन, ए पुसिलीन आईजी इंजेक्शन और मैनक्लाव इंजेक्शन भी सूची में शामिल हैं। सीडीएससीओ ने देशभर से लिए सैंपल में 90 दवाएं अमानक पाई गई। इनमें 28 दवाएं, आठ इंजेक्शन व एक आई ड्रॉप हिमाचल प्रदेश की 33 दवा कंपनियों में बने हैं। जांच में कुल 56 दवा उत्पाद के सैंपल फेल हुए है। इस सूचि में हिमाचल के 24 सैंपल शामिल है, जबकि राज्य दवा नियामकों दवारा की गई जांच में कुल 34 सैंपल फेल हुए हैं।

ड्रग वेयर हाउस के निर्माण में देरी, एजेंसी पर 85 लाख का जुर्माना

उन्नाव। ड्रग वेयर हाउस के निर्माण में देरी करने पर संबंधित एजेंसी पर 85 लाख का जुर्माना लगाया गया है। मामला सहजनी स्थित अस्पताल में बन रहे ड्रग वेयर हाउस का है। काम आठ महीने लेट होने पर निर्माण एजेंसी को स्वास्थ्य महानिद. ेशालय ने कुल लागत का 10 फीसदी यानी 85 लाख का जुर्माना लगाया है। वहीं, दिसंबर में हरहाल में काम पूरा करने के निर्देश दिए हैं।

स्वास्थ्य विभाग के प्रस्ताव पर जिले में ड्रग वेयर हाउस के निर्माण को शासन ने मंजूरी दी थी। इसके बाद सहजनी स्थित महिला अस्पताल में 8. 50 करोड़ से अक्तूबर 2022 से निर्माण शुरू हुआ था। अप्रैल 2024 में निर्माण पूरा होना था, लेकिन एजेंसी काम पूरा नहीं कर सकी। इससे स्वास्थ्य महानिदेशालय ने कुल लागत में से 10 फीसदी यानी 85 लाख रुपये की कटौती करने के आदेश दिए हैं। दिसंबर में काम किसी भी हाल में पूरा करने के लिए कहा है।

बता दें कि ड्रग वेयर हाउस बनने से जिले के सरकारी अस्पतालों को कम समय में दवाएं उपलब्ध हो सकेंगी। अभी तक मांग पत्र भेजने के बाद दवाओं की सप्लाई में तीन से चार दिन लग जाते हैं। वेयर हाउस बनने के बाद दवा कंपनियों से सीधे सप्लाई हो सकेगी।

ट्रक से 1,71,500 नशीली गोलियां बरामद

फाजिल्का (पंजाब)। नशीली टेबलेट्स की तस्करी का भंडाफोड़ करने में पुलिस को सफलता मिली है। यह कार्रवाई सीआईए-2 फाजिल्का कैंप एट अबोहर की टीम ने की। पुलिस ने राजस्थान से आ रहे एक ट्रक से 1,71,500 नशीली गोलियां और 14 किलोग्राम पोस्त बरामद की। बताया गया कि फाजिल्का के वरिष्ठ कप्तान पुलिस वरिंदर सिंह बराड़ पीपीएस की अगुवाई में फाजिल्का पुलिस नशा तस्करों के खिलाफ विशेष अभियान चला रही है। इस अभियान के तहत अबोहर की टीम को मुखबिर से सूचना मिली थी कि मंगी लाल बिश्नोई राजस्थान से ट्रक में नशीली गोलियां और पोस्त लाकर पंजाब में बेचता है। सूचना के तहत अबोहर-गंगानगर रोड पर बस अड्डा गुमंजाल के पास नाकाबंदी की गई। राजस्थान से आ रहे ट्रक को रोका तो आरोपी मंगी लाल बिश्नोई ट्रक रोककर मौके से फरार हो गया। ट्रक में पशु चारे के साथ 1,71,500 नशीली गोलियां और 14 किलोग्राम पोस्त बरामद हुआ। दोषी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस आरोपी मंगी लाल की तलाश में जुटी है। जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लेने की बता कही गई है।

मेडिकल स्टोरों पर औषधि विभाग की रेड

आगरा (उप्र): प्राप्त समाचार के अनुसार नकली दवा बेचने की शिकायत पर मेडिकल स्टोरों पर छापेमारी की गई है। औषधि विभाग की टीम ने 6 मेडिकल स्टोरों पर रेड की। टीम ने दवाओं की बिक्री-खरीद और भंडारण के रिकॉर्ड की जांच की। दुकानदारों को नोटिस देकर दवाओं की खरीद-बिक्री के रिकॉर्ड तलब किए हैं। आठ दवाओं के सैंपल लेकर जांच के लिए लैब भेजे हैं। सहायक आयुक्त औषधि अतुल उपाध्याय ने बताया कि वर्टिन टैबलेट की निर्माता कंपनी ने बाजार में नकली दवा बिकने की शिकायत की थी। यह दवा ईएनटी रोग विशेषज्ञ लिखते हैं। कंपनी की ओर से 4 मेडिकल स्टोरों की सूची भी दी गई। इस पर टीम ने रामबाग चौराहा स्थित जय बजरंग मेडिकल स्टोर में छापा मारा। यहां वर्टिन-8 एमजी की 75 और वर्टिन-16 एमजी की 39 टैबलेट मिलीं।

यहां से सैंपल लिया गया है। वहीं, गुप्ता मेडिकल स्टोर में वर्टिन-16 एमजी की 43, वर्टिन-8 एमजी की नौ टैबलेट पाई गईं। यहां से एक अन्य दवा का सैंपल लिया गया। दयालबाग स्थित बीएस मेडिकल स्टोर पर वर्टिन-16 एमजी की 34 टैबलेट, वर्टिन-8 एमजी की 30 टैबलेट मिलीं। इनकी संख्या कम मिली, जिस कारण इनका सैंपल नहीं लिया गया। दिल्ली गेट स्थित गांधी कैमिस्ट में वर्टिन-8,16 और 24 एमजी की बिक्री का पता चला। वर्टिन समेत पैनटीपी-डी कैप्सूल की खरीद-बिक्री के बिल मांगे हैं। इनके अलावा बाबा ड्रग हाउस से 4 दवाओं के सैंपल लिए हैं। जयश्री राम मेडिकल स्टोर पर इक्का-दुक्का ही दवाएं मिलीं। जांच रिपोर्ट आने पर आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

विटामिन डी2 के आयातित सैंपल की मात्रा 50 ग्राम रहेगी : एफएसएसएआई

नई दिल्ली: विटामिन डी2 के आयातित सैंपल की मात्रा अब केवल 50 ग्राम रहेगी। यह आदेश भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने जारी किए हैं। यह बदलाव विटामिन डी2 की 500 ग्राम की उच्च लागत को देखते हुए किया गया है। इससे पहले,खाद्य सुरक्षा और मानक (प्रयोगशाला और नमूना विश्लेषण) विनियम, 2011 विटामिन डी2 को खाद्य पदार्थ निर्दिष्ट नहीं के तहत वर्गीकृत किया गया था। इसके लिए 500 ग्राम का सैंपल जरूरी था। मिले सुझावों के आधार पर एफएसएसएआई ने इस जरूरत में बदलावा किया है। इसके तहत अधिकृत अधिकारियों को आयातित विटामिन डी2 का कम से कम 50 ग्राम का सैंपल लेने का निर्देश दिया गया है। इसमें 25-25 ग्राम के दो सैंपल शामिल होंगे।

ये होंगे लाभ : एफएसएसएआई ने नियम 9(9) के प्रावधान के अनुसार सैंपल सुरक्षित पाए जाने पर शेष सैंपल खाद्य आयातक को वापस कर दिया जाएगा। इसलिए सैंपल का दूसरा 25 ग्राम हिस्सा परीक्षण पूरा होने और उत्पाद को सुरक्षित समझे जाने के बाद आयातक को वापस कर दिया जाएगा। सैंपल के आकार को 500 ग्राम से घटाकर 50 ग्राम करने से विटामिन डी2 के आयातकों की लागत में काफी कमी आएगी। यह परिवर्तन परीक्षण के लिए प्रयुक्त मूल्यवान सामग्री की मात्रा को न्यूनतम कर देता है।

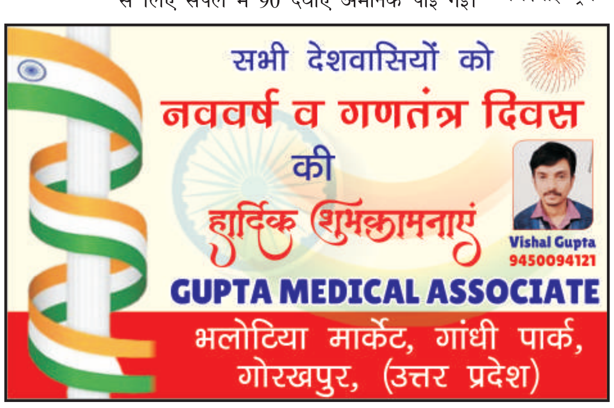

एआईओसीडी – ऑल इंडिया केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के कार्यकारिणी सदस्यों की सभा संपन्न

हरिद्वार– देवभूमि उत्तराखंड की पावन भूमि हरिद्वार में दिनांक 7 एवं 8 नवंबर को होटल हयात पैलेस में एआईओसीडी के ई.सी. मेंबर्स की एक शानदार सभा का आयोजन किया गया. देश भर के हर राज्य के ई.सी. मेंबर्स ने इस आयोजन में बड़े ही हर्ष के साथ भाग लिया.

वरिष्ठ पदाधिकारियों के अलावा सभी अतिथियों का तिलक और उत्तराखंडी टोपी पहनाकर स्वागत किया गया. इस आयोजन में उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धनसिंह रावत जी ने भी शिरकत की. अध्यक्ष श्री जे. एस. शिंदे जी ने आने वाले वक्त में दवा व्यापार में आने वाली परेशानियों से बचने के लिए सभी देश भर के सभी केमिस्ट भाइयों को एकजुट रहने की अपील की. पदाधिकारी श्री प्रसाद दानवे, सचिव श्री राजीव सिंघल एवं कोषाध्यक्ष श्री अमित गर्ग जी ने भी अपने विचार रखे. सभा में मौजूद सभी मेंबर्स ने पदाधिकारियों का आभार प्रकट करते हुए उन्हें हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया.

उत्तर प्रदेश से राजीव अग्रवाल, गोरखपुर से योगेन्द्र दूबे, बस्ती से राजेश सिंह, देहरादून से मनीष नंदा, संजीव तनेजा, रुड़की से गजेंद्र शर्मा, संजय गोयल, अवनीश शर्मा मैस्कॉट हेल्थ सीरीज हरिद्वार के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री नरेंद्र कुकरेजा एवं कर्मवीर सिंह और विशेष रूप से संस्था के कोषाध्यक्ष अमित गर्ग जी की मेहनत और लगन ने इस कार्यक्रम को यादगार बना दिया. 2 दिन के इस कार्यक्रम में पहले दिन 7 दिसंबर को मेडिकल दर्पण मीडिया हाउस के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री ब्रजेश गर्ग जी ने अपने उत्तराखंड एवं मुंबई प्रतिनिधि अभय सिंघल जी के साथ सभी वरिष्ठ पदाधिकारी से भेंट कर उन्हें अपनी शुभकामनाएं दीं. मेडिकल दर्पण के सोशल मीडिया पर श्री जे एस शिंदे जी ने देश भर के केमिस्ट भाइयों को एक लघु संदेश भी दिया.

मेडिकल दर्पण मीडिया हाउस कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए सभी वरिष्ठ पदाधिकारी और आयोजनकर्ताओ को अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करता है.

– अभय सिंघल, मो० 9319980483.

अस्पताल में मरीज ने महिला डॉक्टर को जड़ा थप्पड़, मामला दर्ज

बिलासपुर (हिमाचलप्रदेश): प्राप्त समाचार के अनुसार अस्पताल में मरीज ने महिला डॉक्टर को थप्पड़ जड़ दिया, जिससे बवाल खड़ा हो गया। मामला क्षेत्रिय सरकार अस्पताल बिलासपुर का है। यहां ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर अनुपमा को एक मरीज ने थप्पड़ मार दिया। घटना के बाद डॉक्टर अनुपमा ने स्थानीय पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस घटना ने अस्पताल के चिकित्सा कर्मियों के बीच चिंता का माहौल बना दिया है। मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉ. एके सिंह ने कहा कि मरीजों का इस प्रकार का व्यवहार अस्वीकार्य है। चिकित्सकीय कर्मचारियों की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है। हमने इस मामले की शिकायत पुलिस में दर्ज कर दी है और उचित कार्रवाई की मांग की है। यह घटना चिकित्सा कर्मियों की सुरक्षा और कार्यस्थल पर हिंसा के प्रति जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता को उजागर करती है।

दवा सैंपल फेल होने वाले उद्योग होंगे ब्लैकलिस्ट : स्वास्थ्य मंत्री

शिमला (हिमाचल प्रदेश): प्राप्त समाचार के अनुसार दवा सैंपल फेल होने वाले उद्योगों को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। ये चेतावनी प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री कर्नल डॉ. धनीराम शांडिल ने दवा उद्योगों को दी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में ऐसे 20 उद्योग हैं जिनकी दवा के सैंपल बार-बार फेल हो रहे हैं। ऐसे उद्योगों की उनके पास सूची पहुंच गई है। अब इन उद्योगों पर कार्रवाई करने का समय आ गया है। स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने कहा है कि ऐसे उद्योगों की हिमाचल में कोई जरूरत नहीं है, जिनकी दवाओं के सैंपल फेल होने से प्रदेश की छवि खराब हो रही है। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री बनते ही ड्रग विभाग के अधिकारियों को दवाओं की गुणवत्ता पर निगरानी रखने को कहा है।

उन्होंने सभी दवा उद्योगों को निर्देश दिए कि 2 या इससे अधिक सैंपल फेल होने पर कार्रवाई की जाएगी। दवाओं के बार-बार फेल हो रहे सैंपल का उन्होंने कड़ा संज्ञान लिया है। उन्होंने ऐसे उद्योगों की सूची मांगी जिनकी दवाओं के सैंपल बार-बार फेल हो रहे हैं। करीब 20 ऐसे उद्योग हैं जिनकी दवाओं के सैंपल बार-बार फेल आए हैं। गौरतलब है कि प्रदेश में पिछले 4 महीनों में करीब 74 दवाओं के सैंपल फेल आए हैं। कुछ वर्षों के आंकड़ों को देखें तो देश में फेल हुए दवाओं के कुल सैंपल में हिमाचल में बनी दवाओं के सैंपलों की संख्या करीब 40 फीसदी है। बता दें कि देश में कुल दवाओं के उत्पादन का 40 फीसदी हिमाचल में होता है।

5070 गोलियों समेत दो तस्कर अरेस्ट

नरपतगंज, अररिया (बिहार): प्राप्त समाचार के अनुसार नशीली टेबलेट्स की तस्करी रोकने में सफलता मिली है। मौके से बाइक सवार दो तस्करों को 5070 गोलियों समेत गिरफ्तार किया गया है। यह कार्रवाई नरपतगंज प्रखंड क्षेत्र के सीमावर्ती घुरना थाना पुलिस एवं एसएसबी जवानों ने की। गुप्त सूचना मिलने पर पथराहा पंचायत अंतर्गत हरिपुर स्थित सुरसर नदी पुल के पास दो बाइक पर लोड 5070 पीस प्रतिबंधित नशीली टैबलेट जब्त की गई हैं। गिरफ्तार आरोपी बसमतिया थाना क्षेत्र के वार्ड संख्या छह निवासी सूरज कुमार पासवान एवं पथराहा पंचायत के नरहीआ वार्ड संख्या चार निवासी मो. इकबाल बताए गए हैं। घूरना थानाध्यक्ष संजय कुमार यादव एवं एसएसबी बीओपी कंपनी कमांडर धीरेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि सुरसर से नड़हौआ होकर बड़ी मात्रा में नशीली टैबलेट की तस्करी पड़ोसी देश नेपाल में की जाएगी। इसके चलते पुलिस एवं एसएसबी की संयुक्त टीम ने मौके पर दबिश दी। दो तस्करों को मोटरसाइकिल पर नशीली गोलियों ले जाते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। इस मामले में दोनों तस्करों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कोर्ट में पेश किया और न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

नशीली ट्रामाडोल टेबलेट्स की बस के जरिए तस्करी, 24 हजार गोलियां जब्त

जोधपुर (राजस्थान): प्राप्त समाचार के अनुसारनशीली ट्रामाडोल टेबलेट्स की बस में पार्सल के जरिए तस्करी का मामला पकड़ में आया है। यह कार्रवाई दिल्ली से आई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स की टीम ने की। टीम ने बस से 24 हजार नशीली टेबलेट बरामद की हैं। वहीं, जिले के बालेसर कस्बे में एक दवा दुकानदार को गिरफ्तार किया है। दोनों मामलों के आरोपियों को टीम अपने साथ दिल्ली ले गई है।

एनसीबी की टीम को सूचना मिली थी कि एक निजी यात्री बस में अवैध रूप से भारी मात्रा में नशीली दवाइयां तस्करी कर ले जाई जा रही हैं। सूचना के तहत टीम जोधपुर पहुंची और बताई गई बस को रुकवाकर जांच की। बस की जांच में यात्री लगेज वाले हिस्से में एक बॉक्स मिला। इस बॉक्स की जांच करने पर 24 हजार ट्रामाडोल टेबलेट बरामद हुई। इतनी मात्रा में इस दवा के खरीद और बेचने की जांच को लेकर टीम आरोपी को अपने साथ दिल्ली ले गई है। वहीं, एनसीबी टीम ने गोपनीय सूचना पर कस्बे के मस्जिद रोड स्थित गाजणाराय मेडिकल स्टोर पर दबिश दी। यहां से काफी मात्रा में अवैध नशीली दवाइयां बरामद हुई। टीम ने आरोपी दुकानदार अजयपाल सिंह को गिरफ्तार किया है। एनसीबी की टीम अजयपाल को अपने साथ दिल्ली ले गई और दवा दुकान को बंद करवा दिया गया है।

बाइक सवार तस्करों से प्रतिबंधित 1730 गोलियां व 900 कैप्सूल बरामद

रानियां, सिरसा (हरियाणा): बाइक सवार तस्करों के कब्जे से प्रतिबंधित 1730 गोलियां व 900 कैप्सूल बरामद करने का मामला सामने आया है। करीवाला पुलिस ने नाकेबंदी के दौरान दोनों तस्करों को पकड़ा और नशीली दवाएं मिलने पर मामला दर्ज किया है।

जानकारी के अनुसार करीवाला पुलिस टीम नाकेबंदी के दौरान आने वाले वाहनों की जांच कर रही थी। इसी दौरान दो युवक बाइक पर आते दिखाई दिए। उन्होंने नाकेबंदी देखकर बाइक वापस मोडकर भागने का प्रयास किया। पुलिस टीम ने बाइक सवार युवकों का पीछा कर उन्हें पकड़ लिया। जब युवकों की तलाशी ली तो प्लास्टिक के थैले में प्रतिबंधित 1730 गोलियां व 900 कैप्सूल बरामद हुए। युवकों की पहचान समनदीप उर्फ सामा व सन्नी निवासी रानियां के रूप में हुई। वहीं, पुलिस ने आरोपियों की मोटरसाइकिल को जब्त कर 37 हजार रुपये का चालान काटा। पुलिस टीम ने ड्रग्स विभाग के अधिकारियों को मामले की सूचना दे दी है। फिलहाल आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।

दवा स्टोर से 'नॉट फॉर सेल' दवाएं जब्त, लाइसेंस कैंसिल

छपरा (बिहार): दवा स्टोर में छापेमारी के दौरान 'नॉट फॉर सेल' दवाएं जब्त करने का मामला प्रकाश में आया है। संबंधित दवा दुकान का लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया है। अमनौर थाना क्षेत्र के एक थोक दवा दुकान में लाखों रुपये कीमत की सरकारी दवाएं (नॉट फॉर सेल) पाई गई। एडीसी (सहायक औषधि नियंत्रक) विश्वजीत दास गुप्ता ने इस थोक दवा दुकान के लाइसेंस को तत्काल प्रभाव से कैंसिल कर दिया। जानकारी अनुसार भेल्दी थाना पुलिस ने कुंदन कुमार एवं कामेश्वर राय नामक दो युवकों को गिरफ्तार किया था। इनके पास से काफी मात्रा में नॉट फॉर सेल लिखी सरकारी दवाएं बरामद की गई। दोनों आरोपियों से पूछताछ में खुलासा हुआ कि दोनों ने थोक दवा दुकान से उक्त दवाएं खरीदी थी। इसके बाद सहायक औषधि नियंत्रक विश्वजीत दास गुप्ता के निर्देश पर औषधि निरीक्षक (ड्रग इंस्पेक्टर) अजय कुमार सिंह और असगर अंसारी ने अपनी टीम के साथ अमनौर थाना अंतर्गत लखनऊ स्थित मानस ड्रग एंटरप्राइजेज पर दबिश दी। छापेमारी के दौरान विदुर कुमार तिवारी अनुपस्थित मिले और उनके पिता चंद्रेश्वर तिवारी मौके पर मौजूद थे। छापेमारी के दौरान स्टोर से तीन कार्टन में 11 प्रकार की दवाओं को बरामद किया गया। इस पर बिहार गवर्नमेंट सप्लाई नॉट फॉर सेल लिखा हुआ था। सभी दवाएं स्वास्थ्य विभाग की थी और इन्हें जब्त कर लिया गया। इस संदर्भ में एडीसी (सहायक औषधि निरीक्षक) विश्वजीत दास गुप्ता ने बताया कि संबंधित के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।

दवा कंपनी पश्चिम बंगा फार्मास्यूटिकल्स के खिलाफ आपराधिक केस दर्ज

बेंगलुरु (कर्नाटक): दवा कंपनी पश्चिम बंगा फार्मास्यूटिकल्स के खिलाफ आपराधिक केस दर्ज किया गया है। बताया गया कि बल्लारी जिले में सी-सेक्शन प्रसव के बाद पांच महिलाओं की मौत हो गई थी, जहां उन्हें कंपनी का पअ द्रव चढ़ाया गया था। स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडू राव ने विधानसभा में कहा कि सरकार शोकाकुल परिवारों के लिए मुआवजा मांग रही है। एक बच्चे ने अपनी माँ खो दी है। हम इसे यूँ ही नहीं जाने दे सकते। हालाँकि मुआवजा देकर जिंदगियां वापस नहीं लाई जा सकतीं, लेकिन कंपनी को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। ये मौतें नवंबर में बल्लारी जिला अस्पताल में हुई थीं।

राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के एक मेडिकल पैनल ने चिकित्सा लापरवाही से इनकार किया है और पश्चिम बंगा द्वारा निर्मित रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन को संदिग्ध कारण बताया है। उधर, कर्नाटक की प्रयोगशालाओं में पअ द्रव के कई बैच गुणवत्ता जांच में फेल मिले हैं। शिवमोग्गा में ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट की धारा 18(ए)(आई) और 27(डी) के तहत आरोप दर्ज किए गए हैं। घटिया या नकली दवाइयों के निर्माण और बिक्री के लिए एक से दो साल की कैद और न्यूनतम 20 हजार रुपये का जुर्माना है।

शुगर और वजन के साथ किडनी का भी ख्याल रखेगी ये दवा

नई दिल्ली: प्राप्त समाचार के अनुसार शुगर और वजन के साथ किडनी का भी ख्याल रखने के लिए ग्लूकागन-लाइक पेप्टाइड-1 (GLP-1) रिसेप्टर एगोनिस्ट दवाएं कारगर मानी गई हैं। एक शोध में पाया गया है कि ये दवाएं वजन घटाने और ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के साथ-साथ किडनी से जुड़ी बीमारियों को भी कम करती हैं। यह शोध, प्रद लांसेट डायबिटीज एंड एंडोक्रिनोलॉजी जर्नल में प्रकाशित हुआ है। गौरतलब है कि GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट्स का मुख्य काम ब्लड शुगर को कंट्रोल करना है। यह दवाएं इंसुलिन उत्पादन को बढ़ाती हैं और ब्लड शुगर लेवल को कम करती हैं। इसके साथ ही ये दवाएं पाचन प्रक्रिया को धीमा करती हैं, जिससे भूख कम लगती है और वजन घटाने में मदद मिलती है। शोध में पाया गया कि GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट्स का इस्तेमाल करने वाले मरीजों में किडनी फेल होने का खतरा 16 फीसदी तक कम हो जाता है। इसके अलावा, किडनी के काम को मापने वाला ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी 22 फीसदी तक धीमी गति से घटता है। इन दवाओं ने किडनी फेलियर, किडनी फंक्शन में गिरावट और किडनी रोग से होने वाली मौत का खतरा 19 प्रतिशत तक कम किया है।

सिप्ला ने अस्थमा की जांच के लिए सिपएयर ऐप किया लॉन्च

मुंबई: फार्मा कंपनी सिप्ला ने अस्थमा की जांच के लिए भारत में सिपएयर ऐप लॉन्च की घोषणा की है। यह मोबाइल एप्लिकेशन अस्थमा के लिए समय पर और सुविधाजनक पहली पंक्ति की जांच को सक्षम करने के लिए डिजाइन की गई है। इसे बहु-केंद्रित अखिल भारतीय अध्ययन के माध्यम से चिकित्सकीय रूप से मान्य किया गया है। ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज रिपोर्ट के अनुसार अस्थमा के वैश्विक अनुपात की तुलना में भारत में मृत्यु दर तीन गुना अधिक है और विकलांगता-समायोजित जीवन वर्ष दो गुना से अधिक है। हवा की खराब गुणवत्ता के कारण यह और भी बढ़ गया है। इस प्रकार मोबा. इल-आधारित स्क्रीनिंग निदान के लिए एक आसानी से सुलभ प्रारंभिक बिंदु के रूप में काम करेगी और अस्थमा रोगियों या संभावित उम्मीदवारों को समय पर अपनी स्थिति को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने और सामान्य जीवन शैली जीने में सक्षम बनाएगी। यह एक सुलभ निःशुल्क उपकरण है, जो श्वसन देखभाल के लिए सिप्ला का मौजूदा रोगी सहायता पारिस्थितिकी तंत्र है। इस सुविधा में आगे भी सुधार देखने को मिलेंगे जो देश में अस्थमा प्रबंधन पारिस्थितिकी तंत्र को और मजबूत करेगा।

जम्मू-कश्मीर में विकलांगता पेंशन बढ़ाकर 3000 रुपये प्रति माह की जा सकती है

जम्मू: जम्मू-कश्मीर सरकार विकलांगता पेंशन को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 3,000 रुपये प्रति माह करने पर विचार कर रही है, स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा, समाज कल्याण और शिक्षा मंत्री सकीना इटू ने कहा। उन्होंने कहा, हम विकलांगता पेंशन बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, उन्होंने आगे कहा, वर्तमान उमर के नेतृत्व वाली सरकार लोगों, विशेष रूप से विकलांगों के सभी मुद्दों को हल करने के लिए प्रतिबद्ध है। इटू ने जम्मू में कृत्रिम अंग और अन्य सहायता वितरित करते समय विकलांगों से बातचीत की और कहा कि इस वृद्धि से परिवारों पर वित्तीय बोझ कम करने में मदद मिलेगी। जम्मू-कश्मीर की एकमात्र महिला मंत्री ने उन्हें निरंतर समर्थन का आश्वासन दिया ताकि विकलांग स्वतंत्र, गुणवत्तापूर्ण और सम्मानजनक जीवन जी सकें।

AUTHORIZED DISTRIBUTORS OF ADR BOOK

Location	Party Name	Contact No.
Agra	Satish Book Enterprises	9997877123
Ahmedabad	Bharat Medical Book House	9824013920
Akola	Book Emporium	9422861751
Aligarh	Rama Book Store	9319275252
Allahabad	Chetana Medical Books	9307978423
Amritsar	City Book Shop	0183-2571591
Amritsar	Medical Books & Surgicals Centre	0183-2422729
Aurangabad	Arihant Excel Medical Book House	9822259681
Aurangabad	Shri Samarth Book Depot	9822034577
Belgaun	Shri Ganesh Book Stall	8312461258
Berhampur	Book World	9861015189
Bhagalpur	Kora Kagaz	9771511779
Bhopal	Lyall Book Depot	0755-2543624
Bhubaneswar	Annapurna Medical Book Shop	9861243882
Bikaner	Academy Book Centre	9414138998
Burla	Bharat Book Emporium	9337335744
Calicut	Ramdas Sotes & Books	0495-2358398
Chennai	Chennai Medical Book Centre	044-66246369
Chennai	Shah Medical Books	9444829937
Coimbatore	Arasu Medical Book House	9444308567
Coimbatore	Balaji Medical Books	0422-6725292
Coimbatore	Dass Medical Book Shop	9443958620
Cuttack	Scientific Book Depot	9437020414
Delhi	Mirza Book Depot	9958723206
Delhi	Pawan Book Service	9810202316
Delhi	R.S.Book Store	9810546759
Delhi	Sagar Book Depot	9811680722
Delhi	University Book Store	9818357577
Dhulea	Koshal Book Shop	9423916592
Gorakhpur	Medical Book Centre	9450884543
Gwalior	Anand Pustak Sadan	9425114555
Indore	New Jain Book Stall	9926636333
Indore	Scientific Literature Company	9826299744
Jabalpur	Lords Book Sellers	9425155125
Jabalpur	Akash Pustak Sadan	9826563047
Jaipur	Kumar Medical Book Store	9829610430
Jammu	Bhartiya Pustakalaya	9796636000
Jammu	Narend Book Depot	9419114398
Jamnagar	Jay Medical Book Centre	9925236982
Jodhpur	Book World	9829088088
Jorhat	Naveen Pustakalaya	9435514204
Kolhapur	Ajab Pustakalaya	9881424434
Kolkata	Raj Book House	9432550891
Kota	R.K.Stationers	9829087574
Koti Hyderabad	Osmani Medical Book House	040-64644253
Koti Hyderabad	Paras Medical Books Pvt Ltd.	040-24600869
Koti Hyderabad	Sharp Medical Book Centre	040-65544303
Lucknow	Aditya Medical Books Pvt Ltd.	0522-2611724
Lucknow	Arora Book Agencies	0522-4046778
Ludhiana	Verma Book Depot	9872202530
Madurai	Medical Books & International	9344101063
Meerut	City Book Centre	0121-4056292
Meerut	Menakshi Prakashan	0121-2645498
Meerut	R LAL Book Depot	0121-2666235
Mumbai	The National Book Depot	022-24131362
Mumbai	Vikas Medical Book House Pvt Ltd.	022-23010441
Mumbai	Bhalani Medical Book House	022-24171660
Nagpur	New Medical Book Shop	9822225591
Nagpur	Book Source	9850943011
Patna	Current Book Service	9431077745
Pune	J D Granth Bhandar	020-24492832
Raipur	S.K.Medical Book House	9329637397
Raipur	Sristhi Book Stationery Mart	9300855027
Rajkot	Jay Books Medical Book	9925236984
Ranchi	Student Book Depot	0651-2221907
Saharanpur	Hans Pustak Bhandar	9457449388
Sangli	Tanavade & Sons	9823049499
Sri Nagar	Doctors Dotkom	9086454647
Tirupati	Shri Venketswar Book Depot	9885479105
Trivandram	Professional Book House	9495951506
Varanasi	Atithi Medical Books	9307978423
Varanasi	Current Book Agency	9335015235
Visakhapatnam	Andhra Medical Book Centre	9985716032
Visakhapatnam	World Medical Book Centre	9849022192

नर्सिंग अधिकारी से रिश्वत लेते डॉक्टर और फार्मासिस्ट गिरफ्तार

भुवनेश्वर। प्राप्त समाचार के अनुसार नर्सिंग अधिकारी से रिश्वत लेने के आरोप में डॉक्टर और फार्मासिस्ट को गिरफ्तार किया गया है। भ्रष्टाचार निरोधक सतर्कता अधिकारियों ने ओडिशा के कोरापुट जिले के बैपारीगुडा में 40 हजार रुपये की रिश्वत लेने पर सरकारी अस्पताल के डॉक्टर और फार्मासिस्ट को हिरासत में लिया है। आरोपियों की पहचान बैपारीगुडा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉ. बिस्वजीत भुइयां और फार्मासिस्ट उत्तम महनकुडा के रूप में हुई है।

नर्सिंग अधिकारी के आरोप के बाद सतर्कता अधिकारियों ने दोनों को पकड़ा। इनकी सेवाओं को हाल ही में नियमित किया गया था। अक्टूबर 2022 से सरकार द्वारा अंतर वित्तीय लाभ जारी करने के आदेश के बाद वह लगभग 4,83,572 रुपये के बकाया भुगतान की हकदार थी। शिकायतकर्ता के बार-बार अनुरोध के बावजूद, डॉ. भुइयां ने भुगतान संसाधित करने के बदले में बकाया राशि का 10 प्रतिशत रिश्वत मांगा। यहां तक कि धमकी दी कि अगर वह नहीं मानी तो उसे किसी दूरस्थ स्थान पर स्थानांतरित कर दिया जाएगा। कोई अन्य विकल्प न होने पर, नर्सिंग अधिकारी ने सतर्कता अधिकारियों से संपर्क किया। फार्मासिस्ट के माध्यम से रिश्वत लेते हुए डॉ. भुयान को पकड़ लिया गया। बताया गया है कि डॉ. भुयान पर पहले भी रिश्वत मांगने और सीएचसी वाहन का दुरुपयोग करने के कई आरोप लगे हैं। डॉक्टर और फार्मासिस्ट दोनों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

www.medicaldarpan.com

Product List

ACCTUM-250/500 TABLET: Cefuroxime Axetil IP 250/500mg (Film Coated): (ALU-ALU), **ACCTUM SYP:** Cefuroxime 125 mg with Sterile water (OUTER PACK), **ACC-WORM PLUS SYP :** Albendazole 400 mg + Ivermectin 6 mg (Pineappale Flavoured) (OUTER PACK), **ACCWORM PLUS TABLET:** Albendazole 400 mg + Ivermectin 6 mg (Pineappale Flavoured)(BLISTER), **ACCMETHYL-4/8 TABLET:** Methylprednisolone 4/8 mg (ALU-ALU), **ACTSPAS DROP :** Dicylomine Hcl 10 mg + Activated Dimethicone 40mg (With Dropper)(OUTER PACK) **ACTSPAS-DM TABLET:** Drotaverine Hcl 80 mg + Mefenamic Acid 250 mg (ALU – ALU), **ACTSPAS DROP :** Dicylomine Hcl 10 mg + Activated Dimethicone 40mg (With Dropper) (OUTER PACK), **ACTSPAS-DM TABLET :** Drotaverine Hcl 80 mg + Mefenamic Acid 250 mg: (ALU – ALU) **ACTSPAS-P TABLET :** Dicylomine Hcl 20 mg + Paracetamol 325 mg: (BLISTER), **ALCATRON SYRUP :** Disodium Citrate-1.25 gm/5ml in a Ice Cream Flavoured (PET BOTTLE), **ALLSERA-D TABLET :** Diclofenac Potassium 50 mg + Serratiopeptidase 10 mg (ALU-ALU), **ALLSLIM CAPSULE:** Orlistat 120 mg (ALU-ALU).

- Sudhir Life Sciences (P) Ltd.
Jabalpur.
M. 9424417000, 7400717000, 8871307000.

मेडिकल स्टोर लाइसेंस के लिए मांगी रिश्वत, ड्रग इंस्पेक्टर गिरफ्तार

मंदसौर (मध्यप्रदेश)। मेडिकल स्टोर लाइसेंस के लिए रिश्वत लेते ड्रग इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया गया है। यह कार्रवाई उज्जैन लोकायुक्त ने की। लोकायुक्त ने ड्रग इंस्पेक्टर को 26 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ दबोचा। उज्जैन लोकायुक्त डीएसपी राज. ेश पाठक ने बताया कि लखन पाटीदार निवासी हरसोल ने शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायत में बताया कि उसे मेडिकल स्टोर का लाइसेंस बनवाना था। इसके बदले ड्रग इंस्पेक्टर जयप्रकाश कुम्हार 26 हजार रुपए की रिश्वत मांग रहा था। जांच में शिकायत सही मिलने पर उज्जैन लोकायुक्त टीम ने मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष को रिश्वत के 26 हजार रुपए लेते रंगे हाथों पकड़ लिया। साथ ही उसने ड्रग इस्पेक्टर के लिए रुपए लिए थे, इसलिए उनको भी अरेस्ट किया गया है। ड्रग इंस्पेक्टर जय प्रकाश ने शिकायतकर्ता लखन को रुपए लेकर मंदसौर एसपी कार्यालय के सामने बुलाया। यहां लखन को दलाल के रूप में मेडिकल एसोसिएशन का जिलाध्यक्ष मनीष चौधरी मिला। उसने जैसे ही ड्रग इंस्पेक्टर के नाम के रुपए लिए, तभी योजनानुसार लोकायुक्त टीम ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। डीएसपी पाठक ने बताया कि ड्रग इंस्पेक्टर जयप्रकाश कुम्हार और उसके साथी मनीष चौधरी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।

नशीली कफ सिरप के साथ पकड़ा गया स्वास्थ्य विभाग का रिटायर्ड कर्मचारी

फरीदाबाद (हरियाणा)। प्राप्त समाचार के अनुसार नशीली कफ सिरप की खेप के साथ स्वास्थ्य विभाग का रिटायर्ड कर्मचारी पकड़ा गया है। यह कार्यवाही राज्य नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की फरीदाबाद यूनिट ने की। आरोपी के पास से 1499 नशीली कफ सिरप (कोडिन) बरामद की गई। राज्य नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के प्रमुख पुलिस महानिदेशक ओपीसिंह के नेतृत्व एवं पुलिस अधीक्षक पंखुडी कुमार के दिशा निर्देशों पर समूचे हरियाणा में नशा तस्करों के खिलाफ विशेष अभियान नशा मुक्त हरियाणाख्र नशा मुक्त भारत चलाया जा रहा है। इसके तहत कार्रवाई करते हुए यूनिट फरीदाबाद ने महत्वपूर्ण सुराग जुटाते हुए 1499 नशीले कफ सिरप (कोडिन) बरामद की।

स्टेट नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो उप पुलिस अधीक्षक फरीदाबाद अनिल कुमार वशिष्ठ ने बताया कि एनसीबी युनिट फिरोजपुर झिरका के गांव बीवा बस अड्डा पर मौजूद थी। टीम को सूचना मिली कि गांव में मुश्ताक अहमद नशीले कफ सिरप बेचता है और अपने घर में स्टॉक रखा हुआ है। सूचना के चलते टीम ने आरोपी के घर पर रेड की। उसके घर से करीब 13 पेटी जिसमें 1499 नशीले कफ सिरप बरामद की गई। इसके संबंध में थाना फिरोजपुर झिरका में मामला दर्ज किया गया है। हरियाणा एनसीबी युनिट प्रभारी ने बताया कि आरोपी स्वास्थ्य विभाग से रिटायर है और काफी समय से नशीले कफ सिरप बेचता है। आरोपी को रिमांड पर लेकर पूछताछ की जाएगी कि वह कहां से भी यह नशीला पदार्थ खरीद कर लाया और कहां सप्लाई करता था।

दवा बनाने वाली दो फैक्ट्रियों का पर्दाफाश, 4 गिरफ्तार

आगरा (उत्तर प्रदेश)। नकली दवा बनाने वाली दो फैक्ट्रियों का पर्दाफाश हुआ है। मौके से फैक्ट्री संचालक सौरभ दुबे, अश्वनी गुप्ता सहित प्रोडक्शन मैनेजर और मजदूर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये नकली दवाएं पशुओं की बीमारी के इलाज के नाम पर कई राज्यों में बेची जा रही थी। ड्रग और पुलिस विभाग ने संयुक्त छापेमारी कर करोड़ों रुपये का नकली दवा बनाने का सामान जब्त किया है। शास्त्रीपुरम इलाके में दो दवा कंपनी अवैध रूप से चलाई जा रही थी। इसकी जानकारी मिलने के बाद ड्रग विभाग और पुलिस ने रेड की तो करोड़ों रुपये की दवा बरामद हुई। दोनों कंपनी का लाइसेंस नहीं था। कंपनियां दवा बनाकर गुजरात, मुंबई, एटा, कानपुर, अलीगढ, जयपुर और पंजाब आदि जगहों पर खपा रही थी। ड्रग विभाग ने एक दर्जन से अधिक दवाओं के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे हैं। दोनों कंपनी के संचालकों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। जानकारी अनुसार इन फैक्ट्री में बनने वाली दवाओं के लिए कच्ची सामग्री मुंबई और दिल्ली से लाई जाती थी। पता चला है कि आरोपियों ने उत्तराखंड के तासीपुर रुडकी और काशीपुर में लोन का लाइसेंस लिया था लेकिन उत्तर प्रदेश में दवा बनाने का कोई भी लाइसेंस नहीं था। डीसीपी सिटी सूरज कुमार राय ने बताया कि आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। यह भी पता लगाया जा रहा है कि ये किन कंपनियों को दवा सप्लाई करते थे।

बेहोशी की ओवरडोज दवा देने पर चिकित्सक को पांच लाख का जुर्माना

मुरादाबाद। बेहोशी की ओवरडोज दवा देने पर चिकित्सक को पांच लाख का जुर्माना लगाया गया गया है। स्थायी लोक अदालत ने मैटरनिटी एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जरी सेंटर की डॉक्टर संगीता मदान पर यह जुर्माना लगाया है। अदालत ने कहा कि डॉक्टर की लापरवाही के चलते महिला की हालत बिगड़ी और वह अपने बच्चे के मातृत्व प्रेम से भी वंचित रहीं। अदालत ने पीड़िता को दो माह में जुर्माने की राशि देने के आदेश दिए। रामगंगा विहार निवासी छवि शुक्ला ने स्थायी लोक अदालत में केस दायर किया और बताया था कि वह 2012 में गर्भवती थीं। उनका इलाज रामगंगा विहार स्थित मदान मैटरनिटी एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जरी सेंटर में डॉक्टर संगीता मदान की देखरेख में चल रहा था। डॉक्टर द्वारा बताए गए सभी टेस्ट कराए और दवाइयां भी ली थीं। 20 जून 2012 को डॉक्टर ने महिला के पति अनुराग शुक्ला को बताया कि बिना ऑपरेशन के छवि का प्रसव संभव नहीं है। अगले दिन छवि को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया।

ऑपरेशन से छवि को एक बच्चा हुआ, लेकिन ऑपरेशन के कुछ देर बाद छवि को परेशानी होने लगी। उन्हें सांस लेना मुश्किल हो गया। इसके बाद डॉ. संगीता मदान ने छवि को कॉसमॉस अस्पताल के लिए रेफर कर दिया, लेकिन यहां से भी चिकित्सकों ने इलाज न कर उसे दिल्ली ले जाने की सलाह दी। छवि को दिल्ली में सर गंगाराम अस्पताल भर्ती कराया गया, जहां डाक्टरों ने बताया कि ऑपरेशन से पहले नशे की दवा अधिक मात्रा में दी गई थी। इससे न केवल बीपी लो हुआ बल्कि शरीर में पस भी पडने लगी। वहां इलाज में करीब 1.94 लाख रुपये खर्च हुए।

फर्जी डॉक्टर की गलत दवा खाने से मरीज की मौत, अरेस्ट

बलौदा बाजार (छत्तीसगढ़)। प्राप्त समाचार के अनुसार फर्जी डॉक्टर से ली गई गलत दवा खाने से एक की मौत हो गई और दो बीमार पड़ गए हैं। ये घटना मुंडा गांव की है। यहां खुद को आयुर्वेद का डॉक्टर बताने वाले राजेश मिश्रा लंबे समय से मरीजों का इलाज कर रहे थे। पीडितों की पहचान दिनेश वर्मा, मोहन धीवर और राहुल वर्मा के रूप में हुई है। ये सभी सामान्य सर्दी, खांसी और बुखार से पीडित थे। दवा खाने के बाद तीनों गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। इनमें से एक दिनेश वर्मा की मौत हो गई जबकि दो की हालत गंभीर बताई गई है। एसडीओपी कौशल किशोर वासनिक ने बताया कि हमें शिकायत मिली कि तीन लोग अस्पताल में भर्ती थे, जिनमें से एक की मौत हो गई। मामले की जांच में पता चला कि आरोपी राजेश मिश्रा ने इन तीन लोगों को होम्योपैथिक दवा दी थी। ये खांसी, सर्दी और बुखार से पीडित थे। दवा खाने के बाद उन्हें देर रात अस्पताल में भर्ती कराया गया। आरोपी मौके से भाग गया लेकिन बाद में उसे गिरफ्तार कर लिया गया।

चिकनगुनिया वैक्सीन भारतीय बाजार में उतारेगा सीरम

मुंबईः चिकनगुनिया वैक्सीन भारतीय बाजार में उतारने के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (एसआईआई) ने कवायद शुरू कर दी है। सीरम ने चिकनगुनिया वैक्सीन के निर्माण और बिक्री के लिए फ्रांसीसी विशेष वैक्सीन कंपनी वलनेवा एसई के साथ एक विशेष लाइसेंस समझौता किया है। बता दें कि वलनेवा की चिकनगुनिया वैक्सीन दुनिया की पहली और एकमात्र लाइसेंस प्राप्त वैक्सीन है। यह वर्तमान में वयस्कों के लिए अमेरिका, यूरोप और कनाडा में स्वीकृत है। इसे 12 साल तक के बच्चों तक विस्तारित करने के लिए नियामक समीक्षा चल रही है। गौरतलब है कि चिकनगुनिया वायरस एक मच्छरजनित वायरल बीमारी है। इसके कारण बुखार, जोड़ों और मांसपेशियों में गंभीर दर्द, सिरदर्द, मतली, थकान और दाने होते हैं। जोड़ों का दर्द अक्सर दुर्बल करने वाला होता है और हफ्तों से लेकर सालों तक बना रह सकता है। स्थानीय नियामकों से मंजूरी मिलने के बाद दोनों कंपनियां भारतीय बाजार और कुछ एशियाई देशों में वैक्सीन लाने का काम करेंगी। दोनों कंपनियां मौजूदा दवा उत्पाद निर्माण प्रक्रिया का प्रौद्योगिकी हस्तांतरण करेंगी।

मोटापा कम करने वाली दवाओं का WHO ने किया समर्थन

नई दिल्लीः प्राप्त समाचार के अनुसार मोटापा कम करने वाली दवाओं का WHO ने समर्थन किया है। मोटापा घटाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली जीएलपी -1 रिसेप्टर दवाओं को अब विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने भी सहायक बताया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के वैज्ञानिकों ने मोटापा कंट्रोल करने वाली जीएमपी-1 रिसिप्ट्र दवाओं का समर्थन किया है। बता दें कि ये दवाएं शरीर के हार्मोन को कंट्रोल करती हैं और इससे भूख और शुगर लेवल कंट्रोल में रहता है। इनके सेवन से मोटापा कम करने में मदद मिलती है। वैज्ञानिकों का कहना है कि दुनियाभर में मोटापा एक बड़ी समस्या बनता जा रहा है। स्वस्थ भोजन और लाइफस्टाइल मोटापा कम करने में सहायक तो हैं, लेकिन इससे बीमारी कंट्रोल नहीं हो आ पा रही है। जीएलपी-1 रिसेप्ट्र दवाएं नए तकनीक से भी बनी हैं। इनमें सेमाग्लूटाइड जैसी दवाएं हैं जो मोटापा कम करने में काफी मददगार है। डब्ल्यूएचओ के मुख्य वैज्ञानिक डॉ. जेरेमी फर्रार ने कहा कि जीएल-1 दवाओं काफी कारगर साबित हो सकती हैं। इन दवाओं में बेहतरीन क्षमता है।

Naturally safe
AYURVEDIC AND HERBAL Formulations
NU ALTER
MANUFACTURER, SUPPLIER & TRADERS
OWN MANUFACTURING UNITS CERTIFIED WITH ISO, GMP AND WHO-GMP
Tablet | Capsule | Syrup | Dry Syrup | Spray | Ointment | Powder
SPECIAL OFFER 10% OFF LIMITED PERIOD
For manufacturing and Trade Inquiries
Plz Contact : 0172-5000295 8699038826 9799047262
NU ALTER HERBOVET
93, HSIIDC, Alipur, Barwala Haryana-134103
E-mail : altarhealth1@gmail.com
Web : www.nualtergroup.com
Quality manufacturing of Ayurvedic, Veterinary and Allopathic Products

दुष्ट इंसान की मीठी बातों पर कभी भरोसा मत करो। वो अपना मूल स्वभाव कभी नहीं छोड़ सकता। जैसे शेर कभी हिंसा नहीं छोड़ सकता।

HEALTHY PLANET HEALTHY Life
Attractive Packing
Large Range of Products
Competitive & Reasonable Rates
Assured Quality Manufactured at GMP Plants
Proven track record of Uninterrupted Services
Pluto Biomeds Pvt. ltd.
A professionally managed company gaining a strong foothold in the pharmaceuticals industry

Products	We offer
Tablets	Attractive Promo Inputs
Capsules	Corporate Gifts
Eye / Ear drops	Yearly Bonanza
Injectables	Seasonal Bonanza
Liquids (Suspension / syrups / Drops)	Visual Aid
Protein Powders	Order book
Dry Syrups	Reminder Cards
Soaps	Catch covers
Ointments and Gels	Product Literatures
Mouthwash	

BUSINESS OPPORTUNITY
Marketing and distribution rights available for unrepresented areas on monoply basis.
CALL TODAY +91 9368 331 293
Pluto Biomeds
A-60, 1-2 Floor, Transport Nagar, Dehradun-248002, Uttarakhand
Mob 93683 31293 email: plutobiomeds@gmail.com

मेडिसिन के रैपर पिघलाकर एल्युमीनियम निकालने वाली फैक्टरियों पर रेड

सोनीपत (हरियाणा)। मेडिसिन के रैपर पिघलाकर एल्युमीनियम निकालने वाली 5 फैक्टरियों पर छापेमारी की गई है। इन सभी अवैध फैक्ट्री को बंद करवा दिया गया है। यह कार्रवाई प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पीसीबी) की टीम ने गांव फिरोजपुर बांगर स्थित औद्योगिक क्षेत्र में की। टीम ने कार्रवाई करते हुए फैक्टरियां ध्वस्त करा दी। क्षेत्रीय अधिकारी प्रदीप सिंह ने कहा कि जल्द कारण बताओ नोटिस जारी कर फैक्टरियां हटाई जाएंगी। सहायक पर्यावरण अभियंता अनिल कुमार के नेतृत्व में टीम ने फिरोजपुर बांगर स्थित औद्योगिक क्षेत्र में निरीक्षण किया। इस दौरान टीम ने 5 फैक्टरियों में दवाओं के रेपर पिघलाकर उनसे एल्युमिनियम निकालने का कार्य होते पाया। फैक्टरियों में एल्युमिनियम धातु के स्क्रैप को पिघलाकर उनके स्लैब बनाए जा रहे थे। कार्रवाई के दौरान फैक्टरियों में चल रही फैक्टरियों को मौके पर ध्वस्त कराया। जांच के दौरान कोई भी फैक्टरी संचालक अपनी फैक्टरी चलाने के लिए लाइसेंस नहीं दिखा सका। किसानों से जमीनों को किराये पर लेकर फैक्टरियां चलाई जा रही थी। जिसके चलते प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीम ने यह कार्रवाई की। बता दें कि इससे पहले टीम ने 4 नवंबर को भी छापे डालकर 8 फैक्टरियों को बंद कराया गया था। सामुदायिक केंद्र बढखालसा की वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉ. अनविता कौशिक ने बताया कि दवाओं के रेपर जलाने से निकलने वाले प्रदूषण का शरीर पर बुरा असर पड़ता है। रेपर जलाने से हाइड्रोकार्बन निकलता है जोकि स्वास्थ्य के लिए घातक है। हाइड्रोकार्बन की वजह से दमा व एलर्जी होने की आशंका होती है। दवाओं के रेपर जलाना वायु प्रदूषण की श्रेणी में आता है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी प्रदीप सिंह ने बताया कि दवाओं के पर पिघलाकर चलाई जा रही एल्युमिनियम के स्लैब बनाने को अवैध रूप से चल रही 5 फैक्टरियों को बंद कराया है। साथ ही फैक्टरियों के अंदर फैक्टरियों को ध्वस्त कराया गया है। वहीं, टीम ने कूड़ा जलाने पर एचएचएआई को 25 हजार रुपये का जुर्माना किया।

बायोकॉन फार्मा की दवा को यूएसएफडीए से मिली मंजूरी

मुंबई। बायोकॉन फार्मा की दवा को यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (एफडीए) ने मंजूरी दे दी है। बायोकॉन बायोलॉजिक्स को अपने बायोसिमिलर Ustekinumab के लिए यूएसएफडीए से मंजूरी मिली है। फार्मा ने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि बायोकॉन बायोलॉजिक्स लिमिटेड इंटीग्रेटेड ग्लोबल बायोसिमिलर कंपनी और बायोकॉन लिमिटेड की सब्सिडियरी है। उसने घोषणा की कि यूएस एफडीए ने Stelara (Ustekinumab) के बायोसिमिलर, YESINTEK (Ustekinumab-kfce) को मंजूरी दे दी है। गौरतलब है कि YESINTEK एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, क्रोहन डिजीज, Ulcerative Colitis, Plaque Psoriasis और Psoriatic Arthritis के इलाज के लिए एप्रूव्ड है। बायोकॉन बायोलॉजिक्स लिमिटेड ने पहले स्टॉक एक्सचेंज को बताया था कि कंपनी ने 22 फरवरी, 2025 तक यूएस एफडीए से मंजूरी के बाद यूएस में YESINTEK को कमर्शिलाइज करने के लिए Janssen Biotech Inc, जैनसेन साइंसेज आयरलैंड और जॉनसन एंड जॉनसन के साथ एक एग्रीमेंट और लाइसेंसिंग एग्रीमेंट किया है।

Forgo Pharmaceuticals (P) Ltd. (An ISO 9001:2015 Certified Company)
• Knee & Ankle Support
• Body Belts & Braces
• Fracture Aids
• Cervical Aids
• Fingers, Wrist & Arm Supports
A wide range of products available for Third Party & PCD marketing
Tablets & Capsules | Neturaceuticals & Protein Powders
Oral Liquids & Dry Syrup | Dietary Supplements
Injectables | Herbal Preparations
Eye Drops, Ear Drops & Nasal Drops | Wide range of Skin Care Cosmetics
Creams, Lotions, Gels & Ointments | Veterinary Drugs
Shampoo & Soaps | Vaccines & Pre Filled Syringes
Aerosats & Form Fill Seat (FFS)
Tablets Capsules Dry Syrup Liquid Orals Eye/Ear Drops Soap Shampoo/ Lotion Ointment Sachets Veterinary Medicines
Our Speciality Divisions
More then 1000 products
All new molecules available
Third party manufacturing also done
More then 1000 products Third Party Manufacturing also done All new Molecules available
Forgo · The Grand Ayurveda · Constant · Elegance · Yashvan · Sykocure Lifesciences · Kardic Kare · Forgo Cares · Spark · Forever Formulations
Corporate Office: Plot No. 92, Ind. Area Phase-I, Panchkula Haryana 134113
Mfg. Unit Forgo Pharmaceuticals (GMP/GLP/WHO Certified Unit) (AN ISO 9001 : 2015 Certified Company)
27, DIC IND AREA, Barotiwala, Teh: Baddi, Distt. Solan (HP)
Email : helpdeskforgo@yahoo.com / forgopharmaceutical@yahoo.co.in
Contact Detail : 0172-2569292 / 2568292 / 9814924737 / 7696099905 / 9877640753 / 9569569292

ओटी में एक्सपायरी दवाएं मिलने पर अस्पताल सील

बाराबंकी (उप्र): प्राप्त समाचार के अनुसार ओटी में एक्सपायरी दवाएं मिलने पर अस्पताल को सील करने का मामला सामने आया है। इलाज के दौरान प्रसूता की मौत के मामले में एसडीएम के नेतृत्व में सीएचसी अधीक्षक की टीम ने निजी अस्पताल पर छापेमारी की थी। इस दौरान टीम को आपरेशन थियेटर में भारी मात्रा में एक्सपायरी डेट की दवाएं मिली। मौके पर मिले सभी आक्सीजन सिलेंडर खाली थे। इलाज के लिए आए व भर्ती हुए मरीजों का कोई भी ब्यौरा मौजूद नहीं था। इसे लेकर एसडीएम ने अस्पताल को सील कराते हुए संचालक को नोटिस जारी कर तीन दिन में जवाब समेत हाजिर होने का आदेश दिया है। बता दें कि बदोसरांय स्थित न्यू नेशनल अस्पताल एवं सर्जिकल सेंटर में तासीपुर निवासी सीमा पत्नी राम समुझ की प्रसव के दौरान हालत बिगड़ने पर मौत हो गई थी। परिजनों ने शव को अस्पताल के बाहर रखकर काफी देर तक हंगामा किया। परिजनों ने अस्पताल में बरती जाने वाली लापरवाही को लेकर गंभीर आरोप लगाए थे। एसडीएम के साथ जांच टीम में सीएचसी अधिकारी डॉ. संतोष कुमार सिंह व डॉ. आरिफ सिद्दीकी को न्यू नेशनल अस्पताल एवं सर्जिकल सेंटर पहुंचे। टीम अस्पताल परिसर में फैली गंदगी को देख हैरान रह गई। ऑपरेशन थिएटर में टीम पहुंची तो वहां पर भारी मात्रा में एक्सपायरी दवाएं मिली। ओटी में भी सफाई का भी अभाव था। ओटी से लेकर वार्ड तक आक्सीजन की कोई व्यवस्था नहीं थी। सभी सिलेंडर खाली रखे थे। इसके अलावा, जिन चिकित्सकों व पैरामेडिकल स्टाफ के नाम पर रजिस्ट्रेशन कराया गया था, उनमें से कोई भी मौजूद नहीं मिला। बायोमेडिकल वेस्ट के निस्तारण का भी कोई प्रबंध अस्पताल में नहीं था। एसडीएम के आदेश पर सीएचसी अधीक्षक ने अस्पताल को सील करा दिया है।

प्रसव के बाद महिला की मौत, अस्पताल बंद कर डाक्टर फरार

देवरिया (बिहार): प्रसव के बाद महिला की मौत होने और अस्पताल बंद कर डाक्टर के फरार हो जाने का मामला सामने आया है। नाराज परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा खड़ा कर दिया। पुलिस ने मौके पर जाकर नाराज लोगों को शांत करवाया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं, डॉक्टर और कर्मचारी अस्पताल बंद कर फरार बताए गए हैं। लार थाना क्षेत्र के चुरिया निवासी किशन की पत्नी मधु देवी 25 वर्ष को प्रसव पीड़ा होने पर परिजन लार भाटपार रानी मार्ग स्थित एक प्राइवेट अस्पताल लेकर गए थे। ऑपरेशन के बाद महिला ने बच्ची को जन्म दिया। अस्पताल में मौजूद डाक्टर ने खून की कमी होने की बात कहकर एक यूनिट खून चढ़ाया। इसके बाद से पत्नी की तबीयत बिगड़ने लगी। यह देख डाक्टर ने देवरिया के एक प्राइवेट अस्पताल में ले जाने को कहा। परिजन महिला को ले जा रहे थे लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। परिजन वापस आए और शव रखकर डाक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगा हंगामा करने लगे। इसके बाद डाक्टर व कर्मचारी अस्पताल बंद कर फरार हो गए। यहां इलाज करा चुके एक मरीज ने बताया कि डॉक्टर ने कुछ नाबालिग और अप्रशिक्षित कर्मियों को रखा हुआ है। एसडीएम दिशा श्रीवास्तव का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

पेट के कैंसर का पता लगाने के लिए क्लॉडिन 18.2 परीक्षण शुरू

चेन्नई: पेट के कैंसर का पता लगाने के लिए क्लॉडिन 18.2 परीक्षण शुरू कर दिया गया है। डायग्नोस्टिक कंपनी एजिलस डायग्नोस्टिक्स ने एक अभूतपूर्व डायग्नोस्टिक टूल, क्लॉडिन 18.2 टेस्ट के लॉन्च की घोषणा की है। बता दें कि यह पैथोलॉजी और रेडियोलॉजी में डायग्नोस्टिक सेवाएं प्रदान करने वाली बहुराष्ट्रीय कंपनी है। गौरतलब है कि गैस्ट्रिक कैंसर भारत में पुरुषों में पांचवां सबसे आम कैंसर और महिलाओं में सातवां सबसे आम कैंसर है। रोग की आक्रामकता और बेहतर चिकित्सीय विकल्पों की आवश्यकता कैंसर देखभाल में परिणामों को बेहतर बनाने के लिए क्लॉडिन 18.2 परीक्षण जैसे नवाचारों को महत्वपूर्ण बनाती है। इस बायोमार्कर की सटीक पहचान प्रदान करके, यह परीक्षण ऑन्कोलॉजिस्ट को महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान करता।

जनवरी माह के व्रत एवं त्यौहार

01.01.2025	ईसाई नववर्ष प्रारम्भ
06.01.2025	गुरु गोविंद सिंह जयंती
13.01.2025	लोहड़ी
14.01.2025	मकर संक्रांति
26.01.2025	गणतन्त्र दिवस
29.01.2025	मौनीमावस
	कुम्भपर्व प्रयागराज

अस्पताल में डॉक्टर की जगह तांत्रिक ने किया इलाज, वीडियो वायरल

अहमदाबाद (गुजरात): प्राप्त समाचार के अनुसार अस्पताल में डॉक्टर की जगह तांत्रिक द्वारा इलाज करने का हैरतअंगेज मामला प्रकाश में आया है। इसका वीडियो वायरल भी हुआ है। सोशल मीडिया पर वायरल रील में लिखा गया है कि आईसीयू में डॉक्टरों के पसीने छूट गए लेकिन मरीज का इलाज नहीं हो पाया। मुकेश भुवा (तांत्रिक) की खोडियार मां ने आईसीयू में लेटे मरीज को पूरी तरह स्वस्थ्य कर दिया। मामले के तूल पकड़ने के बाद सिविल सुप्रिटेंडेंट ने जांच बिठाई है कि वेंटीलेटर पर मौजूद मरीज जिसकी हालत में लगातार सुधार दिख रहा था। उसे एक तांत्रिक ने आईसीयू में विधि करके ठीक किया, यह कहना अंधश्रद्धा है। रील में यह भी दिखाया गया है कि कथित तांत्रिक के इलाज के बाद व्यक्ति ठीक हो गया। परिवार के सदस्य भी मरीज के ठीक होने पर तांत्रिक को धन्यवाद दे रहे हैं। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद सिविल अस्पताल की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल ने इस मामले की जांच की बात कही है। अहमदाबाद सिविल अस्पताल के सुप्रिटेंडेंट राकेश शाह ने कहा कि अस्पताल में फिर ऐसी कोई घटना न हो, उसके लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने अपील की है कि कोई भी व्यक्ति ऐसे सिविल अस्पताल में अंध श्रद्धा न फैलाए।

प्राइवेट क्लीनिक व अस्पताल पर रेड, प्रतिबंधित दवाएं जब्त

इटावा, औरैया: प्राप्त समाचार के अनुसार प्राइवेट क्लीनिक व अस्पताल पर छापेमारी कर प्रतिबंधित दवाएं जब्त की गई हैं। यह कार्रवाई महेवा सीएचसी अधीक्षक ने स्वास्थ्य कर्मियों के साथ गांव ढकाताल में संचालित डॉक्टर की दुकानों पर की। टीम को देखकर निजी क्लीनिक संचालकों में हडकंप मच गया। एक झोलाछाप डॉक्टर क्लीनिक बंद कर भाग गया, वहीं कुछ के यहां प्रतिबंधित दवाएं बरामद हुई। स्वास्थ्य विभाग को महेवा क्षेत्र में अवैध रूप से निजी अस्पताल व क्लीनिक संचालित किए लाने की शिकायत मिली थी। इसके चलते महेवा सीएचसी अधीक्षक डॉ. गौरव त्रिपाठी ने अपनी टीम के साथ छापेमारी की। इस दौरान कई दुकानों पर प्रतिबंधित दवाएं मिली तथा प्राइवेट डॉक्टर के पास चिकित्सा संबंधी कोई डिग्री एवं अस्पताल का रजिस्ट्रेशन भी नहीं मिला। ग्रामीण क्षेत्र में ढकाताल, पुरावली में छापेमारी की सूचना से निजी क्लीनिक संचालकों में हडकंप मच गया। इस दौरान एक झोलाछाप डॉक्टर अपनी दुकान बंद कर फरार हो गया, वहीं कुछ के यहां प्रतिबंधित दवाएं बरामद हुई। बता दें कि कुछ दिन पहले भी हाइवे के किनारे चल रहे अवैध अस्पताल सहित कस्बे के एक अस्पताल पर रेड की गई थी। डॉ. त्रिपाठी ने बताया कि प्राइवेट व झोलाछाप डॉक्टरों के खिलाफ निरंतर निरीक्षण जारी रहेगा।

एनपीपीए ने 65 नई दवाओं की तय की कीमत

नई दिल्ली: प्राप्त समाचार के अनुसार एनपीपीए ने 65 नई दवाओं की कीमत तय कर दी है और 13 फार्मूलेशन के अधिकतम मूल्य निर्धारण को अधिसूचित किया है। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) ने सात अन्य दवाओं की अधिकतम कीमतों में भी संशोधन किया है। फॉर्मूलेशन की कीमतों में संशोधन का यह फैसला प्राधिकरण की 128वीं बैठक में लिया गया। टाइप 2 मधुमेह, उच्च कोलेस्ट्रॉल, जीवाणु संक्रमण के इलाज के लिए इस्तेमाल दवाओं और दर्द निवारक दवाओं की कीमतें तय की गई हैं। वहीं अधिकतम कीमतों में संशोधन वाली दवाओं में रेबीज, टेटनस और खसरा के टीके शामिल हैं। बता दें कि खुदरा और अधिकतम मूल्य में संशोधन और उनका निर्धारण एनपीपीए करता है।

OMNI Herbal Acne®
CREAM • CAPSULE • FACE WASH
APPROVED BY AYUSH
for Glowing Skin
NOTE REQUIRED DISTRIBUTOR IN VACANT AREAS
• त्वचा का कुदरती रंग निखारें।
• चेहरे का रंग साफ करके निखार लाएं।
• यह औषधि चेहरे पर होने वाले कील, मुहांसों, झाइयों, दाग-धब्बे, झुर्रियां कम करने में लाभदायक है।
REMOVES DARK SPOTS ON THE FACE
USEFUL IN PIMPLES, ACNE, HYPERPIGMENTED SKIN
OMNIPOTENT S PHARMACEUTICALS
Patel nagar, Kamiri Road, Hisar-125001 (HR) • Consumer Care No.: 98125-22181, 94160-42679
omnipotents_pharmaceuticals@yahoo.co.in • www.omnipotentspharma.com

4 वर्ष तक घर बैठे यह समाचार पत्र पढ़ने के लिये हमारे पंजाब नैशनल बैंक के खाता संख्या 1824002100120081, IFSC Code - PUNB0145020 जो कि मैडीकल दर्पण के नाम से है, में रू० 500/- जमा कर अपना पूरा पता हमारे फोन नं०- 09045029158 पर SMS कर दें।

प्रतिबंधित दवाएं बेचने पर तीन मेडिकल स्टोर किए सील

प्रयागराज (उप्र): प्रतिबंधित दवाएं बेचने पर तीन मेडिकल स्टोर सील किए गए हैं। यह कार्रवाई सहायक आयुक्त औषधि प्रयागराज डिवीजन की टीम ने देवीगंज क्षेत्र में दवा दुकानों पर की। जांच के दौरान दुकानों में प्रतिबंधित दवाएं मिलीं। वहीं खुले में इंजेक्शन व दवाएं रखी मिलीं। छह दवाओं का सैंपल लेते हुए सहायक आयुक्त ने तीनों दवा दुकानों को सील कर दिया। रेड की सूचना से कई दवा दुकानदार अपने शटर गिराकर फरार हो गए।

प्रयागराज डिवीजन के सहायक आयुक्त औषधि संजय कुमार ने देवीगंज बाजार में तीन दवा दुकानों पर छापा मारा। टीम ने साहू मेडिकल स्टोर की जांच की। इसके बाद शमीम मेडिकल स्टोर और जीएम मेडिकल एजेंसी में जांच की गई। टीम को शिकायत मिली थी कि इन तीनों मेडिकल स्टोर से प्रतिबंधित दवाएं बेची जाती हैं। जांच के दौरान टीम को संदेहास्पद दवाएं मिली हैं। इस दौरान टिटनेस के अलावा अन्य जरूरी दवाएं व इंजेक्शन जिन्हें फ्रिज में रखा जाता है, वह खुले में रखी मिली। तीनों दुकानों से छह दवाओं के सैंपल लिए गए है। सभी सैंपल को जांच के लिए भेजा गया है। वहीं तीनों दवा दुकानों को सील कर दिया है। मेडिकल संचालकों से उनके लाइसेंस के पेपर के अलावा दवा की खरीदारी व बिक्री आदि से संबंधित दस्तावेज मांगे गए हैं।

छापेमारी के दौरान सहायक आयुक्त की टीम में प्रयागराज के ड्रग इंस्पेक्टर व कौशाम्बी के प्रभारी सुनील कुमार रावत, प्रयागराज की ड्रग इंस्पेक्टर माधुरी सिंह व संतोष कुमार भी मौजूद रहे।

बैक्टीरिया संक्रमण से बचाने में नेफिथ्रोमाइसिन दवा कारगर

कानपुर: बैक्टीरिया संक्रमण से बचाने में स्वदेशी एंटीबायोटिक दवा कारगर बताई गई है। देश में अब तक की सबसे सटीक एंटीबायोटिक नेफिथ्रोमाइसिन दवा विकसित कर ली गई है। यह दवा जल्द ही बाजार में उतारी जाएगी। दवा किया गया है कि बैक्टीरियल निमोनिया से पीडित के लिए यह दवा संजीवनी के समान होगी। यह दवा अब तक इस्तेमाल की जाने वाली एजिथ्रोमाइसिल की तुलना में आठ से 10 गुना असरदार होगी और इलाज में आसान व कम वक्त लेगी। कई एंटीबायोटिक का प्रयोग कर चुके बैक्टीरियल संक्रमण के मरीजों के लिए नेफिथ्रोमाइसिन प्रतिरोधी रोग. जनकों के खिलाफ प्रभावी है।

वाकहार्ट लिमिटेड ने जैव प्रौद्योगिकी विभाग के तहत जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद (बीआइआरएसी) के सहयोग से इसे विकसित किया है। शुरुआती तीन चरण के ट्रायल सफल रहे हैं। इनमें 97 प्रतिशत तक संतोषजनक परिणाम देखने को मिले। जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज के माइक्रोबायोलाजी विभाग के प्रो. विकास मिश्रा के अनुसार, निमोनिया से बड़ी संख्या में बच्चे और बुजुर्ग दम तोड़ते हैं। अभी तक ऐसे इनका इलाज एंटीबायोटिक से किया जाता है। एंटीबायोटिक के अधिक लेने से अब मरीजों में दवा असर नहीं कर रही है। ऐसे में नेफिथ्रोमाइसिन निमोनिया के गंभीर मरीजों को राहत देगी। यह दवा प्रतिरोधी बैक्टीरिया के खिलाफ भारत में विकसित पहली एंटीबायोटिक है। इसे तीन दिनों तक दिन में एक बार देकर निमोनिया को काबू किया जा सकता है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन की विषय विशेषज्ञ समिति ने दवा के निर्माण व विपणन की मंजूरी दी है। बाजार में आने से पहले इसे भारत के औषधि महानियंत्रक की औपचारिक मंजूरी का इंतजार है।

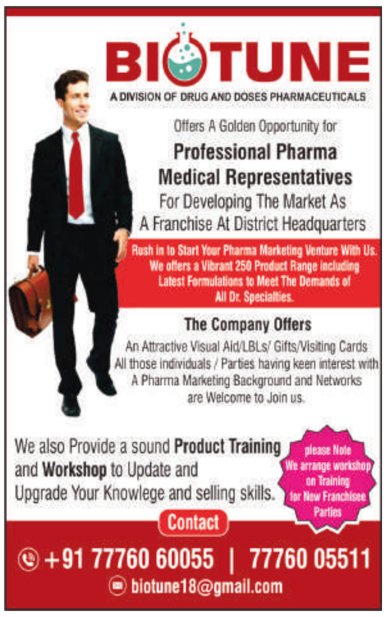

कैप्सूल और गोलियों की खेप पकड़ी, दो गिरफ्तार

करनाल (हरियाणा): प्राप्त समाचार के अनुसार प्रतिबंधित कैप्सूल और गोलियों की खेप पकडने में पुलिस को सफलता मिली है। आरोपी दो युवकों को भी गिरफ्तार किया गया है। एंटी नारकोटिक्स सेल की टीम ने आरोपियों से नशे के 2400 कैप्सूल और 5400 गोलियां बरामद की हैं। एंटी नारकोटिक्स सेल की टीम इंचार्ज हिम्मत सिंह ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर 29 नवंबर को टीम ने लालुपुरा मोड़ मंगलौरा से आरोपी यूपी के शामली जिले के गुलशन नगर निवासी अरफ व अन्स को काबू कर लिया। दोनों आरोपियों से नशे के 2400 कैप्सूल और 5400 गोलियां बरामद की। आरोपियों के खिलाफ मधुबन थाना में मामला दर्ज किया गया। आरोपियों ने पुलिस को बताया कि उन्हें मंगलौरा क्षेत्र में इस खेप की सप्लाई करनी थी, जिसके लिए उन्हें मोटी रकम मिलनी थी। फिलहाल पुलिस कानूनी कार्यवाही में जुटी है।

लोन्जा सीएचआई ने भारत में जिलेटिन कैप्सूल उत्पादन क्षमता का विस्तार किया

बेसल: स्विस फार्मास्युटिकल दिग्गज लोन्जा सीएचआई ने अपने रेवाड़ी, भारत और सूजौ, चीन के संयंत्रों में क्षमता विस्तार की घोषणा की है, जो फार्मास्युटिकल और न्यूट्रास्युटिकल क्षेत्रों के लिए उच्च गुणवत्ता वाले हार्ड जिलेटिन कैप्सूल (एचजीसी) के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करता है। कंपनी के सूजौ (चीन) स्थित प्लांट के लिए भी इसी तरह के विस्तार की घोषणा की गई है और दोनों साइटें Q4 2024 से चालू हैं और अतिरिक्त लाइनें Q3 2025 में परिचालन शुरू करने वाली हैं। APAC (एशिया-प्रशांत) नेटवर्क में नई अत्याधुनिक लाइनों की स्थापना का उद्देश्य विभिन्न आकारों और रंगों के कैप्सूल का उत्पादन करके समग्र वार्षिक क्षमता को बढ़ाना और क्षेत्रीय बाजार की मांग को पूरा करना है। विस्तार पर टिप्पणी करते हुए, लोन्जा सीएचआई की एपीएसी क्षेत्रीय व्यापार इकाई प्रमुख आंचल तोमर ने कहा, भारत और चीन में हमारी साइटों पर अतिरिक्त लाइनों के साथ, हम एपीएसी में अपने ग्राहकों के अभिनव समाधानों और दवाओं की सफलता को सक्षम करने के लिए अपनी पेशकश और क्षमता को बढ़ा रहे हैं।

कैंसर रोग के इंजेक्शन में क्रिस्टल मिला ब्लैक लिस्टेड होगी दवा कंपनी

देहरादून: कैंसर रोग के इंजेक्शन में क्रिस्टल मिलने का मामला सामने आया है। संबंधित दवा को लैब में जांच के लिए भेजा गया है। इंजेक्शन में गड़बड़ी मिलने पर दवा कंपनी को अस्पताल की ब्लैक लिस्ट में डाला जाएगा। यह इंजेक्शन दून अस्पताल में दवा सप्लाई में पाया गया। दून अस्पताल में वर्ष 2023 के मार्च महीने में कैंसर रोग में इस्तेमाल होने वाली डॉक्सोरूबिसिन नामक इंजेक्शन की सप्लाई की गई थी। इसमें क्रिस्टल मिलने के बाद अस्पताल प्रबंधन ने दवाई के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है।

इंजेक्शन के सैंपल को जांच के लिए लैब में भेजा गया है। रिपोर्ट में किसी भी तरह की अनियमितताएं मिलने पर अस्पताल दवा कंपनी का टेंडर खत्म कर उसे ब्लैक लिस्टेड किया जाएगा। फिलहाल एडवर्स ड्रग रिएक्शन की टीम मामले की जांच कर रही है। अस्पताल प्रबंधन के अनुसार दवा कंपनी की ओर से इसी इंजेक्शन के 200 पैकेट की सप्लाई की गई थी। इनमें से 127 पैकेट का इस्तेमाल किया जा चुका है। अब शेष पैकेट को इस्तेमाल से रोक या गया है। अधिकारियों ने बताया कि जिस इंजेक्शन में खराबी मिली है, उसकी मैनक्योर ड्रग कंपनी की ओर से आपूर्ति की जाती है। कंपनी की ओर से डॉक्सोरूबिसिन के साथ ही पांच और दवाइयों की आपूर्ति की जाती है। कंपनी के ब्लैक लिस्ट में शामिल होने के बाद सभी दवाइयों की सप्लाई पर रोक लगाई जाएगी। चिकित्सा शिक्षा अधिकारियों के मुताबिक सैंपल जांच में गड़बड़ी मिलने पर दवा कंपनी का टेंडर खत्म कर नई दवा कंपनी को टेंडर दिया जाएगा। निदेशक आशुतोष सयाना ने कहा कि खरीदारी के दौरान दवाइयों की सही ढंग से सैंपल जांच कराने का नियम है। संबंधित अधिकारी इसे पूरी तरह सुनिश्चित करने के बाद ही दवाइयों को इस्तेमाल में लाएं।

ईडी: सट्टेबाजी ऐप ने फार्मा कंपनियों के जरिए 4,500 करोड़ रुपये की ठगी की

मुंबई: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पाया है कि एक अवैध अपतटीय सट्टेबाजी एप्लीकेशन - फेयरप्ले- ने आयात या निवेश की आड़ में कथित तौर पर 4,500 करोड़ रुपये की हेराफेरी करने के लिए सूचीबद्ध फर्मों सहित 100 से अधिक दवा कंपनियों का इस्तेमाल किया, अधिकारियों ने कहा। जांच एजेंसी को ऑनलाइन सट्टेबाजी एप्लीकेशन की जांच के दौरान यह पता चला। उन्होंने कहा कि फेयरप्ले और कुराकाओ और दुबई में पंजीकृत इसकी विभिन्न सहायक कंपनियों ने अवैध सट्टेबाजी गतिविधियों से उत्पन्न धन को खच्चर और शेल खातों के माध्यम से लूटा, फार्मा कंपनियों को भेजने से पहले पांच से आठ परतें बनाईं, उन्होंने कहा कि इन कंपनियों ने फिर धन को विदेशी संस्थाओं में स्थानांतरित कर दिया। फंड भेजने के लिए एक चौनल के रूप में दवा कंपनियों का उपयोग करने से फेयरप्ले को विनियामक जांच को दरकिनार करने की अनुमति मिली, क्योंकि लेनदेन वैध व्यापारिक सौदे प्रतीत होते थे। हालांकि, जांचकर्ताओं ने बाद में पता लगाया कि इन कंपनियों का इस्तेमाल केवल धन शोधन के लिए किया जा रहा था, जबकि कोई वास्तविक व्यावसायिक गतिविधि नहीं हो रही थी, अधिकारियों में से एक ने कहा, जो पहचान नहीं बताना चाहते थे। कार्यप्रणाली के बारे में विस्तार से बताते हुए, एक अन्य अधिकारी ने कहा कि अवैध सट्टेबाजी ऐप के माध्यम से उत्पन्न धन को शेल संस्थाओं के माध्यम से स्तरित किया गया था जो केवल कागज पर मौजूद थे। फेयरप्ले ने स्ट्रीमिंग और ऑनलाइन सट्टेबाजी के माध्यम से भारी मात्रा में धन अर्जित किया है। धन को आगे आसान प्रेषण के लिए फार्मा कंपनियों के बैंक खातों में रखा गया है। दिलचस्प बात यह है कि इन फार्मा कंपनियों के अधिकांश बैंक खाते 2023 में खोले गए थे और अधिकांश कंपनियां 2022-23 और 2023-24 में पंजीकृत थीं, अधिकारी ने कहा। एक मामले में, बीएसई में सूचीबद्ध एक सार्वजनिक लिमिटेड फार्मा कंपनी का इस्तेमाल विदेश में फर्जी बिलिंग के उद्देश्य से 90 फर्जी कंपनियों के निर्माण के लिए किया गया था। मामले से अवगत एक अधिकारी ने कहा, एक कंपनी को विभिन्न फर्जी कंपनियों से 4,000 करोड़ से अधिक प्राप्त हुए। कुछ मामलों में, फंड को परिसमापन के तहत कंपनियों के माध्यम से भेजा गया था। ऐसी ही एक कंपनी में तलाशी अभियान के दौरान, तीन कंप्यूटर जब्त किए गए, जिनमें विदेशी कंपनियों के बिलों को दस्तावेजीकरण के लिए तैयार किया गया था। इन संस्थाओं ने माल आयात करने की आड़ में धन के वितरण की सुविधा प्रदान की। परिपत्र लेनदेन में संलग्न होकर, संस्था ने धन की वास्तविक प्रकृति को अस्पष्ट कर दिया, जिसका उद्देश्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा पता लगाने से बचना और मनी लॉन्ड्रिंग को सुविधाजनक बनाना था।

ओनेरेक्स कफ सिरप की तस्करी रोकी, दो तस्कर गिरफ्तार

रायगढ़। नशीली कफ सिरप की तस्करी रोकने में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। मौके से दो तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है। यह कार्रवाई लै लूंगा पुलिस ने खम्हार पुलिया पर नाकेबंदी के दौरान की। तस्करों से 70 बोतल नशीली ओनेरेक्स सिरप जब्त की गई है। इसे अवैध बिक्री के लिए तस्करी कर ले जाया जा रहा था। थाना प्रभारी निरीक्षक राजेश जांगड़े ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी। सूचना के तहत ग्राम तारागढ़ के आरीफ खान और उसके साथी को एक मोटरसाइकिल पर ग्राम लुडेग से लैलूंगा की ओर आते हुए खम्हार पुलिया पर रोका। उनकी तलाशी लेने पर थैलों और प्लास्टिक बोरी से 70 बोतल ओनेरेक्स सिरप बरामद हुई। आरोपियों ने पूछताछ में अपने नाम आरीफ खान (21 वर्ष) निवासी तारागढ़ और हर्षित अग्रवाल (26 वर्ष) निवासी लुडेग, जिला जशपुर बताए। दोनों ने सिरप को अवैध बिक्री के लिए ले जाने की बात स्वीकारी है। जब्त सामान में 70 बोतल सिरप (कीमत 12,600 रुपये) और बजाज मोटरसाइकिल (कीमत 30,000 रुपये) शामिल है। इस कार्यवाही में थाना प्रभारी निरीक्षक राजेश जांगड़े, उप निरीक्षक मानकुंवर सिदार, सहायक उपनिरीक्षक खेमराज पटेल, चंदन सिंह नेताम, आरक्षक सुरेश मिंज और महिला आरक्षक पूनम साहू शामिल रहे।

फार्मा कंपनी में जहरीली गैस के कारण कर्मचारी की मौत

अनकापल्ली (आंध्र प्रदेश)। फार्मा कंपनी में जहरीली गैस के कारण एक कर्मचारी की मौत हो जाने का मामला सामने आया है। वहीं, नौ अन्य को विभिन्न अस्पतालों में इलाज के लिए भर्ती कराया है। जिला अग्निशमन अधिकारी पी नागेश्वरराव ने बताया कि अनकापल्ली जिले के परवाड़ा में टैगोर फार्मा में गैस लीक हो गई। जहरीली गैस के कारण एक व्यक्ति की मौत हो गई। गैस रिसाव की घटना के बाद नौ अन्य को अस्पताल में भर्ती कराया गया और उनका इलाज चल रहा है। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वाईएसआरसीपी अध्यक्ष वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने परवाड़ा में टैगोर फार्मा में गैस रिसाव हादसे पर चिंता जताई है। इस बीच, अनकापल्ली जिला कलेक्टर विजय कृष्णन और पूर्व मंत्री और वाईएसआरसीपी नेता गुडीवाड़ा अमरनाथ ने अस्पताल में घायलों से मुलाकात की। गुडीवाड़ा अमरनाथ ने कहा कि ऐसी घटनाएं अक्सर होती रहती हैं। कंपनी द्वारा अपनाए जाने वाले मानदंडों की राज्य सरकार द्वारा सख्ती से निगरानी की जानी चाहिए। मैं सरकार से अपील करता हूं कि वे इसे बहुत गंभीरता से लें और कंपनियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करें।

बच्चों को काले लेबल वाली पैरासिटामोल की बोतलें दी

बेंगलुरुः रायचूर और बल्लारी जिलों में करीब दो दर्जन स्तनपान कराने वाली महिलाओं की मौत के बाद, शहर के उत्तर-पश्चिमी छोर पर स्थित नेलमंगला कस्बे के सरकारी अस्पताल में बच्चों को घटिया दवाइयां बांटे जाने का मामला सामने आया है। अपने बच्चों को अस्पताल ले जाने वाले कई स्थानीय लोगों के अनुसार, उनके वार्ड को दिए गए पैरासिटामोल सिरप की बोतलों पर लेबल लगे थे, जिन पर निर्माता का नाम, बैच नंबर और लाइसेंस विवरण जैसी जरूरी जानकारी जानबूझकर काली कर दी गई थी। जिन बच्चों को सिरप दिया गया, उनकी उम्र 5-11 साल बताई गई।

"यदि किसी का स्वभाव अच्छा है तो उसे किसी और गुण की क्या जरूरत है? यदि आदमी के पास प्रसिद्धि है तो भला उसे और किसी श्रृंगार की क्या आवश्यकता है?" -चाणक्य

जीभ में एक भी हड्डी नहीं होती, परन्तु कमाल की बात यह है कि ये आपकी सारी हड्डीयां तुड़वाने की ताकत रखती है.

सर्दी-खांसी की दवा नहीं दिखा पा रही खास असर, डॉक्टर हैरान

नई दिल्ली। सर्दी-खांसी की सामान्य दवाइयां अपना असर दिखा पाने में असफल होने लगी हैं। इस बात को लेकर डाक्टर भी हैरान हैं कि आखिर वे बेअसर क्यों हो रही हैं। इस मामले को लेकर ब्रिटेन के डॉक्टरों ने सर्दी-खांसी की कई दवाओं को बंद करने का भी सुझाव दिया है। हालांकि वहां के दवा नियामकों ने इन दवाओं का बचाव किया है और कहा है कि फिलहाल इन दवाओं की सेफ्टी से संबंधित साक्ष्य सामने नहीं आए हैं। इस कारण इन दवाओं को फिलहाल बंद नहीं किया जा सकता है। बता दें कि जब सर्दी लगती है और छाती में भारीपन आ जाता है तो अक्सर डॉक्टर फेनाइलफेरिन ओरल दवा लेने की सलाह देते हैं। कई नामों से ये दवा आती है लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि यह दवा मरीज पर असर नहीं दिखा रही हैं। इसी तरह नाक में डालने वाली दवा भी कारगर नहीं हो रही है। डॉक्टरों की चिंताओं को देखते हुए फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने इनमें से कुछ दवाओं को वापस कर लिया है। अब सवाल यह भी है कि आखिर ये दवाएं क्यों काम नहीं कर रही है। ग्लोबल डायबेट्स कम्युनिटी की एक रिपोर्ट में ब्रिटेन के कार्डिफ यूनिवर्सिटी में कॉमन कोल्ड एंड कफ सेंटर के प्रोफेसर रॉन एक्लेस इसका कारण बताते हैं। उनका कहना है कि बताते हैं कि दरअसल, फेनाइलफेरिन दवा को जब मुंह से ली जाती है तो इसकी गंध नाक में पहुंचने से पहले ही यह पेट में पहुंच जाती है। वहां आंत और लिवर इसे पहले ही मेटाबोलाइज कर देता है।

यही कारण है कि ये दवा बेअसर होने लगी है। सर्दी-खांसी की कई दवाओं के साथ ऐसा ही हो रहा है। प्रोफेसर रॉन एक्लेस कहते हैं कि मेरे विचार से इन दवाओं को चलन से बाहर कर देना चाहिए। जब छाती में कनजेशन होता है तो सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। इसलिए इन दवाओं को बंद कर देना चाहिए। प्रोफेसर रॉन ने बताया कि नाक में लेने वाली दवाइयां असरदार होती हैं और यह कुछ मिनट के अंदर असर दिखाना शुरू कर देती हैं। इसका असर लगभग 8 घंटे तक रहता है। उधर, दवा कंपनियों का कहना है कि फेनाइलफिरन दवा बंद नाक को खोल देता है क्योंकि नाक की ओर जाने वाली छोटे से ब्लड वैसल्स में यह स्वेलिंग को ठीक कर देती है। सर्दी-खांसी की ओरल दवा भी कारगर है। अगर दवा बेअसर हो रही है तो इसके लिए भी कड़े सुरक्षा मानकों पर इसे परखना होगा। मुश्किल यह है कि ये दवाइयां दुकानों में आसानी से मिल जाती हैं और जब लोगों को सर्दी-जुकाम होता है तो वे खुद इसे खरीद लेते हैं।

जल्द ही आ रहा है: रूस की ओर से नि:शुल्क कैंसर का टीका

नई दिल्ली: प्राप्त समाचार के अनुसार रूस ने कैंसर के लिए एक नया mRNA वैक्सीन विकसित करने का दावा किया है, सरकारी समाचार एजेंसी TASS के अनुसार। वैक्सीन को 2025 की शुरुआत में सार्वजनिक रूप से जारी किया जाएगा और यह नि:शुल्क उपलब्ध होगी। रूसी स्वास्थ्य मंत्रालय के रेडियोलॉजी मेडिकल रिसर्च सेंटर के महानिदेशक एंड्री काप्रिन ने रेडियो रोसिया को बताया, रूस ने कैंसर के खिलाफ अपना स्वयं का mRNA वैक्सीन विकसित किया है, इसे रोगियों को नि:शुल्क वितरित किया जाएगा। गामालेया नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी के निदेशक अलेक्जेंडर गिंट्सबर्ग के अनुसार, प्री-क्लीनिकल परीक्षणों से पता चलता है कि वैक्सीन ट्यूमर के विकास और कैंसर के प्रसार को रोकती है। उन्होंने कहा कि, वैक्सीन के प्री-क्लीनिकल परीक्षणों से पता चला है कि यह ट्यूमर के विकास और संभावित मेटास्टेसिस को दबाती है। इस साल की शुरुआत में, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कैंसर वैक्सीन के विकास में प्रगति का संकेत दिया था। गिंट्सबर्ग ने व्यक्तिगत कैंसर वैक्सीन के निर्माण में तेजी लाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्षमता पर भी चर्चा की, जिससे संभवत: प्रक्रिया एक घंटे से भी कम समय में पूरी हो जाएगी। उन्होंने बताया, अब व्यक्तिगत वैक्सीन बनाने में काफी समय लगता है क्योंकि वैक्सीन या कस्टमाइज्ड mRNA को कैसा दिखना चाहिए, इसकी गणना करने के लिए गणितीय शब्दों में मैट्रिक्स विधियों का उपयोग किया जाता है। हमने इवाननिकोव इंस्टीट्यूट को शामिल किया है जो इस गणित को करने में AI पर निर्भर करेगा, यानी न्यूरल नेटवर्क कंप्यूटिंग, जहां इन प्रक्रियाओं में लगभग आधे घंटे से एक घंटे का समय लगना चाहिए।

mRNA वैक्सीन कैसे काम करती है : परंपरागत रूप से, वैक्सीन प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को सक्रिय करने के लिए शरीर में एक कमजोर या निष्क्रिय वायरस (या अन्य रोगजनक) को पेश करके काम करती है। इसके विपरीत, mRNA वैक्सीन आनुवंशिक निर्देश देकर काम करती है जो शरीर की कोशिकाओं को एक विशिष्ट कैंसर प्रोटीन का उत्पादन करने में सक्षम बनाती है, जिसे एंटीजन के रूप में जाना जाता है।

Your Inquires are welcome for
FRANCHISEE / PCD
For Marketing & Distribution with Monopoly Rights
With A Wide Range of
TABLETS | CAPSULES | LIQUID SYRUPS
DRY SYRUPS | DROPS | OINTMENTS
EXTERNAL PREPARATIONS
Shivveer Singh
TANISK BIOTECH PVT. LTD.
(ISO 9001:2015 Certified Company)
Nigam Road Selaqui Dehradun – 248011
Ph.: 7453880000,6395960128
Email: taniskbiotech@gmail.com | Visit: taniskbiotech.co.in

Hillwin Pharmaceuticals
THIRD PARTY MANUFACTURING & FRANCHISEE/PCD
Best quality of efficiency Product we directly approved by WHO GMP
With the Wide Range of :
Tablets | Capsules | Liquids | Dry Syrup | Injectables
Drops | Lotions | Gels | Ointments | Shampoos
Protein Powders | Ayurveda Products | Neutraceuticals
Excellent Packing Like Alu-Alu, Blister & Strip Packing
Brand Promotional Input Like...
Visual aid | Sample Catch covers | Visiting Cards
Product Literature | MR Bags | DCR Pad | Gifts
Trade Enquiries are Welcome for Third Party MFG. / PCD Franchises Distribution on Monopoly basis in PAN India.
CALL US : +91 8476855579 , 9476782423
Head Office : B-39, New Shopping Complex, Opp. PNB Bank Shivalik Nagar, Haridwar (U.K.)

भूख बढ़ायें, ऊर्जा बढ़ायें
मूड को सुधारें, तनाव कम करें
याद्दाश्त बढ़ायें
A WHO-GMP ISO 9001:2015 certified company

MIKAYLA LIFE SCIENCES
Multivitamin, Multimineral & Antioxidant Syrup
MULTIMIK
MIKAYLA LIFE SCIENCES
PLOT NO. 309, INDUSTRIAL AREA, PHASE 2, PANCHKULA (HR)
(M) 9915501900
sales@mikayla.in | www.mikaylalifesciences.com

कैंसर की ये तीन दवाइयां हुई सस्ती! मरीजों को राहत

नई दिल्ली: प्राप्त समाचार के अनुसार कैंसर की तीन दवाइयों के दाम कम कर दिए गए हैं। इससे कैंसर के मरीजों को काफी राहत मिलेगी। बता दें कि ये तीनों दवाएं कई तरह के कैंसर के लिए इस्तेमाल की जीती है। दवा निर्माताओं ने ट्रैस्टुजुमैब डेरक्सटेकन, ओसिमर्टिनिब और डर्वालुमैब दवाओं पर अधिकतम खुदरा मूल्य घटाना शुरू कर दिया है। केंद्रीय रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने लोकसभा में बताया कि सरकार ने तीन दवाओं/फॉर्मूलेशन पर बेसिक कस्टम ड्यूटी को हटाने और जीएसटी दरों को 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया था।

नोटिफिकेशन के बाद दवा निर्माताओं ने इन दवाओं पर एमआरपी घटा दी है और राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण के पास सूचना दाखिल की है। एनपीपीए ने कंपनियों को जीएसटी दरों में कमी और सीमा शुल्क से छूट के कारण इन दवाओं पर एमआरपी कम करने का निर्देश दिया था। केंद्रीय बजट में मोदी सरकार ने कैंसर पीडितों के लिए 3 कैंसर की दवाओं पर सीमा शुल्क से छूट दी थी। सर गंगाराम अस्पताल नई दिल्ली में मेडिकल ऑन्कोलॉजी के चेयरमैन डॉ. श्याम अग्रवाल के अनुसार ट्रैस्टुजुमैब डेरक्सटेकन का इस्तेमाल ब्रेस्ट कैंसर के इलाज के लिए होता है। पहले ब्रेस्ट कैंसर की दवा ट्रैस्टुजुमैब डेरक्सटेकन की कीमत करीब 58 हजार रुपये तक थी। बायोकोन की दवा केनमेब के एक वेरिएंट की कीमत 54622 रुपये थी। यह दवा कैंसर के मरीज को 3 हफ्ते में एक बार लेनी होती है। ओसिमर्टिनिब दवा फेफड़ों के कैंसर यानी लंग कैंसर के लिए है। भारत में यह दवा एस्ट्रजेंका कंपनी की मिलती है। इसके दो वेरिएंट हैं। इनकी कीमत 1.50 लाख रुपये के आसपास थी। अब इन दोनों दवाओं की कीमत कम हो गई है।

प्रसन्न वही है जिसने अपना मूल्यांकन किया और परेशान वही है जिसने औरों का मूल्यांकन किया.

BADRIVAS BIOTECH PVT. LTD.
Khasra No. 10 & 11 Village. Makkhanpur Bhagwanpur Roorkee-247661, Dist. Haridwar (Uttarakhand)
New Formulations: Flupentixol & Melitracen, Tramadol & Paracetamol, Amitriptyline & Propranolol, Torsemide & Spironolactone, Bisoprolol fumarate, Dothiepin HCL, Ticagrelor, Clonazepam + Desvenlafaxine HCL
Neutraceutical, Cosmetic, Minoxidil & Finasteride Hair Solution, Veterinary Products, Vaginal wash
Diabetic: Bilayered Tab All Range, Teneligliptin 20mg+ Metformin 500mg, Dapagliflozin 10mg+ Metformin 500mg, Dapagliflozin 10mg+ Metformin 1000mg, Sitagliptin Phosphate & Metformin HCL
Cardiac: Atorvastatin + Fenofibrate, Rosuvastatin + Aspirin, Rosuvastatin + Clopidogrel, Rosuvastatin
Neuro: Pregabalin + Nortriptyline, Pregabalin + Methylcobalamin, Pregabalin, Ginkgobiloba + Piracetam + Vinpocetin, Gabapentin + Nortriptyline, SR TABLETS
Psychiatric: Etizolam, Alprazolam, Clobazam, Diazepam, Lorazepam, Chlordiazepoxide + Mabevarine
Approved Section
Tablets | Capsules | Liquid | Ointment | Nutraceuticals
We have more than 1500 Approved Molecules
Welcome for small batches, Third Party Manufacturing, PCD & Export facility available.
Contact No. :- +91 72538 01212 , +91 72538 11212,
Email :- badrivasindia@gmail.com | www.badrivasbiotech.com

We Welcome Your Inquiries for 3rd Party Manufacturing
Committed to Create Miracles
MIRACLE LIFE SCIENCES
Best quality of efficiency Product we directly approved by WHO GMP
With the Wide Range of :
Tablets | Capsules | Liquids | Dry Syrup | Dry-Inj.
Drops | MEDICATED SOAP | Syrup | Ointments | Veterinary Bolus
Beta & Non-Beta | Ophthalmic Drops | Veterinary Inj.
Excellent Packing Like Alu-Alu, Blister & Strip Packing
Brand Promotional Input Like......
Visual aid | Sample Catch covers | Visiting Cards
Product Literature | MR Bags | DCR Pad | Gifts
Trade Enquiries are Welcome for Third Party MFG. / PCD Franchises Distribution on Monopoly basis in PAN India.
M. +91 9897039922, 9897939961, 7037039923
MIRACLE LIFE SCIENCES
(Behind Patanjali Yog Peeth) 148, Village : Bahadarpur Saini, Post: Daulatpur Bahadrabad-249 405, Haridwar (U.K.)
Email : miracle.patel@gmail.com Web: www.miraclelifesciences.in

अमृत और मृत्यु –
दोनों ही इस शरीर में स्थित हैं. मनुष्य मोह से मृत्यु को व सत्य से अमृत को प्राप्त होता है.

सरकारी अस्पताल में बच्चों को दिया घटिया पैरासिटामोल सिरप

बेंगलुरुः अस्पताल में बच्चों को ब्लैक आउट लेबल वाला घटिया पैरासिटामोल सिरप देने का मामला प्रकाश में आया है। नेलमंगला शहर के सरकारी अस्पताल में बच्चों को कथित तौर पर घटिया दवाएं वितरित करने की सूचना मिली है। कई स्थानीय लोगों के अनुसार उनके बच्चों को दी जाने वाली पेरासिटामोल सिरप की बोतलों पर ब्लैक लेबल लगे थे। इन पर निर्माता का नाम, बैच नंबर और लाइसेंस विवरण जैसी आवश्यक जानकारी जानबूझकर काली कर दी गई थी। जिन बच्चों को यह सिरप दिया गया उनकी उम्र 5–11 साल के बीच बताई जा रही है। जब इस बारे अस्पताल के कर्मचारियों से पूछा तो उन्होंने स्पष्ट उत्तर देने से इनकार कर दिया। नेलमंगला सरकारी अस्पताल की चिकित्सा अधिकारी डॉ. सोनिया काक हना है कि बच्चों के बुखार के इलाज के लिए पेरासिटामोल सिरप का ऑर्डर पहले दिया गया था। हालांकि, विभाग ने उचित लेबलिंग या जानकारी के बिना इस सिरप सहित कई दवाओं की सप्लाई की। जब बेंगलुरु ग्रामीण जिला स्वास्थ्य अधिकारी (डीएचओ) को सूचित किया तो बताया गया कि इन दवाओं की प्रयोगशाला में जांच की गई थी।

FDA REGISTERED FACILITY
AESTHETIC + SOFTCAPS +
An USFDA Registered, WHO-GMP, GHP, HACCP, ISO 9001:2015 & ISO 22000:2018 Certified Company
Offering the Wide Range of :
• GUMMIES • EFFERVESCENT TABLETS
• SOFTGEL CAPSULES • HARDGEL CAPSULES
• TABLETS • LIQUIDS • SACHETS
• PROTEIN POWDERS
3rd Party Manufacturing
PCD Franchise
+91 7042630159 | +91 9671248900
Works : Kh. No. 181/86/4, Village Mouja Ogli, Suketi Road, Kala Amb, Dist. Sirmaur-173030 (H.P.)
Corporate Office : #200, 2nd Floor, Kh. No.1124, Near Bagga Link Service Station, Rithala, Delhi-110085
Marketing Office : SCO 1131, 1st Floor, Model Town Road, Kartar Nagar, Model Town, Ambala City, Haryana-134003
Email ID : aestheticsoftcaps@gmail.com | Website : www.aestheticsoftcaps.com

AARISE Pharmaceuticals
for us, your health is always first.
Aarise Pharmaceuticals
H. O. : Kh. No. 32, Shri Vas Greens, SIDCUL Road, Haridwar-249402, Uttarakhand
Web - www.aarisepharma.com Email - info@aarisepharma.com
Contact - +91 9899783330 , +91 9289410333

We offer Monopoly Distributorship of our range...
DCGI Approved FDC are also available
Tablets | Capsules | Liquid | Ointments
Complete Marketing & Distribution Support

नीरू गर्ग स्वामी की ओर से ब्रजेश कुमार गर्ग द्वारा प्रकाशित, ब्रजेश कुमार गर्ग द्वारा मुद्रित तथा हरिहर प्रेस के लिए इम्प्रेशंस प्रिंटिंग एण्ड पैकिंग लिमिटिड नोएडा, गौतम बुद्ध नगर में मुद्रित एवं के० पी० रोड, बुलन्दशहर से प्रकाशित, सम्पादक – ब्रजेश कुमार गर्ग

MEDICAL DARPAN MEDIA HOUSE · VISITING CARD MUSEUM · SOAP MUSEUM
Mob.: 09045029158
WORK IS WORSHIP

MEDICAL DARPAN MEDIA HOUSE

All India Circulation (Estd. Since 1989)

We're Looking For

समस्त भारतवर्ष में अपनी इच्छानुसार शहर का चयन कर संवाददाता व विज्ञापन बुकिंग हेतु प्रतिनिधि व ऑफिस हेतु

- अकाउन्टेंट
- टेलीकॉलर
- ग्राफिक्स डिजाइनर
- आशुलिपिक
- ऑफिस स्टाफ
- सॉफ्टवेयर व हार्डवेयर विशेषज्ञ
- रिसेप्शनिस्ट
- कम्प्यूटर ऑपरेटर
- सोशल मीडिया एक्सपर्ट

आय **Rs.10,000/- to Rs.25,000/-** से अधिक कार्यानुसार

Send Your Resume @ **medicaldarpan.ctp@gmail.com**

- मैडीकल दर्पण
- Pharma News
- Pharma दर्पण
- ADR (A Drug Index)
- medicaldarpan.com

subscribe our

YouTube *Channel*

@medicaldarpanmediahouse

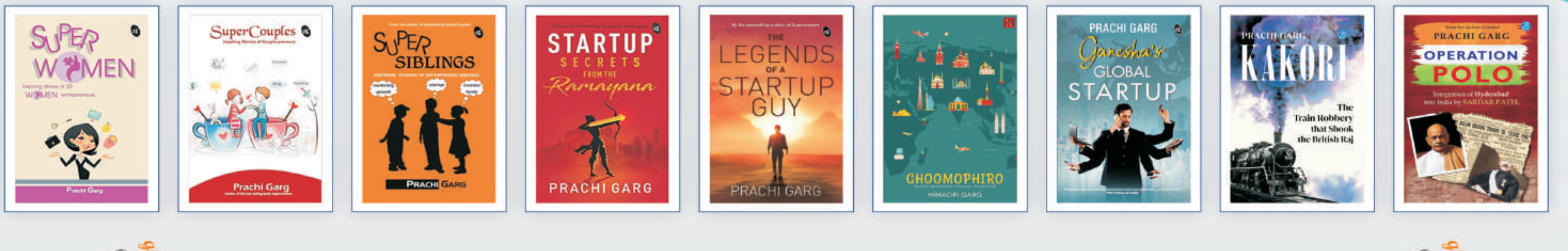

- Written by

Prachi, Himadri & Anant Garg

/medicaldarpan · /medicaldarpan · /medicaldarpan · sales@medicaldarpan.com · medicaldarpan.com

हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा

राजस्थान केमिस्ट एलायंस के सहयोग से अब जयपुर में

Powered By
medicant Nutrients

Supported By
RCA RAJASTHAN CHEMISTS ALLIANCE
Pinkcity Chemist Alliance JAIPUR

FREE ENTRY

INDIAN PHARMA FAIR®
PERFECT BUSINESS GROWTH PLATFORM

12th EDITION

10 11 JANUARY 2025

Central Lawn EP, Jawahar Circle, Jaipur, (R.J.)

India's Biggest PHARMA EVENT in the JAIPUR

Platinum Partner	Silver Partner	Supported Partner	Supported Partner	Supported Partner
PCHPL Psychocare Health Pvt. Ltd.	SUNWIN	Ritual Drugs Pvt. Ltd., Tiruvision Medicare, UniGROW	Best Biotech, Novalab Healthcare, Forgo Pharmaceuticals (P) Ltd.	AVE, nexkem Pharmaceuticals, Wellford

Printing & Gifts Partner	Technology Partner	Media Partner	Digital Partner	Fabrication Partner
graphic ganga	SwilERP	The Pharma Chem Monthly	intellistall	Bmi Buzz Matrix India

राजस्थान केमिस्ट एलायंस के सभी सम्मानित सदस्यों को नव वर्ष 2025 एवं मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाऐं

NAGAUR CHEMIST ASSOCIATION · KCS KUCHAMAN CHEMIST SOCIETY · PHARMACIST · BUNDI CHEMIST ASSOCIATION · BHILWARA DISTRICT CHEMIST SANSTHAN B.D.C.S · CDCA · PHARMACIST

Alwar Drug Chemist Association · RCA BDCA · RCA SGDCA · SIROHI DISTRICT CHEMIST ASSOCIATION · TONK DISTT. CHEMIST ASSOCIATION · UDCO · JCA

श्री आर.बी. पुरी जी
अध्यक्ष
राजस्थान केमिस्ट एलायंस

श्री अरविन्द गुप्ता जी
उपाध्यक्ष मध्य क्षेत्र ए.आई.ओ.सी.डी.
अध्यक्ष कार्यरत
राजस्थान केमिस्ट एलायंस

श्री धनपत सेठिया जी
सचिव
राजस्थान केमिस्ट एलायंस

श्री रवि मित्तल जी
कोषाध्यक्ष
राजस्थान केमिस्ट एलायंस

श्री राजीव जैन जी
अध्यक्ष
पिंक सिटी केमिस्ट एलायंस

श्री सुभाष खेतान जी
सचिव
पिंक सिटी केमिस्ट एलायंस

One Stop Solution For Pharma Industry In Jaipur (Raj.)

Grab the **OPPORTUNITY**

to meet PHARMA, HEALTHCARE, COSMETIC, VETERINARY Professionals

Organization by:

INDIAN PHARMA FAIR®